नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड

(कार्यभूमिका)

योग्यता पैक — Ref.- Id. MEP /Q7101

कार्यक्षेत्र — निजी सुरक्षा

कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

17965 – नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड
कक्षा 9 के लिए व्यावसायिक पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-????-??-?

प्रथम संस्करण
अप्रैल 2022 चैत्र 1944

PD 5T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2022

₹ ??.00

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा .... द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पानीहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*विपिन दिवान*
संपादन सहायक	:	*ऋषि पाल सिंह*
उत्पादन अधिकारी	:	??

आवरण एवं चित्रांकन

डीटीपी प्रकोष्ठ, प्रकाशन प्रभाग

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 कार्य और शिक्षा को अपनी एक खुद की पहचान देते हुए, उपयुक्त चरणों में इसे सीखने के सभी क्षेत्रों में लागू करते हुए पाठ्यक्रम के दायरे में लाने की अनुशंसा करती है। यह बताती है कि कार्य, ज्ञान को अनुभव में बदल देता है और आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य उत्पन्न करता है। कार्य के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपनी जगह बनाना सीखता है। यह समावेशन की अंतर्निहित क्षमता वाली एक शैक्षिक गतिविधि है। इसलिए एक शैक्षिक उत्पादक कार्य में शामिल होने का अनुभव सामाजिक जीवन के एक मूल्य के रूप में सराहा जाएगा और समाज व्यवस्था में इसका सम्मान एवं सराहना होगी। कार्य में वस्तुओं, सामग्रियों एवं अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया शामिल है, जिससे एक गहरी समझ पैदा होती है और प्राकृतिक पदार्थों और सामाजिक संबंधों के व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है।

कार्य और शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयी ज्ञान को आसानी से शिक्षार्थियों के बाहरी जीवन से जोड़ा जा सकता है। किताबी ज्ञान से अलग यह विद्यालय, घर, समुदाय और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005* में उन सभी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वी.ई.टी.) पर भी ज़ोर दिया गया है, जो विद्यालयी शिक्षा के बाद अतिरिक्त कौशल हासिल करने या व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आजीविका की तलाश करने की इच्छा रखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 'अंतिम उपाय' की बजाय 'पसंदीदा और सम्मानजनक' विकल्प प्रदान करे।

इसी क्रम में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विषयक्षेत्रों से आगे काम करने की कोशिश की है और देश के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ़.) के विकास में भी योगदान दिया है, जिसे 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। यह एक गुणवत्ता आश्वासन ढाँचा (क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क) है जो सभी योग्यताओं को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोणों के स्तरों के अनुसार व्यवस्थित करता है। ये स्तर एक से दस तक के सीखने के प्रतिफलों के क्रम में परिभाषित किए गए हैं, जिन्हें एक शिक्षार्थी को औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हासिल करना होता है। एन.एस.क्यू.एफ़. राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए समान सिद्धांत एवं दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

© NCERT not to be republished

इस पृष्ठभूमि के तहत ही रा.शै.अ.प्र.प. के एक घटक पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल ने कक्षा 9 से 12 तक के व्यावसायिक विषयों हेतु सीखने के प्रतिफलों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विकसित किया गया है।

यह पाठ्यपुस्तक, विभिन्न कार्यभूमिकाओं (जॉब रोल्स) के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न व्यवसायों से संबंधित अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, सीखने के प्रतिफलों के आधार पर पाठ्यक्रम के अनुसार विकसित की गई है। यह विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

मैं पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति, समीक्षकों और सभी संस्थानों और संगठनों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक के विकास में सहयोग दिया है।

रा.शै.अ.प्र.प. विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सुझावों का स्वागत करती है, जिससे हमें आने वाले संस्करणों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

श्रीधर श्रीवास्तव
निदेशक (प्रभारी)
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
जनवरी 2021

© NCERT not to be republished

पुस्तक के बारे में

निजी सुरक्षा उद्योग, व्यक्ति एवं उसकी संपत्ति को संभावित खतरे से होने वाले नुकसान या क्षति से सुरक्षा देने के लिए सेवाएँ प्रदान करता है। संगठनों, शॉपिंग मॉल, उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वे अपनी सुरक्षा के योजनानुसार खतरों, अपराधों, तोड़फोड़, हमलों, लूट-डकैती आदि से बचाने के लिए प्रशिक्षित निजी सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करते हैं।

एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड से जान-माल और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जो बुनियादी सुरक्षा परिपाटियों का पालन करते हुए सुरक्षा उपकरणों की सहायता से या उसके बिना भी जोखिम एवं खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा गार्ड से संभावित जोखिमों और खतरों की पहचान करने, सामना करने के लिए कदम उठाने, सुरक्षा उपकरणों का संचालन करने, बुनियादी दस्तावेज़ीकरण करने, घटनाओं को संबंधित एजेंसियों को रिपोर्ट करने और उनसे सहायता प्राप्त करने, लोगों एवं पुलिस के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की अपेक्षा की जाती है। नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पार्किंग नियंत्रण, अनुरक्षण कर्तव्यों, आपातकालीन या किसी भी प्रकार की आपदा में उस स्थिति से निपटने का ज्ञान एवं कौशल, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, क्षेत्र-विशेष के परिवेश में रिपोर्टिंग एवं प्रलेखन का ज्ञान होना आवश्यक है।

इस पाठ्यपुस्तक को नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए कार्यभूमिका को सहज बनाने के लिए अध्ययन कर अनुभव से सीखने के माध्यम से ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जो अनुभव से सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे छात्रों के लिए एक उपयोगी और प्रेरक शिक्षण-अधिगम संसाधन सामग्री बनाने के लिए, विषय-विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के योगदान से विकसित किया गया है। कार्यभूमिका को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यपुस्तक की सामग्री को राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.ओ.एस.) से संरेखित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे छात्र योग्यता पैक (क्यू.पी.) के एन.ओ.एस. में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार विषय का ज्ञान एवं कौशल प्राप्त कर सकें।

इस पाठ्यपुस्तक को चार इकाइयों में विभाजित किया गया है। इकाई 1 में सुरक्षा सेवाओं से परिचित कराया गया है। यह सार्वजनिक एवं निजी सुरक्षा सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं के प्रकार, सुरक्षा गार्ड की भूमिका एवं ज़िम्मेदारियों के बीच अंतर के साथ आरंभ होता है। इसमें नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के मुख्य कर्तव्यों में से निरीक्षण करना, रिपोर्ट करना और निवारण करने को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है। स्वच्छता, उपकरण और मशीनरी, खतरनाक हानिकारक पदार्थों, ऊँचाई पर काम करने, बिजली, संदिग्ध पैकेज, आग से संबंधित खतरों तथा आपात स्थितियों को रोकने, उसकी

© NCERT not to be republished

रिपोर्टिंग एवं प्रतिक्रिया करने के लिए बुनियादी प्रक्रियाओं और परिपाटियों को भी इस इकाई में शामिल किया गया है। छात्रों से यह उम्मीद की जाती है कि इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके वे जोखिमों की पहचान कर उन्हें नियंत्रित करने, खतरे एवं आपातकालीन स्थिति के अनुसार निर्णय लेने और कार्य करने के आवश्यक ज्ञान तथा कौशल को विकसित करने में सक्षम होंगे।

इकाई 2, निजी सुरक्षा विनियमों एवं उपकरणों से संबंधित है। ये नियम निजी सुरक्षा एजेंसियों के (विनियमन) अधिनियम 2005 में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे पुलिस एवं अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। इस इकाई में विभिन्न प्रकार के प्रमाणों और तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य के रूप में एकत्र किया जाता है। इस इकाई में भारतीय सेना, भारतीय नौ-सेना, भारतीय वायु सेना और पुलिस के रैंक तथा बैजिज का विवरण भी दिया गया है। जिससे छात्र करियर की संभावनाओं को तलाश सकें और सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित हो सकें।

इकाई 3 में असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सामान्य हथियारों एवं तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों का भी विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को इन उपकरणों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इसमें सुरक्षा उपकरणों पर एक अंतर्दृष्टि डाली गई है, जिनकी जानकारी निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के मानदंडों के अनुसार नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को होनी चाहिए। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली, अभिगम नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा प्रकाश प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन प्रणाली, सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रणाली का वर्णन किया गया है।

इकाई 4 में तलाशी एवं ज़ब्ती के लिए प्रवेश नियंत्रण प्रक्रियाएँ, जाँच करने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घटना की रिपोर्टिंग, प्रवेश नियंत्रण करने के लिए आवश्यक संरचानाएँ एवं प्रवेश नियंत्रण के अनेक स्तरों का वर्णन किया गया है। यह इकाई प्रवेश नियंत्रण के दौरान निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा सत्यापन और प्रमाणन की प्रक्रिया का पालन करने का भी सुझाव देती है।

विनय स्वरूप मेहरोत्रा
प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष
पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन केंद्र और एन.एस.क्यू.एफ़. सेल
पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक
शिक्षा संस्थान, भोपाल

© NCERT not to be republished

पुस्तक निर्माण समिति

सदस्य

एस.एम सिंह, *कर्नल* (सेवानिवृत्त), आर्मी ओरडिनेंस कॉप्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, ई.एच.-12, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश

एस.के. कालरा, *सीनियर मैनेजर* (एस. एंड क्यू.ए.) सिक्योरिटी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (पूर्व), 305, सिटी कोर्ट, सिकंदरपुर, एम.जी. रोड, गुरुग्राम, हरियाणा

पी.पी. शर्मा, *कर्नल इन्फैक्ट्री* (सेवानिवृत्त), आर्मी हेडक्वार्टर्स, ए-4/602, पाइन हाइट, आकृति इकोसिटी, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश

ललिता अय्यर, *कंटेंट हेड*, एन.आई.एस.ए. इंडस्ट्रियल सर्विसिज, 19वी मंजिल, लोट्स ग्रेन्ड्यूर, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र

विजय सिद्धार्थ पिल्लई, *प्रोजेक्ट मैनेजर*, सेन्ट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, नयी दिल्ली

सुरिन्दर सिंह, *व्यावसायिक शिक्षक*, शासकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नानेओला, अंबाला, हरियाणा

अनुवादक एवं समीक्षक

नीतू दुबे, *हिन्दी सलाहकार* (कंसलटेंट), पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन केंद्र और एन.एस.क्यू.एफ़. सेल, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल, मध्य प्रदेश

राजेश यादव, *टंकण* एवं *फार्मेटिंग* (डेटा एंट्री ऑपरेटर), पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन केंद्र और एन.एस.क्यू.एफ़. सेल, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल, मध्य प्रदेश

सदस्य-समन्वयक

विनय स्वरूप मेहरोत्रा, *प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष* पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन केंद्र और एन.एस.क्यू.एफ़. सेल, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल, मध्य प्रदेश

© NCERT not to be republished

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), परियोजना अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभारी है, जिन्होंने सीखने के प्रतिफलों पर आधारित इस पाठ्यचर्या संबंधी पाठ्यक्रम के विकास के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया।

परिषद्, पाठ्यपुस्तक को विकसित करने में सहयोग देने के लिए पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल के राजेश पी. खम्बायत, *संयुक्त निदेशक* के प्रति आभार व्यक्त करती है।

इस पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए आयोजित कार्यशालाओं के समन्वय के लिए परिषद् रा.शै.अ.प्र.प. के सदस्यों सरोज यादव, *प्रोफ़ेसर* एवं *डीन* (अकादमिक); रंजना अरोड़ा, *प्रोफ़ेसर* एवं *विभागाध्यक्ष*, पाठ्यचर्या विभाग के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। हम उन सभी लागों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध पर अपने ज्ञान, विशेषज्ञता एवं अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया।

परिषद्, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एन.एस.डी.ए.), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) (पहले सुरक्षा क्षेत्र कौशल विकास परिषद्) के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय के तकनीकी सहायता समूह के रूप में अपना योगदान प्रदान किया। सुनीता कोली, *कंप्यूटर ऑपरेटर* (ग्रेड-3) एवं पीयूष देवरनकर, *कंप्यूटर ऑपरेटर* (संविदा), पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल के प्रति भी आभारी है। इसके अतिरिक्त परिषद् हेमलता बघेल, *सलाहकार*, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल; आकाश शर्मा, *सलाहकार*, लेंड ए हैंड के सहयोग के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती है।

पाठ्यपुस्तक में उपयोग किए जाने वाले चित्रों को रचनात्मक कॉमन लाइसेंस के द्वारा प्राप्त किया गया है। इन चित्रों को रचनात्मक एवं उचित तरीके से, किसी कॉपीराइट का उल्लंघन किए बिना चयनित किया गया है जिससे विद्यार्थियों की समझ को और भी बेहतर बनाया जा सके। ये चित्र शैक्षिक उद्देश्य और छात्रों तथा शिक्षकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखे गए हैं।

पांडुलिपि से एक आकर्षक पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए परिषद् रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के सदस्यों दिनेश वशिष्ट, *सहायक संपादक* (संविदा); पवन कुमार बरियार, *डी.टी.पी. ऑपरेटर*; नीतिन कुमार गुप्ता, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा) प्रति भी हम आभारी हैं।

© NCERT not to be republished

विषय-सूची

आमुख		*i*
पुस्तक के बारे में		*v*
इकाई 1	**सुरक्षा सेवाओं का परिचय**	**1**
सत्र 1	सुरक्षाकर्मियों की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ	5
सत्र 2	जोखिम, खतरा एवं आपात स्थिति — रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया	13
इकाई 2	**निजी सुरक्षा विनियम एवं उपकरण**	**33**
सत्र 1	पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग	33
इकाई 3	**हथियारों का परिचय एवं तात्कालिक विस्फोट उपकरण**	**58**
सत्र 1	हथियारों की पहचान	58
सत्र 2	तात्कालिक विस्फोटक उपकरण	61
सत्र 3	नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए सुरक्षा उपकरण	64
इकाई 4	**प्रवेश नियंत्रण**	**72**
सत्र 1	तलाशी एवं ज़ब्ती	73
सत्र 2	प्रवेश नियंत्रण की संरचनाएँ एवं तकनीक	85
उत्तर कुंजी		101
शब्दकोश		103
सुझाई गई सामग्री		106
वेबसाइट्स		106

© NCERT not to be republished

मिल-जुल कर स्कूल में जाएँ, साथ पढ़ें और
साथ में खाएँ। रंग-बिरंगी प्यारी दुनिया,
साथ मिलकर इसे सजाएँ।

© not to be republished

इकाई 1

सुरक्षा सेवाओं का परिचय

जब आप टहलते हुए किसी ऑटोमेटिड टेलर मशीन (ए.टी.एम.) के पास से गुज़रते हैं तो जो पहला व्यक्ति आपको दिखाई देता है, वह 'सुरक्षा गार्ड' होता है। सुरक्षा गार्ड सामान्यतया ए.टी.एम. बूथ के बाहर बैठा होता है, जहाँ वह ए.टी.एम. बूथ में प्रवेश का नियंत्रण और नियमन करता है। वह वहाँ उपस्थित रहकर ए.टी.एम. बूथ में अवैध गतिविधियों एवं ए.टी.एम. बूथ को पहुँचाए जाने वाले नुकसान को रोकता है। सुरक्षा गार्ड ए.टी.एम. की सुरक्षा के साथ-साथ बहुत से कार्य करता है, जैसे ए.टी.एम. कार्ड का उपयोग करते समय नये लोगों की मदद करना आदि। ए.टी.एम. बूथ पर तैनात सुरक्षा गार्ड बैंक एवं उसके ग्राहकों के बीच की कड़ी का कार्य करता है।

आइए, सबसे पहले हम 'सुरक्षा' शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। 'सुरक्षा' लैटिन शब्द 'सिक्यूरास' से लिया गया है, जिसका अर्थ है— 'खतरे से सुरक्षा'। इस प्रकार खतरे से मुक्ति, निश्चिंतता, चिंता से मुक्ति, चोरी से सुरक्षा, अस्थिरता, किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति से बचाव एवं असामाजिक व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के रूप में 'सुरक्षा' को परिभाषित किया जा सकता है।

तेज़ी से बदलते सामाजिक एवं तकनीकी परिवेश में सुरक्षा पहलुओं एवं कार्यों को समझना, सुरक्षा में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा प्रदान करने का मूल उद्देश्य व्यक्ति, संपत्ति एवं मालिकाना अधिकार के विरूद्ध अपराध को रोकना है। 'सुरक्षा', संरक्षा एवं खतरे से मुक्त वातावरण प्रदान करती है जिससे लोग बिना किसी डर के अपने दैनिक कार्यों एवं व्यवसायों को संचालित कर सकें।

चित्र 1.1 — नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड

© NCERT not to be republished

भारत में मुख्यतः दो सुरक्षा प्रभाग हैं— सार्वजनिक एवं निजी। सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित और सार्वजनिक हित में होती है। इन एजेंसियों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा बल शामिल होते हैं। निजी एजेंसियों द्वारा ग्राहकों से शुल्क लेकर सुरक्षा प्रदान की जाती है।

सार्वजनिक सुरक्षा

यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि नागरिकों, संगठनों एवं संस्थानों की भलाई के लिए खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह उन समूहों द्वारा प्रदान किया जाती है जो सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा विशेष रूप से वित्तपोषित सेवाएँ प्रदान करते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा समूहों के कर्तव्यों के अंतर्गत अपराधों को रोकना, अपराध पीड़ितों की मदद करना, आपराधिक आरोपों को साबित करना, जो संदेहास्पद अपराधी हों, उन्हें गिरफ़्तार करना या हिरासत में लेना, अपराध की जाँच करना, तलाशी लेना एवं गिरफ़्तारी करना, वारंट जैसे आदेशों को निष्पादित करना, घटनास्थल पर प्राप्त प्रमाणों को ज़ब्त करना एवं कोर्ट में अपराधी के विरूद्ध गवाही देना आदि शामिल है। उदाहरण के लिए, पुलिस सार्वजनिक संपत्तियों एवं नागरिकों की रक्षा करती है तथा एक व्यवस्थित समाज के निर्माण के लिए कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियमों को लागू करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ़.) सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति, जैसे हवाई अड्डे की सुरक्षा करती है। रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ़.) भारतीय रेलवे को सुरक्षा प्रदान करता है और ट्रेनों में यात्रा करने वाले नागरिकों एवं रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। होमगार्ड भारत में एक अर्धसैनिक पुलिस है, जो राज्य पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करता है। यह कानून व्यवस्था एवं उसके अनुपालन तथा रखरखाव में मदद करता है, साथ ही आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सेवा प्रदान करता है।

निजी सुरक्षा

निजी सुरक्षा से तात्पर्य है लोक सेवक के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से है, जो लोगों एवं उनकी संपत्ति दोनों की सुरक्षा की जाती है और जिसमें बख्तरबंद या हथियारबंद कार सेवा का प्रावधान भी शामिल है। निजी एजेंसियों द्वारा ग्राहकों से शुल्क लेकर सुरक्षा प्रदान की जाती है।

निजी सुरक्षा उद्योग में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति और सभी प्रकार के निजी संगठन शामिल हैं, जैसे— अन्वेषण, गार्ड, गश्ती, लाइ डिटेक्टर मशीन, एलार्म और बख्तरबंद या हथियारबंद परिवहन की सुविधा उपलब्ध

© NCERT not to be republished

होती है। सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों, जैसे— प्रशिक्षण संस्थानों और स्कूलों में सुरक्षागार्ड तैयार करना, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना आदि से भी भारत में निजी सुरक्षा गार्डों की मांग तेज़ी से बढ़ी है। कई सुरक्षा एजेंसियों ने मानवयुक्त रखवाली, कैश हैडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा परामर्श एवं सुरक्षा प्रशिक्षण जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करके विविधता को अपनाया है।

निजी सुरक्षा सेवाएँ निम्नलिखित गतिविधियों में से कम से कम एक को संदर्भित करती है —

- गैर कानूनी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना और तत्काल सूचना देना।
- धन-माल या कीमती मूल्य की अन्य वस्तुओं की चोरी या दुरूपयोग का पता लगाना, इसे रोकना।
- व्यक्तियों एवं उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करना।
- संरक्षित किए गए परिसर तक पहुँच को नियंत्रित करना।
- कैदियों को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।
- दंडित करने के लिए हिरासत में लेने या गिरफ़्तार करने की कार्यवाही करना।
- परिसर की रखवाली या गैरकानूनी उपकरणों या पदार्थों का पता लगाने के लिए कुत्तों की सुविधा उपलब्ध कराना।

ओरेगन कानून-वैधानिक शब्दावली से लिया गया है
https://www.oregonlaws.org/glossary/definition/private_security_service

एक निजी सुरक्षा गार्ड को लोगों और निजी संगठनों द्वारा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काम पर रखा जाता है। एक निजी सुरक्षा गार्ड सशस्त्र और नि:शस्त्र दोनों तरह का हो सकता है। एक सुरक्षा गार्ड अपनी क्षमता, योग्यता, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सी.एस.ओ.) के पद तक पहुँच सकता है।

सुरक्षा एजेंसी

सुरक्षा एजेंसी वह संगठन या एजेंसी है, जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए लोगों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त करती है। एक निजी सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न हैं, जिसमें निजी सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना, औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रमों में, किसी व्यक्ति या संपत्ति को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना शामिल है। भारत में निजी सुरक्षा उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम (पी.एस.ए.आर.ए.) 2005 द्वारा अनुशासित है। यह अधिनियम निजी सुरक्षा एजेंसियों और उससे

टिप्पणी

© NCERT not to be republished

जुड़े आकस्मिक मामलों और घटनाओं के नियमन के लिए मार्गदर्शन देता है। पी.एस.ए.आर.ए. जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

एक निजी सुरक्षा एजेंसी निम्नलिखित तरीकों से सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करती है—

1. मालिकाना सुरक्षा
2. संविदात्मक सुरक्षा

मालिकाना सुरक्षा

यह सुरक्षा किसी उद्यम के स्वामित्व के अधीन होती है और सुरक्षा कर्मचारी उद्यम के पेरोल पर होते हैं।

संविदात्मक सुरक्षा

संविदात्मक सुरक्षा में, एजेंसियाँ कंपनियों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ काम कर सकती हैं और उसकी सुरक्षा के लिए संविदात्मक कर्मचारियों का चयन कर सकती हैं। इस प्रकार, एक उद्यम एक सीमित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित समझौते के आधार पर सुरक्षा सेवाओं को आउटसोर्स या किराए पर उपलब्ध कराता है जिसे 'संविदा' कहा जाता है। भारत में निजी सुरक्षा उद्योग सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और यह फल-फूल रहा है। प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी को उस व्यक्ति को रोज़गार में वरीयता देने की आवश्यकता होती है जिसने सेना, नौ सेना, वायु सेना, पुलिस या होमगार्ड में सदस्य के रूप में कार्य किया हो।

चित्र 1.2 — एक निजी सुरक्षा संगठन में एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए रिपोर्टिंग संरचना

व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी

ये वो कर्मचारी हैं जो अपने नियोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर कार्यरत रहते हैं। इन्हें 'बॉडी गार्ड' या 'बाउंसर' के नाम से जाना जाता है, ये हर जगह अपने नियोक्ता के साथ उसकी सुरक्षा हेतु तत्पर रहते हैं।

आवासीय सुरक्षा गार्ड

ये सुरक्षा गार्ड आवासीय कालोनियों, अपार्टमेंट, वृद्धाश्रम और अन्य आवासीय क्षेत्रों में निवासियों को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट सुरक्षा गार्ड

ये गार्ड व्यावसायिक संपत्तियों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए नियोजित किए जाते हैं। कॉर्पोरेट सुरक्षा में कॉर्पोरेट भवनों, शॉपिंग मॉल, निजी संगठन एवं अस्पतालों की सुरक्षा शामिल है।

© NCERT not to be republished

निजी सुरक्षा गार्ड

ये सुरक्षा गार्ड व्यावसायियों एवं उद्यमियों द्वारा किराये पर लिए जाते हैं इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जान एवं माल की सुरक्षा के लिए गार्ड को रखा जाता है।

मोबाइल सुरक्षा गार्ड

मोबाइल सुरक्षा गार्ड परिधि के चारों ओर घूमते हैं और लोगों की संदिग्ध गतिविधियों का निरीक्षण एवं निगरानी करते हैं। 'परिधि' से तात्पर्य उस विशेष स्थान से है जो प्राकृतिक अवरोधकों या ईंटों से निर्मित किलेबंदी या बाड़ लगाया गया हो। यह उस स्थान से घुसपैठियों से सुरक्षित कर आसपास की अनियमित दुर्घटनाओं से उस स्थान को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

स्थायी सुरक्षा गार्ड

मोबाइल सुरक्षा गार्ड के विपरीत स्थायी सुरक्षा गार्ड एक ही स्थान पर रहकर लोगों की संदिग्ध गतिविधियों और पदार्थों की निगरानी करते हैं। ये सुरक्षा गार्ड अपने कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का भी उपयोग करते हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी न रह जाए।

सत्र 1 — सुरक्षाकर्मियों की भूमिका एवं ज़िम्मेदारियाँ

प्रत्येक कार्य विशिष्ट ज़िम्मेदारियों एवं कर्तव्यों से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसका कार्य सही पते पर पत्र बाँटना होता है पर उसे अपने कार्य की ज़िम्मेदारियों का पूरी तरह से अहसास नहीं है और वह अपना कार्य सही तरीके से नहीं करता है। इससे तात्पर्य केवल यही नहीं है कि वह समय पर पत्र नहीं पहुँचाता, बल्कि वह पत्र को गलत पते पर पहुँचाता है। उस व्यक्ति को अपने कार्य की भूमिका और कर्तव्यों का सही ज्ञान होने से कार्यकुशल बनने में मदद मिलती है। सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे विशेष रूप से सुरक्षाकर्मियों के विभिन्न कर्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है, जो उन्हें ज़िम्मेदार बनाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सुरक्षाकर्मी हमेशा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहे।

सार्वजनिक एवं निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका

एक सुरक्षाकर्मी की भूमिका सुरक्षात्मक, अन्वेषणात्मक एवं निवारक होती है।

सुरक्षात्मक भूमिका

एक सुरक्षाकर्मी की भूमिका सामान्य रूप से लोगों, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक एवं बाह्य दोनों खतरों की सूचना देना है। पुलिस अधिकारी

© NCERT not to be republished

कानून प्रवर्तन एजेंसियों का एक हिस्सा है, समुदायों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। वे कानून की व्यवस्था बनाए रखने, जनता और उनकी संपत्ति की रक्षा करने, अपराधों को रोकने, नागरिकों में अपराध के भय को कम करने, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने का कार्य करते हैं।

निवारक भूमिका

सुरक्षा की निवारक प्रकृति व्यक्ति, संपत्ति और इसको हानि पहुँचाने वाली सूचना के विरूद्ध विघटनकारी गतिविधियों को रोकने की माँग करती है। समस्या निवारण के लक्ष्य को कई कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे— किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए खुफिया एजेंसी के माध्यम से जानकारी एकत्र कर, क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) कैमरा, कुशल सुरक्षाकर्मियों एवं वायरलेस प्रणाली जैसे उत्तम विद्युतीय उपकरणों की मदद इत्यादि।

व्यक्ति के विरुद्ध हानि

इसके अंतर्गत सशस्त्र हमला, अपहरण, हत्या, बलात्कार आदि जैसी दुर्घटनाएँ शामिल हैं।

संपत्ति के विरुद्ध हानिकारक गतिविधियाँ

इसके अंतर्गत चोरी, डकैती, आगजनी, तोड़फोड़ एवं बमबारी इत्यादि शामिल हो सकती हैं।

जासूसी या साइबर का खतरा

यह मालिकाना सूचना सुरक्षा के विरूद्ध हानि का सामान्य रूप है।

खोजी भूमिका

सुरक्षा की इस खोजी भूमिका के अंतर्गत खूफिया गतिविधियों की जानकारी जुटाना आवश्यक होता है, जिससे जान-माल की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। आपराधिक मंशा वाले लोगों, हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक एवं हथियारों का प्रयोग करने वाले लोगों के विषय में यदि पहले ही पता लगा लिया जाए, तो होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हो सकता है।

खोजी सुरक्षा तब सबसे उत्तम कही जा सकती है जब शुरुआती दौर में ही उस घटना की जानकारी मिल जाती है, जो भविष्य में घटने वाली है। उदाहरण के लिए, अपराध को अंजाम देने वालों का समूह किसी इलाके में एकत्रित होकर अपराध की योजना बनाता है और सुरक्षा अधिकारी इसका पता लगा लेता है जिससे वह चौकन्ना होकर उनकी आगे की गतिविधियों पर नज़र रखकर सारी योजना की

© NCERT not to be republished

जानकारी हासिल कर लेता है। फिर समय से पहले अतिशीघ्र पुलिस को सूचित कर देता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षाकर्मी की यह खोजी भूमिका अपराध को बढ़ने से रोकने में सहायक होती है।

सुरक्षा की आवश्यकता आजकल सामान्य हो गई है। उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजक स्थानों एवं धार्मिक स्थलों जैसी जगहों पर सुरक्षा चक्र को आप भली-भाँति देख सकते हैं।

नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की सामान्य भूमिकाएँ एवं कर्तव्य

एक नि:शस्त्र सुरक्षागार्ड जब ड्यूटी पर होता है तो उसकी अनकों ज़िम्मेदारियाँ होती है। इसमें मुख्य हैं— 'अवलोकन या निरीक्षण' 'पता लगाना या रोकना' और 'सूचना देना'। लोगों का जीवन एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में हो सकती है, अक्सर वह एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के हाथों में होती है।

आइए, देखते हैं कि एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं—

निरीक्षण करना एवं त्वरित सूचना देना

'निरीक्षण' शब्द अर्थात् सावधानीपूर्वक देखना, एक सुरक्षा गार्ड के चौकन्ने व्यक्तित्व को दर्शाता है। सुरक्षा गार्ड को घटनाओं, उनके द्वारा किए गए कार्यों, कार्यों के विवरणों और अपने अवलोकनों की लिखित रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी घटना की जानकारी मिलती है तो उसकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल कर उसकी जानकारी देना आवश्यक है। उसे अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षक को यह जानकारी देना ज़रूरी है, जो उसने जाँच पड़ताल की है। असामान्य घटनाएँ घटने पर या नियम विरूद्ध कुछ भी होने पर उसकी तत्काल जानकारी देना आवश्यक है। घटित घटना के नोट और रिपोर्ट सावधानीपूर्वक तैयार करनी चाहिए क्योंकि उनका उपयोग अदालत या पुलिस सत्यापन में प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

चित्र 1.3 — नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड निगरानी करते हुए

अपराध का पता लगाना और उसे रोकना

किसी स्थल पर नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की मात्र उपस्थिति ही असामाजिक तत्वों से बचाव का कार्य करती है। हालाँकि अगर कोई गैर कानूनी कार्य करता है तो नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को तुरंत पुलिस को फ़ोन करना चाहिए और उन्हें घटना की जानकारी

© NCERT not to be republished

देनी चाहिए, जिससे वे अपराध को रोकने एवं बदमाशों को पकड़ने में सक्षम हो सकें। पुलिस के साथ समन्वय के लिए पुलिस विभाग की संरचना और कार्यों की समझ होना आवश्यक है।

जनसंपर्क

कुछ स्थानों उदाहरण के लिए आवासीय परिसर जैसी जगहों पर नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को जनता के साथ निरन्तर संपर्क में रहना पड़ता है। आवासीय परिसर के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, तो लोग सुरक्षा गार्ड से संपर्क कर सकते हैं। जनता के साथ व्यवहार करते समय सुरक्षा गार्ड को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए।

आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया

किसी भी आपात स्थिति के मामले में लोग सुरक्षा गार्ड से सहायता ले सकते हैं और गार्ड को भी स्थिति को देखते हुए समुचित ढंग से जवाब देना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक आपात प्रतिक्रिया व्यवस्था और एक अग्निशमन सुरक्षा योजना होनी चाहिए जो कि आपात स्थिति में चरणबद्ध प्रक्रिया से मदद प्रदान कर सके। आग लगने के मामले में हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड को पूरी इमारत भी खाली करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि सुरक्षा गार्ड जानता है कि उसे कब क्या करना है और वह यदि समय पर कार्य करने और निर्णय लेने में सक्षम है तो उसको जनता का विश्वास ज़्यादा हासिल होगा।

चित्र 1.4 — आगुंतक पुस्तिका में व्यक्तिगत सूचना भरती महिला

प्रवेश पर नियंत्रण

एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को किसी संगठन या संस्थान में लोगों, उनके वाहन और सामग्री के प्रवेश एवं निकासी को भी नियंत्रित करना होता है। इसके लिए कर्मचारियों और आगंतुकों के पहचान पत्र जाँचने, पैकेज एवं वाहनों का निरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है। कभी-कभी नियोक्ता को अपने श्रमिकों पर सामानों की चोरी करने और सूचनाओं के लीक होने के बारे में संदेह होता है। इस स्थिति में सुरक्षा गार्ड उस समय उनकी तलाशी ले सकता है, जब वे कार्यस्थल से जा रहे होते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और उनके पैकेजों की पहचान करना और रिपोर्ट करना भी नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के कार्य का एक हिस्सा है।

पहरा देना

एक नियमित समय के अंतराल पर पैदल या वाहन से चक्कर लगाकर उस विशेष क्षेत्र पर नज़र रखना ही 'पेट्रोलिंग' (गश्त लगाना) कहलाता है। सुरक्षा गार्ड के लिए

© NCERT not to be republished

गश्त लगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि वह एक ही स्थान पर जमा रहे। इससे उसे आसपास के पूरे क्षेत्र के जोखिमों एवं खतरों की पहचान करने में मदद मिलती है। सुरक्षा कर्मियों की गश्त अक्सर असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों को क्षेत्र विशेष के भीतर और आसपास अवैध गतिविधियों में संलग्न होने से रोकती है।

यातायात को नियंत्रित करना

जनता की सुरक्षा के लिए पैदल लोगों एवं यातायात पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। पैदल चलने वालों और यातायात को नियंत्रित करना, नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के मुख्य कर्तव्यों में से एक है। यातायात प्रबंधन एवं आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग का संचालन भी नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के कार्य का हिस्सा है। औद्योगिक या निर्माण क्षेत्रों में तैनात नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड यातायात को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं साथ ही निर्माण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए सड़क पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं। यातायात को नियंत्रित करते समय सुरक्षा कर्मियों को ट्रैफिक ड्रेस (चमकीले रंग की वेस्ट पहननी होती है जिसमें एल.ई.डी. प्रकाश अंतर्निहित होता है या वह लाइट पड़ने पर चमकती है) तथा हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। ये संकेत के रूप में फ्लैग (लाल या नारंगी रंग में एक छोटा या बड़ा झंडा) या सिग्नल बटन (लाइट या लालबत्ती) का प्रयोग करते हैं।

चित्र 1.5 — नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड गेट पर प्रवेश नियंत्रित करते हुए

जनता, संपत्ति एवं सूचना की सुरक्षा

लोगों की सुरक्षा करना

लोगों की जान की रक्षा एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। यह सुरक्षा विभिन्न तरीकों से की जाती है, जैसे— साइट पर गश्त करना, खतरों की पहचान करना और क्षेत्र विशेष में प्रवेश को नियंत्रित करना। जिनका जीवन खतरे में है, उन्हें भी सुरक्षित करना और लोगों को एस्कोर्ट या वाहन संबंधी सहायता प्रदान करना भी सुरक्षा गार्ड की ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा है।

संपत्ति की सुरक्षा करना

नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के मुख्य कर्तव्यों में से एक है कि परिसर की संपत्ति, उपकरण या सामग्री और क्षेत्र की सुरक्षा करना। गश्त के दौरान किसी दुर्घटना की आशंका

© NCERT not to be republished

की पहचान करना, इसकी त्वरित सूचना देना, आपदा को रोकने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, समय पर पता न चलने के कारण इमारत में लगने वाली आग कुछ ही समय में इमारत को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार यदि सुरक्षा प्रणाली या सुरक्षा गार्ड के द्वारा क्षेत्र विशेष को सुरक्षा ना प्रदान की जाए तो अन्य वस्तुएँ एवं उपकरण चोरी भी हो सकते हैं।

सूचना को सुरक्षा प्रदान करना

आज डिजिटल युग में सूचनाओं को संरक्षित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सूचनाओं को गुप्त रखना 'गोपनीयता' कहलाता है। 'एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड' के पास अक्सर उस इमारत के उन विभिन्न हिस्सों की चाबियाँ होती हैं जिनमें अन्य दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर पाते। सुरक्षा गार्ड का कर्तव्य है कि ऐसी गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और उसकी पहुँच को नियंत्रित किया जाए जिसे संगठन के केवल कुछ सदस्यों के साथ ही साझा किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी या डाटा तक कई तरीकों से पहुँचा या नष्ट किया जा सकता है। नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की ज़िम्मेदारियों में लोगों को इस तरह से एस्कॉर्ट करना भी शामिल है कि लोगों की पहुँच प्रतिबंधित क्षेत्र तक न हो। यह सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व है कि उनकी पहुँच गोपनीय डाटा तक न हो सके। कभी-कभी सूचनाएँ चोरी या लीक होने का खतरा होने पर, सतर्क सुरक्षा गार्ड निम्न स्थितियों में चोरी या लीक होने से रोक सकता है—

1. कुछ महत्वपूर्ण फाइलें, जो असुरक्षित रूप से दूसरी जगह पहुँच गई हों जहाँ उन तक किसी की भी पहुँच आसानी से होती हो।
2. अनाधिकृत लोगों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाएँ।

यदि सुरक्षा गार्ड को इस तरह की चोरी या लीक या ऐसे किसी खतरे का अंदेशा हो जाए तो उसे इसकी त्वरित सूचना अपने पर्यवेक्षक को देनी चाहिए।

सुरक्षा के खतरों को भाँपकर तुरंत सूचित करना

किसी भी प्रकार के खतरे से तात्पर्य किसी बड़े जोखिम या खतरे की आशंका से है। नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड क्षेत्र विशेष पर गश्त कर उसकी सुरक्षा करते हैं तथा किसी भी प्रकार के जोखिम या खतरे या खतरे की आशंका की सूचना तुरंत देते हैं। किसी भी खतरे का पता लगने पर आपदा को रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्य किया जाता है।

आधिकारिक प्रक्रिया एवं निर्देश

किसी भी संगठन या संस्था में शामिल होने के समय नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों को पर्यवेक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है।

© NCERT not to be republished

किसी भी संगठन या संस्था में कार्य करते समय उसकी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) को जानना अनिवार्य है, जो संगठन की नीतियों और काम करने के तरीकों को परिभाषित करती है। यह कंपनी के सभी स्थलों से संबंधित है। इसके अंतर्गत सुरक्षा गार्ड की वर्दी, समय की पाबन्दी और जनता के साथ व्यवहार करने जैसी अपेक्षाएँ शामिल हैं। एस.ओ.पी. के अलावा ऐसे क्षेत्र विशिष्ट निर्देश हैं, जिन्हें 'पोस्ट-आर्डर्स' के रूप में जाना जाता है, जो संगठन के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रवेश द्वार की सुरक्षा के निर्देश और पार्किंग क्षेत्र की देखभाल करने के निर्देश भिन्न होंगे, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि पोस्ट आर्डर्स क्षेत्र विशेष में कर्तव्य का विवरण देते हैं। क्षेत्र विशेष के निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—

1. आपातकालीन संपर्क नंबर
2. पद का स्थान
3. कार्य की शिफ़्ट
4. गश्ती की प्रक्रिया
5. आपातकालीन परिस्थिति में रिपोर्टिंग का प्रक्रिया।

सुरक्षा गार्ड को एस.ओ.पी. और क्षेत्र विशेष के निर्देशों में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए सभी अपडेट्स को पढ़ना चाहिए। उनको विशेष निर्देश वाले मेमो या नोटिस भी प्राप्त होते हैं जिनमें ऐसे निर्देश शामिल होते हैं, जो प्रारंभिक निर्देशों में शामिल नहीं है। कोई विशिष्ट घटना के लिए या घटना घटने के बाद स्थायी निर्देश के रूप में इस प्रकार के निर्देश दिए जा सकते हैं।

यदि किसी विषय पर नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को अपने कर्तव्य या ज़िम्मेदारियों के विषय में कोई संदेह है तो वह पर्यवेक्षक से सवाल पूछकर अपने संदेह को दूर कर सकता है।

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

एक शॉपिंग मॉल और ए.टी.एम. बूथ या किसी अन्य जगह पर जाएँ तो वहाँ गेट पर आप नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को देख सकते हैं। गार्ड को दूर से देखें और उसकी गतिविधियों को नोट करें, जो वह अपने कार्य के हिस्से के रूप में कर रहा है। आपने उसे जो भी कार्य या गतिविधियाँ करते हुए देखा, इसके अलावा वे कौन-से कार्य (गतिविधियाँ) हैं, जो आपको लगता है कि सुरक्षा गार्ड को करने चाहिए?

© NCERT not to be republished

अपनी प्रगति जाँचे

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इसमें से कौन-सी एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की ज़िम्मेदारी नहीं है?
   - क. अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ़्तार करना
   - ख. परिसर में आपराधिक गतिविधियों को रोकना
   - ग. आपातकालीन परिस्थिति में उच्च अधिकारियों को सूचित करना
   - घ. परिसर में आए लोगों एवं उनके वाहनों पर नज़र रखना
2. गश्त लगाने से क्या तात्पर्य है—
   - क. आपातकालीन परिस्थिति की सूचना देना
   - ख. प्रवेश द्वार पर आने-जाने वालों की जाँच करना
   - ग. तकनीक के प्रयोग द्वारा यातायात को नियंत्रित करना
   - घ. परिसर के चारों तरफ़ चक्कर लगाकर निगरानी करना
3. 'गोपनीयता' शब्द..... से संबंधित है?
   - क. संपत्ति की सुरक्षा करने
   - ख. सूचनाओं की सुरक्षा करने
   - ग. लोगों की सुरक्षा करने
   - घ. सुरक्षा गार्ड का विश्वास एवं रवैये

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो

1. सूचनाओं को गुप्त रखने को ..... कहा जाता है।
2. सभी स्थितियों में, एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड का कर्तव्य ....., पता लगाना एवं ..... है।
3. मानक ..... प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) से तात्पर्य कंपनी की नीतियों और संचालन करने की प्रक्रिया से है।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की भूमिका एवं कर्तव्यों का वर्णन करें?
2. 'गोपनीयता' क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल में कोई गोपनीय डाटा है? यदि हाँ, तो एक उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि ऐसा गोपनीय डाटा लीक हो जाए तो इसका क्या परिणाम या नुकसान होगा?
3. 'पोस्ट आर्डर्स' क्या होते हैं?

© NCERT not to be republished

आपने क्या सीखा?

इस सत्र को पूर्ण करने के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- सुरक्षा के उद्देश्य का वर्णन करना।
- एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की भूमिका एवं उसके कर्तव्यों को पहचानना।
- विभिन्न प्रकार की सुरक्षा एवं उनके बीच अंतर को समझना और प्रदर्शित करना।
- नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की सुरक्षात्मक, निवारक एवं खोजी भूमिका के बीच अंतर करना।

टिप्पणी

सत्र 2 — जोखिम, खतरा एवं आपात स्थिति — रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया

आपने देखा होगा कि कोई भी स्थान या जगह खतरे से खाली नहीं होती है, खतरा हर जगह होता है। हालाँकि, जोखिम की स्थिति कुछ निश्चित स्थानों एवं निश्चित समय पर अधिक होती है। रात में किराने की दुकान की तुलना में बैंक में चोरी का जोखिम अधिक हो जाता है। वह व्यक्ति जो जोखिम एवं खतरों से भली-भाँति अवगत है, वह एक अप्रिय घटना के प्रभाव को रोकने और उसे कम करने के लिए उचित समय पर कार्यवाही कर सकता है।

संपत्ति एवं उसका जोखिम

'जोखिम' से तात्पर्य कुछ मूल्यवान वस्तु के खोने की आशंका से है। एक व्यक्ति, वस्तु या सूचना जिसे मूल्यवान माना जाता है, जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है उसे संपत्ति कहा जाता है। यदि किसी ऐसी घटना (जैसे— मृत्यु, चोट, चोरी या क्षति) की आशंका हो, जिससे संपत्ति पर प्रभाव पड़ सकता है, उसमें जोखिम शामिल होता है। नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड का यह कर्तव्य है कि ऐसी घटना के लिए निवारक उपाय करें या कार्यवाही करके उसे रोकने का प्रयास करें। जोखिम के प्रकारों और स्तरों की जानकारी होने से सुरक्षा गार्ड उसके अनुसार योजना बना सकता है और इससे स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है।

जोखिम का स्तर

नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है। यह भी संभव है कि वह एक सप्ताह कम जोखिम वाली जगह पर काम करें और अगले दिन उच्च जोखिम वाली जगह पर। जोखिम का स्तर एक दिन के दौरान भी परिवर्तित हो सकता है।

© NCERT not to be republished

उच्च स्तर का जोखिम

1. एक क्षेत्र में या साइट पर अकेले कार्य करना।
2. अपराध एवं हिंसा वाले क्षेत्र में पोस्टिंग हो जाना।
3. रात की पाली में गश्त करना।

उपरोक्त परिस्थितियाँ अक्सर असुरक्षित होती हैं और विशेषकर तब जब दो परिस्थितियाँ एक साथ होती हैं। उदाहरण के लिए, सुरक्षा गार्ड रात में एक आभूषण की दुकान की रखवाली करने वाला एकमात्र व्यक्ति हो सकता है वो भी उस क्षेत्र में, जहाँ आपराधिक मामले ज़्यादा होते हैं।

मध्यम जोखिम की स्थिति

मध्यम जोखिम की स्थिति तब बनती है जब देर शाम की पाली में, कर्मचारी या ग्राहक उस साइट को छोड़ने वाले हों।

कम जोखिम की स्थिति

कम जोखिम की स्थिति दिन की पाली में होती है।

खतरा

अतिसंवेदनशीलता (भेद्यता) एवं जोखिम से इसका संबंध

खतरा ऐसी कोई भी स्थिति या परिस्थिति हो सकती है, जिसमें कोई व्यक्ति अतिसंवेदनशीलता (यानी सुरक्षा में आई कमज़ोरी या अंतराल) का लाभ उठाकर या जानबूझकर या गलती से व्यक्ति, सामग्री या जानकारी को प्राप्त या नष्ट कर सकता है। खतरा जोखिम पैदा करने के लिए अतिसंवेदनशीलता का लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए, एक घुसपैठिया स्वयं में खतरा है, बाड़ की अनुपस्थिति अतिसंवेदनशीलता की स्थिति है। ऐसे में उद्योग स्थल से सामग्री की चोरी का जोखिम बढ़ जाता है। जैसे आग एक खतरा है, बाहर निकलने के मार्गों का न होना इस आग के खतरे को अतिसंवेदनशील बना देता है। आग के कारण किसी की जान चले जाने का जोखिम इससे और अधिक बढ़ जाता है।

संपत्ति + खतरा + अतिसंवेदनशीलता = जोखिम

यदि हम एक आभूषण स्टोर का उदाहरण लें, जिसकी एक सुरक्षा गार्ड सुरक्षा कर रहा है, तो यह जोखिम होगा—

स्टोर पर आभूषण (संपत्ति) + शहर में अपराधी (खतरा) + रात में दुकान के आस-पास प्रकाश की कमी (अतिसंवेदनशीलता) = लूट की आशंका (जोखिम)।

© NCERT not to be republished

खतरों के प्रकार

किसी संस्थान या संगठन के लिए निम्नलिखित खतरे हो सकते हैं—

दुखी ग्राहक

सेवा से दुखी ग्राहक आक्रामक होकर उत्पाद मचा सकते हैं, जिससे संगठन की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यह अक्सर अस्पतालों के मामले में होता है, जब लोगों को लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई।

क्रोधित कर्मचारी

असंतुष्ट और नाराज कर्मचारियों का समूह, संगठन के लोगों के जीवन, साथ ही स्थल पर संग्रहित सामग्री के लिए खतरा हो सकता है।

प्रदर्शनकारी

ये लोग पड़ोस में रहने वाले लोग हो सकते हैं, जिन्हें संगठन के कारण समस्याओं (जैसे वायु प्रदूषण या दूषित पानी) का सामना करना पड़ सकता है।

शरारती या उत्पादी तत्व

मौज-मस्ती या रोमांच के लिए बम प्लांट की नकली धमकी देने वाले लोगों को शरारती या उत्पादी लोगों के समूह में शामिल किया जाता है। ये लोग संगठन की गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं, जिससे नुकसान का खतरा होता है।

अपराधी

इस समूह में ऐसे लोग आते हैं जो कानून तोड़ने वाले होते हैं। संस्थान या संगठन को इस तरह के खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे— नशीली दवाओं के दुरुपयोग, कर्मचारियों या ग्राहकों का नशे में होना, हिंसा, अत्यधिक भीड़-भाड़, आग लगने पर निकासी मार्ग का अवरूद्ध होना और अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा होना।

जोखिम

जोखिम की स्थिति किसी ऐसी चीज़ या किसी व्यक्ति को संदर्भित करती है जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खतरे को अधिकतर खतरे के साथ विनिमय के रूप में उपयोग किया जाता है।

आपात स्थिति

आपात स्थिति अर्थात वह घटना, जो अचानक घटी हो या घटने वाली हो और जो पर्यावरण या संगठन के कर्मचारियों जीवन या संपत्ति को खतरे में डालती है।

चित्र 1.6 — आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

© NCERT not to be republished

इसके लिए महत्वपूर्ण एवं समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति को 'आपात स्थिति' कहा जाता है।

ज़्यादातर मामलों में, आपात स्थिति में स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए 'प्रशामक' प्रयासों की आवश्यकता होती है। हालाँकि प्रशामक प्रयास उस स्थिति में संभव नहीं हैं जब घटना पहले ही घट चुकी हो। ऐसे में केवल तकलीफ़ को कम करने वाली देखरेख ही की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि शॉपिंग मॉल के पार्किंग क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो गई है और अग्निशमन संभव नहीं है तो इस तरह के मामले में तो पहले घायल होगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देना आवश्यक हो जाता है।

आपात स्थिति में नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को ज़िम्मेदारी निभाने और सहायता करने की आवश्यकता होती है। गार्ड को ज़िम्मेदारी से कार्य करना पड़ता है। संगठन की आपात स्थिति योजना यह बताती है कि विभिन्न आपात स्थितियों की आपात योजना को बार-बार पढ़ना एवं कई मॉक ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होता है कि सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर क्या करना है।

अवलोकन करना एवं सूचना देना

नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के मूल कर्तव्यों में से एक अवलोकन करना और सूचना देना है। अगर इन गतिविधियों को समय पर और कुशलतापूर्वक किया जाता है, तो संपत्ति का जोखिम (यानी लोगों और उनकी संपत्ति) कम हो जाता है, क्योंकि नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड खतरों की पहचान कर सकते हैं एवं सुरक्षा की खामियों को पहले ही दूर कर सकते हैं।

चित्र 1.7 — क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कौन की रिपोर्ट करना

अवलोकन करने से विस्तृत नोट्स या रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। नोट्स के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। इससे सुरक्षा व्यवस्था में खामियों को खोजने एवं उन्हें ठीक करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की मदद भी की जा सकती है। रिपोर्टिंग के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों से संवाद करना भी शामिल है कि क्या अवलोकन किया गया? उदाहरण के लिए, जब पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन या अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए कॉल किया जाता है, तो उसकी विस्तृत जानकारी आवश्यक हो जाती है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ या किसने किया?

© NCERT not to be republished

आप कौन हो और आपसे वापस संपर्क कैसे किया जा सकता है?
क्या हुआ है और क्या हो रहा है?
यह कब हुआ?
यह क्यों हुआ?
यह कहाँ हो रहा है?
यह कैसे हुआ?

आवश्यकता के समय यह जानकारी मौखिक रूप से भी ली जा सकती है या फिर लिखित रिपोर्ट के रूप में भी ली जा सकती है। मौखिक जानकारी के बाद यदि लिखित रिपोर्ट भी तैयार की जाए, तो यह बेहतर है। नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान होने वाली असामान्य घटनाओं, साथ ही नियमों के उल्लंघन के मामलों की सूचना देने या रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है।

सुरक्षा गार्ड को नोट्स और रिपोर्ट के महत्व को समझना चाहिए, जिन्हें कानून की अदालत में प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है।

प्रतिक्रिया तंत्र — संदिग्ध पैकेज एवं हथियारों का खतरा

संदिग्ध पैकेज

संदिग्ध पैकेज, जैसे पत्रों का दुरुपयोग किसी संगठन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें जान या संपत्ति की हानि का खतरा होता है। यह भी हो सकता है कि ऐसे पैकेज हानिरहित हों, परंतु इसके पीछे किसी की मंशा संगठन के कार्य में अवरोध पैदा करने और लोगों में भय का माहौल पैदा करने की भी हो सकती है।

चित्र 1.8 — संदिग्ध पैकेज

किसी भी संदिग्ध पैकेज को पहचानना सदैव आसान नहीं होता। इस तरह के खतरे को कम करने का बेहतर तरीका है कि उन्हीं पैकेजों को स्वीकार करें जिनकी डिलिवरी ऑर्डर से मैच करे या जिनके स्वीकार करने का आदेश हो। इसके प्रति सावधानी रखने का दूसरा तरीका ये है कि कोई भी डिलिवरी या सप्लाई विश्वसनीय कूरियर या आपूर्तिकर्ता से ही स्वीकार करें और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें।

किसी भी संदिग्ध पैकेज को पहचानने का कोई भी मानक तरीका नहीं है, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सावधानी बरतने पर इस प्रकार के संदिग्ध पैकेजों से बचा जा सकता है, वो हैं —

1. यदि पैकेट पर भेजने वाले का नाम और पता न हो।
2. पैकेट किसी परिचित पते का ना हो।
3. सामग्री का वज़न आकार की तुलना में ज़्यादा होना।
4. पैकेट की ठीक पैकिंग न होना।

© NCERT not to be republished

5. पैकेट के वायर (तार) निकले हुए हों।
6. पैकेज लीक हो या चिपचिपा पदार्थ बाहर आ रहा हो।
7. पैकेज से गंदी महक आ रही हो।
8. पैकेट पर तेल के निशान हों।
9. पैकेट भीगा हो या नम हो।
10. पैकेट को छूते ही, त्वचा, आँखों एवं नाक में खुजली तथा जलन होना या अचानक से बीमार होना।
11. जिस व्यक्ति ने पैकेज डिलिवर किया हो, उसका नाम और पता बताने से इंकार करना।

प्रतिक्रिया तंत्र

1. शांत रहें एवं अतिशीघ्र पुलिस को सूचना दें।
2. यदि आप किसी कारणवश पैकेज पकड़ लेते हैं तो उसे किसी बराबर स्थान पर रख दें और अपने आसपास फैली सामग्री को उस पैकेज से दूर कर दें।
3. वह स्थान छोड़कर कहीं और न जाएँ।
4. पैकेज को बाकी सामानों से अलग-अलग रखें जिससे उसकी पहचान करने में आसानी हो।
5. उस क्षेत्र को खाली कर दें। तुरंत फायर अलार्म का प्रयोग करें। लोगों में घबराहट न हो, इसलिए सबके कमरे में जाकर सबको खतरे के बारे में सूचित करें और लोगों से इमारत खाली करने को कहें।
6. यदि लोग संदिग्ध पैकेज के संपर्क में आ जाते हैं (छलकने, जलन या बीमारी के माध्यम से), तो ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ और बाकी लोगों से अलग ही रखें।
7. प्रभावित लोगों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करें।

हथियार का खतरा

यदि कोई शस्त्र से हमला करता है (जैसे बंदूक आदि) तो सबसे उचित तरीका यह है कि 'दौड़ना-छिपना-बताना', विशेषकर जब सुरक्षा गार्ड नि:शस्त्र हो।

दौड़ना

सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ें, आरंभ में किसी की आड़ लें और अतिशीघ्र उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें। उस क्षेत्र से दूर भागना भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सुरक्षित मार्ग का चयन करते हैं।

© NCERT not to be republished

1. यदि अपना सभी सामान ले जाना संभव न हो, तो सेल फ़ोन को लेकर बाकी सभी सामान छोड़ दें।
2. कभी भी खुले क्षेत्रों में इकट्ठे न हों या निकासी स्थानों की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि इससे पूरा समूह खतरे में पड़ सकता है।
3. उन लोगों का मार्गदर्शन करें, जो उस स्थान से अपरिचित हैं।
4. गन फायर से बचने के लिए ईंट या सीमेंट की दीवार की आड़ लें।
5. वाहन (इंजन ब्लॉक क्षेत्र) बहुत सारी ऐसी बड़ी चीज़ें होती है जिसकी आड़ लेकर सुरक्षित रहा जा सकता है, जैसे पेड़ आदि के पीछे भी छिपकर स्वयं को बचा सकते हैं।

छिपना

यदि 'दौड़कर' भागना सुरक्षा की दृष्टि से उचित न हो, तो 'छिपना' सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य दूसरी प्रक्रियाओं को भी अपनी सुरक्षा के लिए विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है, जैसे—

1. क्षेत्र को लॉक या बैरीकेड्स लगाकर सुरक्षित कर सकते हैं।
2. उस क्षेत्र की पहचान करें, जहाँ छिपा जा सकता है, जैसे— खिड़की, दरवाज़े या बालकनी आदि।
3. शांत रहे और उस स्थान या क्षेत्र को तभी छोड़ें, जब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना उचित हो।
4. सेल फ़ोन, रेडियो या अन्य उपकरणों को साइलेंट मोड पर डाल दें, जिससे सुरक्षा में व्यवधान न हो।
5. अंतिम विकल्प के रूप में आप सशस्त्र हमलावरों से सामना होने पर स्वयं को बचाने के लिए हथियारों का प्रयोग भी कर सकते हैं।

बताना

आपात स्थिति में पुलिस या आपातकालीन सहायता नंबर पर सूचित करें। क्षेत्र के बारे में पुलिस या वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करना, बदमाशों को पकड़ने में और उस क्षेत्र को सुरक्षित करने में उनकी मदद कर सकता है। हालाँकि, किसी को जानकारी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जानकारी लेने वाला अपराधी न हो, ऐसा करके यानी अपराधी को क्षेत्र से अवगत कराकर आप स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। निम्न जानकारी साझा करने का प्रयास करें—

1. उस स्थान के विषय में जानकारी दें, जहाँ घटना घटी हो।
2. अपराधी की शारीरिक कद-काठी के विषय में बताएँ।

(क)

(ख)

(ग)

चित्र 1.9 (क,ख,ग) — सशस्त्र हमले की स्थिति में किए जाने वाले कार्य

© NCERT not to be republished

3. उस क्षेत्र में अपराधी की गतिविधियों से अवगत कराएँ।
4. प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की जानकारी दें।
5. घटना के समय वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या के बारे में बताएँ।
6. घायल होने वाले लोगों की संख्या की जानकारी दें।
7. अपराधी के इरादे के बारे में बताएँ, यदि आपको इसका अंदाज़ा हो, तो वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी चर्चा करें।

वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को लाइन पर बने रहने और स्थिति बदलने के साथ अपटेड प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। कोई भी दुर्घटना होने पर आपातकालीन सेवाओं के लिए संपर्क नंबर तालिका 1.1 में दिए गए हैं —

तालिका 1.1 — भारत में आपातकालीन संपर्क सेवा

क्र. संख्या	आपातकालीन सेवा	सहायता सेवा संपर्क नंबर
1.	पुलिस	100
2.	अग्निशमन	101
3.	एम्बुलेंस	102
4.	रक्त बैंक	104
5.	महिलाओं के लिए सहायता सेवा	181 और 1091
6.	पर्यटक सहायता सेवा	1363
7.	बाल सहायता सेवा	1098
8.	गैस रिसाव से सहायता सेवा	1906

चित्र 1.10 — हाथ धोने का संकेत

कार्यस्थल पर सामान्य जोखिम

नये एवं अप्रत्याशित खतरे किसी भी समय उत्पन्न हो सकते हैं। इन खतरों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है—

स्वच्छता संबंधी खतरे

हानिकारक ठोस, तरल पदार्थों और गैसों से हाथों, चेहरे और शरीर के अन्य बाह्य अंगों को संक्रमण हो सकता है, जो हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के लिए यह अतिसंवेदनशील हो सकता है। यह एक वायरस है जो यकृत को प्रभावित करता है। खाना खाने से पहले साबुन और साफ़ पानी से हाथ धोना महत्वपूर्ण है।

जंग लगी कीलों, टिन या धारदार और नुकीले लोहे से चोट लगने पर टेटनेस हो सकता है। यह टेटेनस के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह जीवाणु, एक विषाक्त

© NCERT not to be republished

पदार्थ पैदा करता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे माँसपेशियाँ कठोर हो जाती हैं। टेटनेस के शुरुआती लक्षणों में दस्त, बुखार और सिरदर्द शामिल हैं।

उपकरण और मशीनरी संबंधी खतरे

निम्नलिखित के कारण चोट भी लग सकती है—

1. मशीनी या धारदार वस्तुओं का उपयोग।
2. भारी वाहनों में भारी सामग्री उतारते-चढ़ाते समय।
3. वाहनों की तेज़ रफ्तार।
4. संरक्षा विहीन मशीनरी या दोषपूर्ण उपकरण।

खतरनाक पदार्थों या खतरनाक सामग्री के संपर्क में आना

1. ज्वलनशील, विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ, जैसे— गैस सिलेण्डर आदि।
2. धूल या अन्य कण, जैसे हवा में फैले हुए कांच के छोटे-छोटे कण आदि, जो सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
3. कारखानों में रखा गया खतरनाक रसायन।

ऊँचाई पर कार्य करते हुए गिरने का खतरा

व्यक्ति को निम्नलिखित के प्रति सावधान रहना चाहिए—

1. सीढ़ी या इमारतों से गिरने को लेकर।
2. डंपिंग प्लेटफार्म से गिरने को लेकर।
3. प्रकाश की कमी एवं तरल पदार्थ पर फिसलने के खतरे को लेकर।

हाथों से कार्य करने से खतरा

कार्यस्थल पर हाथों से कार्य करते समय निम्नलिखित बातों में सावधानी रखने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है—

1. अपशिष्ट पदार्थों में से धारदार चीज़ों को अलग कर दें।
2. वाहनों से भारी सामान उतारते समय सावधानी रखना।
3. मुख्य रूप से ज़्यादा भार उठाने को लेकर सावधान रहना।

शोर होना

1. बड़े कारखानों में लगातार शोर होना, कार्यस्थल पर आवागमन करने वाले वाहनों से लगातार शोर होना।
2. कार्य के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना।
3. इयर प्लग पहनने से व्यक्ति पास के वाहन की आवाज़ सुनने में असमर्थ हो जाता है।

© NCERT not to be republished

विद्युतीय खतरे

1. ओवर हेड या भूमिगत रूप से संचालित बिजली प्रणाली
2. विद्युत प्लग या विद्युत तार को खुला या खराब ढंग से रखना।

संकरे स्थान के खतरे

इसके अंतर्गत सेप्टिक टैंक, गड्ढा, मेनहोल, सिलोस, कंटेनर, टनल आदि संकरे स्थान आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर तभी कार्य कर सकता है जब वह पूरी तरह से प्रशिक्षित हो और उसे ऐसा करने के लिए पर्यवेक्षक से विशेष अनुमति मिली हो।

आग के खतरे

कार्यस्थल पर आग लगने के सामान्य कारणों के प्रति लापरवाही बरतने से भी खतरा हो सकता है। इसमें धूम्रपान, माचिस की तीली को खुले में फेंकना, दहनशील सामग्री से अपर्याप्त दूरी, दोषपूर्ण विद्युत उपकरण एवं घटिया विद्युत तार आदि शामिल हैं।

अग्निशामक यंत्र का प्रयोग

आग बुझाने के लिए आपके पास आग बुझाने की मशीन पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है। इसे तत्काल पहुँचाने की सुविधा भी होनी चाहिए एवं सुरक्षा इकाई को आग बुझाने एवं अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका भी पता होना चाहिए। आग बुझाने के यंत्र का उपयोग करने से पहले आग के आकार और फैलाव से होने वाले जोखिम का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, जैसे— आग कितनी भयंकर है, वायुमंडल एवं आग के निकासी मार्ग के आसपास का वातावरण कैसा है आदि। अब हमें अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने से पहले कौन-कौन से चरणों का पालन करना चाहिए, उसको जानना आवश्यक है। इसकी प्रक्रिया को याद रखने के लिए 'पी.ए.एस.एस. (PASS)' शब्द को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे— पुल (खींचना), ऐम (लक्षित करना), स्कवीज (दबाएँ) एवं स्वीप (घूमाएँ)।

चित्र 1.11 — अग्निशामक यंत्र के उपयोग के चरण

चरण 1 पुल (खींचना)

अग्निशामक यंत्र से पिन को बाहर निकालें। इससे आप आग बुझाने वाले एजेंट यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, फोम आदि से आग बुझा सकते हैं।

चरण 2 ऐम (लक्षित करना)

अग्निशामक यंत्र की टोंटी को, आग के आधार पर लक्षित करें, लेकिन आग से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें।

© NCERT not to be republished

चरण 3 स्कवीज (दबाएँ)

हैंडल को दबाएँ, जिससे आग बुझाने वाला एजेंट पाइप से तुरंत निकलेगा।

चरण 4 स्वीप (घूमाएँ)

एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ घूमाते रहें, लेकिन इसे आग के आधार पर लक्षित रखें, जब तक कि आग बुझ न जाए।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत खतरों की पहचान एवं उसका आकलन अधिक आवश्यक है। जोखिम को खत्म करने या उसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय कारगर साबित होगा, इसकी पहचान करना आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन कार्यस्थल पर की जाने वाली गतिविधियों पर लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर प्रयोग में आने वाली सामग्री एवं गतिविधियों का प्रयोग करना आवश्यक है। इससे तात्पर्य यह है कि जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत यह नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड का दायित्व होता है कि वह स्वयं को एवं दूसरों को कैसे सुरक्षित रखे, वह इस बात की योजना बनाकर रखता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओ.एच.एस.) की योजना के अंतर्गत चार चरण महत्वपूर्ण हैं— पहचान, जोखिम का आकलन, जोखिम को खत्म या नियंत्रित करने और अपनाए गए उपायों की निगरानी करना।

जोखिम प्रबंधन में उठाए जाने वाले कदम

इसके अंतर्गत चार चरणों को शामिल किया जाता है—

चरण 1. जोखिम एवं खतरे की पहचान करना

चरण 2. खतरों के साथ जुड़े जोखिमों का आकलन करना

चरण 3. जोखिम को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए कुशल व्यावहारिक उपाय को लागू करना

चरण 4. नियंत्रण करने वाले उपायों की भी निगरानी करते रहना।

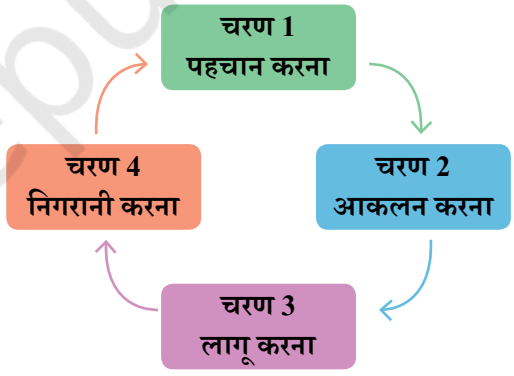

चित्र 1.12 — जोखिम प्रबंधन में शामिल चरण

जोखिम एवं खतरों की पहचान करना

हम कार्यस्थल पर बहुत सारे खतरों और जोखिमों के बारे में जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने यह भी सीखा है कि कार्यस्थल पर खतरों का संबंध स्वच्छता, औज़ारों और मशीनरी के उपयोग, खतरनाक पदार्थों या रसायनों, ऊँचाई पर काम करने, बिजली की फिटिंग या तारों का मैनुअल संचालन एवं आग आदि से हो सकता है। आइए, अब यह समझने का प्रयास करें कि हम कार्यस्थल पर खतरों और जोखिमों की पहचान कैसे करें। इन खतरों और जोखिमों की पहचान निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है—

© NCERT not to be republished

घटनाओं की रिपोर्ट

अतीत में हुई घटनाओं एवं उसकी रूपरेखा की रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए, जिससे यदि भविष्य में कोई वैसी ही घटना घटती है तो उस रिपोर्ट की मदद ली जा सकती है।

आत्म निरीक्षण चेकलिस्ट

यह आत्म निरीक्षण चेकलिस्ट वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को नियमित और आपातकालीन स्थिति के लिए योजना बनाने में भी मदद करती है। साथ ही मशीनों या उपकरणों के रखरखाव के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी प्रदान करें।

अवलोकन करना

कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों की दैनिक गतिविधियों और कार्यों का अवलोकन करके भी जोखिम या संभावित खतरों का पता लगाया जा सकता है।

जानकारी साझा करना

अतीत में घटी घटनाओं और उन घटनाओं का सामना करने के बारे में अपने अनुभव साझा करना भी सावधानी बरतने और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने में सहायक होते हैं।

विशेषज्ञों से परामर्श

क्षेत्र के विशेषज्ञ परामर्शदाता भी उस क्षेत्र की आपदा को पहचानकर खतरों को रोकने, उनका शमन करने में मदद करते हैं।

नियमित रखरखाव की जाँच करना

नियमित रखरखाव से जोखिम बढ़ाने वाली समस्याएँ कम हो सकती हैं, जैसे— रिसाव या पूरी प्रणाली के ठप्प होने आदि समस्याओं से बचा जा सकता है। इस रखरखाव की एक योजना बननी चाहिए जिसके अंतर्गत एक अंतराल के बाद उपकरण का रखरखाव करना सुनिश्चित किया जाए और निर्माता के निर्देशानुसार बताए गए एक समय अंतराल पर उपकरण की सर्विस होनी चाहिए।

जोखिम का आकलन

जब किसी एक खतरे की पहचान हो जाए तो उससे संबंधित दूसरा कदम जोखिम तक पहुँचना है ताकि कार्यस्थल पर उससे किसी को हानि ना पहुँचे। किसी भी जोखिम का सामान्य रूप से आकलन इस रूप में भी किया जाता है कि उससे कोई व्यक्ति कितना गंभीर रूप से घायल या अस्वस्थ हो सकता है, उस जोखिम से

© NCERT not to be republished

कितनी गंभीर हानि की आशंका है। जोखिम का आकलन निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है—

1. खतरे की पहचान।
2. खतरे से संबंधित जोखिमों का आकलन या मूल्याँकन करना।
3. खतरे को दूर करने या उसे नियंत्रित करने के समुचित तरीकों का पता लगाना।

गंभीरता का आकलन करना

खतरे की गंभीरता और उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह सोचिए और आकलन कीजिए कि खतरे से किसी के प्रभावित होने की कितनी आशंका है।

1. जोखिम से हानि की आशंका बहुत अधिक होना — जो कभी भी हो सकती है।
2. आशंका होना — कभी-कभी ऐसा हो सकता है।
3. कम आशंका होना — बहुत कम संभावना है।
4. बहुत कम आशंका होना — होना तो संभव है, लेकिन ऐसा शायद कभी न हो।

गंभीरता एवं उसके परिणाम का आकलन करना

खतरे की गंभीरता को देखते हुए विचार करें कि उसमें क्या जोखिम हो सकता है—

1. मृत्यु, स्थायी विकलांगता या गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है।
2. दीर्घकालीन बीमारी या गंभीर चोट का कारण बन सकता है।
3. किसी को उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है।
4. किसी को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है।

किसी भी खतरे की गंभीरता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. अत्यधिक जोखिम — इसमें तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है।
2. उच्च स्तर का जोखिम — इसमें शीघ्रता से कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है।
3. मध्यम स्तर का जोखिम — जिसमें एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है।
4. न्यूनतम स्तर का जोखिम — जिसमें तत्काल आवश्यकता नहीं है, अपितु एक महीने के भीतर कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है।
5. कोई जोखिम नहीं — कार्यवाही की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।

© NCERT not to be republished

जोखिम के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. कोई व्यक्ति किसी खतरनाक स्थिति का कितने समय से सामना कर रहा है।
2. व्यक्ति किस तरह के खतरे का सामना कर रहा है (जैसे भाप के संपर्क में आने पर त्वचा पर प्रभाव)
3. खतरे की समय अवधि के अनुसार उसका प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है।

कार्यस्थल पर जोखिम का आकलन करके कई जोखिमों और खतरों का पता लगाया जा सकता है। यह संभव है कि इन खतरों का निपटारा एक बार में किया जाना संभव नहीं हो, इसलिए इसके लिए योजना बनाना और कार्यवाही करने की वरीयता निर्धारित करना आवश्यक है। सबसे गंभीर खतरा अर्थात जो कभी भी हो सकता है उनकी प्रकृति सबसे गंभीर होती है। ऐसे खतरों से लगने वाली चोट या होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का निदान सबसे पहले किया जाना चाहिए। जोखिम आकलन के कारकों को तालिका 1.2 में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका 1.2 — जोखिम मूल्यांकन के तत्व

जोखिम की जाँच या तलाश	• हर समय खतरे की जाँच या तलाश में रहे। • खतरे की सूचना देने के लिए प्रणालियों का उपयोग करें, ताकि उनके समाधान के लिए कुछ किया जा सके।
जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना	• प्रत्येक कार्य से पहले उसके जोखिमों के बारे में सोचें।
बदलाव की योजना बनाना	• जोखिमों की आशंका को भाँपकर नयी योजना की शुरुआत में कार्यस्थल परिवर्तन करके इसे रोका जा सकता है, जैसे— कार्यप्रणाली में बदलाव करके, नये कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी देकर, उपकरणों या पदार्थों में हुए बदलावों के विषय में जानकारी देकर। • बदलाव से भी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जोखिम को पहचानने की प्रक्रिया और इसके क्रियान्वयन के प्रति जागरूकता होनी चाहिए।
नये जोखिम की सूचना देना	• जैसे ही जोखिम की पहचान हो, इसकी सूचना तुरंत पर्यवेक्षक या संबंधित अधिकारियों को दी जाए।

© NCERT not to be republished

नियमित रूप से जोखिमों का आकलन करना	• कार्यस्थल पर प्रत्येक कर्मचारी संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए ज़िम्मेदार है। इसलिए जोखिम की तलाश करना नियमित दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए।
रिकॉर्ड रखना	• किसी भी संगठन या उद्योग को उपकरणों के रखरखाव के रिकॉर्ड को नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

जोखिम के आकलन का उद्देश्य, खतरों की पहचानकर उनको प्राथमिकता के अनुसार चिह्नित करना है, ताकि इसी के अनुसार इनका समाधान किया जा सके।

जोखिम को खत्म करने या उसे नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक उपायों का क्रियान्वयन करना

चोट या जोखिम को खत्म करने, नियंत्रित करने या कम करने के लिए तीसरा कदम उठाने की ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही जोखिम से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों की निगरानी और उसकी समीक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। सामान्य कार्यस्थल खतरों को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों का उदाहरण तालिका 1.3 में दिया गया है—

तालिका 1.3 — कार्यस्थल पर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही

समस्याएँ	जोखिम को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही
गीले या सूखे पदार्थ का रिसाव होना	पदार्थ को फैलने से रोकना और फिर उसे शीघ्रता से साफ़ करना। पदार्थ को फैलने पर उस स्थान की सफ़ाई के लिए और लोगों को सचेत करने के लिए चेतावनी संकेतों का उपयोग करें। फैले हुए पदार्थ को साफ़ करने के लिए सूखे कपड़े का प्रयोग करें।
जूते का असुविधाजनक होना	कार्यस्थल पर माहौल और कार्य के अनुसार उपयुक्त जूते पहनें।
जूतों का गीला या गंदा होना	फूट मैट पर जूतों को पोंछकर प्रवेश करें।

© NCERT not to be republished

प्रकाश की व्यवस्था का अभाव	कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होना।
स्थान पर गंदगी होना	कार्यस्थल को साफ़-सथुरा रखें और रास्ते को खाली रखें सुनिश्चित करें कि वहाँ ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे जोखिम या खतरा हो।
कचरा	कुड़ेदान से बेकार की चीजें, भोजन, पैकेजिंग और कूड़े को नियमित रूप से हटाते रहे।
गंदी सीढ़ियाँ	सामान रखने के लिए सीढ़ियों का उपयोग न करें। सदैव हैडरेक्स का प्रयोग करें। सीढ़ियों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

नियंत्रित करने वाले उपायों की निगरानी और समीक्षा

चौथा कदम यह है कि नियंत्रित करने वाले उपायों की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए। निगरानी करते समय यह जानना आवश्यक है कि नियंत्रणात्मक उपायों का योजना के अनुसार क्रियान्वयन किया गया है अथवा नहीं। इसके अलावा इन उपायों का क्रियान्वयन करते समय संबंधित प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।

आपात स्थिति के प्रकार

आपात स्थिति निश्चित रूप से एक अचानक घटने वाली, अनअपेक्षित घटना है जिसमें तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है। आपात स्थिति में सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया एवं राहत गतिविधियाँ की जाती हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत विनाशकारी स्थिति का शमन करना, तलाशी एवं बचाव कार्य को अंजाम देना; प्रभावितों को प्राथमिक उपचार देना, भोजन, कपड़े, आश्रय और दवाइयाँ आदि तत्काल उपलब्ध कराना शामिल है। खतरे का पूर्वानुमान भी एक तरह की आपदा में परिवर्तित होकर आपात स्थिति में बदल जाता है। इसमें निकासी, भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था शामिल होती है।

आपदा एवं आपात स्थिति में अंतर

आपदा एवं आपात स्थिति दोनों एक ही जैसे अचानक घटती हैं। आपात स्थिति की तुलना में आपदा का आमतौर पर प्रभाव व्यापक होता है। इस सत्र के अंतर्गत आम तौर पर घटने वाली आपदाओं एवं आपात स्थितियों पर चर्चा की गई है।

© NCERT not to be republished

बाढ़

'बाढ़' एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना भारत को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। भारी बारिश के कारण ऊपर से आने वाले पानी की भारी मात्रा और तेज़ प्रवाह को रोकने वाले नदी के किनारों की अपर्याप्त क्षमता के कारण बाढ़ आ जाती है। जल की निकासी की व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण भारी बारिश होने पर भारी जलभराव हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। यह स्थिति मानव के निवास एवं उसके पारिस्थिति तंत्र के लिए खतरा है। बाढ़ आने पर धन-जन की हानि होती है। बाढ़ के बाद बीमारी का फैलाव, भोजन और आश्रय की कमी हो जाती है।

तकनीकी खराबी

तकनीकी स्तर पर उपकरणों में खराबी शारीरिक चोट पहुँचाने के साथ-साथ जीवन हानि का भी कारण बन सकती है। रासायनिक कारखानों में नियंत्रण प्रणाली विफल होने की प्रक्रिया हानि का कारण बन सकती है। यह अनियंत्रित होकर आग, विस्फोट एवं जहरीले गैसों के रिसाव का कारण बन सकती है।

हमले से संबद्ध जोखिम

नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को अक्सर सामाजिक तत्वों, अनियंत्रित भीड़ या नाराजगी के कारण कर्मचारियों से हमले के जोखिम होता है। हालाँकि, हम सभी के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार उस परिस्थिति तक ही सीमित है, जहाँ हिंसा के तत्काल खतरे को अधिकृत लोगों द्वारा नियंत्रित ना किया जा सके। निजी रक्षा के अधिकार के सिद्धांत का आधारभूत सिद्धांत यह है कि जब किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को खतरे का सामना करना पड़ता है और राज्य सुरक्षा मशीनरी से तत्काल सहायता आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो व्यक्ति स्वयं की और संपत्ति की रक्षा करने का हकदार होता है, लेकिन अपनी एवं धन-संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला साधन खतरे को दूर करने में सहायक हो, ना कि उसके प्रयोग से दूसरे प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ जाए।

इन आक्रमणकर्ताओं को पाँच भागों में बाँटा गया है, जैसे— अपराधी, गुंडे, चरमपंथी समूह, प्रदर्शनकारी समूह और आतंकवादी। ऐसे अपराधी लोगों को घायल कर सकते हैं या जान ले सकते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुँचा सकते हैं; समाज की सुविधाओं, संपत्ति, उपकरण या संसाधनों को हानि पहुँचा सकते हैं; उपकरण, सामग्री या जानकारी को चुराकर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं या संस्था के खिलाफ प्रतिकूल प्रचार कर सकते हैं। गुंडे, दबंग, मवाली आदि से निपटने के लिए नि:शस्त्र गार्ड को अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए नि:शस्त्र आत्मरक्षा तकनीकी में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, परंतु नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को ऐसे

© NCERT not to be republished

आक्रमण से रक्षा में खुद को झोंकने से पहले खतरे का अंदाज़ा होना चाहिए। जोखिम का आकलन करने के बाद ही वह या तो व्यक्ति से रक्षा कर सकता है या बच सकता है या छिप सकता है या इस मामले में पर्यवेक्षक से बात कर सकता है। हालाँकि, हमलावर के साथ उलझने से पहले सुरक्षा के लिए पर्याप्त बैकअप की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा।

सुरक्षा के संकेत

खतरे के समय निकासी एवं सुरक्षा निर्देशों को प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, निम्नलिखित संकेत आमतौर पर दिखाई देते हैं—

1. फ़ोटो ल्यूमिनसेट संकेत, जिस पर लिखा हो 'यदि आग लग जाए तो कोई अन्य निर्देश न होने की स्थिति में सीढ़ियों का प्रयोग करें'। सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल रंग से 'निकासी' का चिह्न बना होता है। जहाँ से आपदा के समय में पूरी इमारत से बाहर निकल सकें। इसे पूरी इमारत में निकासी मार्ग दर्शाने के लिए लगाया जाता है।
2. फ़ोटो ल्यूमिनेसेट संकेत, जो मंजिल संख्या दर्शाते हैं, को निकास के लिए इस्तेमाल होने वाली सीढ़ी में लगाया जाता है। 'असेंबली प्वाइंट्स' पर प्रभावी निकासी के लिए भी यह संकेत लगाया जाता है।
3. प्रत्येक सीढ़ी एवं प्रत्येक लिफ़्ट को निकासी योजना के अनुसार संख्या प्रदान की जाती है — उदाहरण के लिए S1, S2 आदि सीढ़ी से आने-जाने के लिए और L1, L2 आदि संकेत लिफ़्ट से आने-जाने के लिए।
4. सेवा क्षेत्र में 'नशा न करें', यह लिखा रहता है।
5. रसोई घर में भी सुरक्षा संकेत लगे होते हैं।
6. 'हाई वोल्टेज' या 'खतरे' का संकेत चिह्न विद्युतीय स्थान पर लगे होते हैं।

चित्र 1.13 — सुरक्षा से संबंधित सामान्य संकेत

सुरक्षा से जुड़े कुछ सामान्य संकेत चित्र 1.13 में दर्शाए गए हैं।

© NCERT not to be republished

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

आप कल्पना करें कि आपको एक स्कूल में नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया है।

1. निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें—
   क. वह संपत्ति जिसकी आपको सुरक्षा करने की आवश्यकता है।
   ख. संवेदनशीलता
   ग. स्कूल के लिए खतरे
   घ. स्कूल के लिए जोखिम
2. स्कूल में सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के खतरे हैं? निम्न तालिका में खतरे के विरूद्ध एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की भूमिका को परिभाषित करें।

खतरा	भूमिका
व्यक्ति द्वारा शारीरिक क्षति पहुँचाना	
आवश्यक सेवाओं को क्षति पहुँचना	
ज़िम्मेदारी से समझौता	
प्राकृतिक आपदाएँ	
गोपनीय सूचनाओं का लीक होना	

3. आपके द्वारा पहचाने गए सुरक्षा खतरों या जोखिमों और उससे निपटने के लिए अपनाए जाने वाले प्रक्रिया तंत्र पर टिप्पणी लिखें।

अपनी प्रगति जाँचे

1. रिक्त स्थान की पूर्ति करें

1. ....., छिपना, ... की रणनीति का प्रयोग हथियार के खतरों से निपटने के लिए किया जाता है।
2. संपत्ति + ... + अति संवेदनशीलता = जोखिम।
3. रात में गश्त लगाना ..... जोखिम की स्थिति है।

2. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सुरक्षा खतरों को रोकने और रिपोर्टिंग में नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए अवलोकन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है?
2. क्या आपको लगता है कि नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड बंदूक से लैस लोगों के एक समूह द्वारा हमला होने पर कार्यस्थल को सुरक्षित करने में सक्षम होगा? यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए?

© NCERT not to be republished

3. संदिग्ध पैकेज क्या है? क्या नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड संदिग्ध पैकेज जैसे बम की पहचान करने में पूरी तरह से सक्षम होता है? संदिग्ध पैकेज प्राप्त करने के बाद नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को क्या कदम उठाने चाहिए?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र को पूर्ण करने के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- संपत्ति, खतरा, संवेदनशीलता एवं जोखिम के बीच संबंधों की पहचान करना।
- संगठन द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खतरों की सूची बनाना।
- किसी संदिग्ध पैकेज या हथियार के खतरे का पता लगाने और फिर उसकी रिपोर्टिंग के माध्यम से कार्य-कौशल का प्रदर्शन करना।

© NCERT not to be republished

इकाई 2

निजी सुरक्षा विनियम एवं उपकरण

एक सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस अधिकारी की भूमिका काफी भिन्न होती है। सुरक्षा गार्ड को केवल उस धन-जन की और उन लोगों के व्यवसाय सुरक्षा के लिए भुगतान किया जाता है, जिसने उसे नियुक्त किया है, जबकि पुलिस अधिकारी सभी लोगों, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बाध्य है तथा वह कानून को भी वह लागू करने के लिए अधिकृत है। सुरक्षा गार्ड को सुरक्षा तंत्र को संचालित करने, उसका रखरखाव करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संवाद करने, खतरों के स्थानों और संपत्ति की निगरानी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

सत्र 1 — पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग

इस सत्र में आप जानेंगे कि कैसे एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को पुलिस तथा अन्य संस्थाओं से सहयोग लेने और उनको सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालाँकि एक निजी सुरक्षा गार्ड एवं पुलिस की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए दोनों के बीच सहयोग होना आवश्यक है। नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को पुलिस की जाँच या कार्यवाही में सहयोग के लिए प्रमाणों की समझ होनी आवश्यक है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रमाणों के आधार पर ही अदालतें निर्णय लेती हैं कि कोई भी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष।

निजी सुरक्षा गार्ड बनाम पुलिस अधिकारी

पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य कानून को लागू करना एवं सार्वजनिक स्थल पर जनता में शांति-व्यवस्था बनाए रखना है। नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस

© NCERT not to be republished

को दोषी को पकड़ना आवश्यक होता है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध पर कार्यवाही करने के लिए, पुलिस के पास 'पुलिस कंट्रोल रूम' (पी.सी.आर.) की प्रणाली होती है, जहाँ कोई भी किसी अप्रिय घटना के विषय में पुलिस को सूचित कर सकता है। घटनास्थल तक पहुँचने के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन को 'पी.सी.आर. वैन' कहा जाता है।

सुरक्षा गार्ड लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होता है। उनकी ज़िम्मेदारियों में कुछ कार्य पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे हो सकते हैं, जैसे— लोगों का निरीक्षण करना एवं उनकी निगरानी करना तथा चोरी करने वालों को रोकना। एक सुरक्षा गार्ड के कार्यों की सूची में ऐसे अपराध शामिल नहीं होंगे, जिनमें किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी की ज़रूरत हो।

पुलिस अकेले ही राज्य में कानून और व्यवस्था को लागू करने में सक्षम होती है। एक सुरक्षा गार्ड किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यदि वो व्यक्ति अपराधी के रूप में पकड़ा ही क्यों न गया हो। सुरक्षा गार्ड का कर्तव्य है कि वो अपराध की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर दे, क्योंकि केवल पुलिस ही अपराधी को गिरफ़्तार कर सकती है। सुरक्षा गार्ड अस्थायी रूप से उस अपराधी को पकड़ सकता है, जब तक कि पुलिस न आ जाए।

गिरफ़्तारी

आपराधिक अपराध होने की स्थिति में गिरफ़्तारी की जाती है। गिरफ़्तारी किसी अपराध की जाँच या अपराध होने से बचाने के लिए की जाती है। गिरफ़्तारी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देती है। गिरफ़्तारी पूर्ण रूप से पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 41 वर्दी पहने हुए पुलिस कर्मचारी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह बिना किसी वारंट के भी अपराधी को गिरफ़्तार कर सकता है, यदि उस व्यक्ति पर यह शक हो कि उसने कोई 'संज्ञेय अपराध' किया है। निजी सुरक्षा गार्ड या साधारण नागरिक के पास इस तरह की शक्ति नहीं होती। संज्ञेय अपराध की स्थिति में, पुलिस अपने दम पर अपराध का संज्ञान ले सकती है अर्थात उन्हें किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने के लिए अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं 'असंज्ञेय' अपराध में पुलिस अदालत की आज्ञा के बिना एवं वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं कर सकती।

गिरफ़्तारी या हिरासत में लेने के समय सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम—

- एक पुरुष सुरक्षा गार्ड को महिला बंदी के साथ कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए।
- एक महिला बंदी के साथ एक महिला सुरक्षा गार्ड को ही रहना चाहिए।

© NCERT not to be republished

- इसी प्रकार पुरुष बंदी के साथ एक महिला सुरक्षाकर्मी को अकेले नहीं रहना चाहिए।
- एक सुरक्षा गार्ड को किसी व्यक्ति या किसी के हिरासत में लिए गए सामान की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। जब तक कि यह मानने का उचित आधार न हो कि बंदी के पास एक हथियार है, जिसका उपयोग वह स्वयं या दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए कर सकता है।

निजी व्यक्ति द्वारा (धारा 43 सी.आर.पी.सी. के तहत) गिरफ़्तारी

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को तभी गिरफ़्तार कर सकता है या उसकी गिरफ़्तारी का कारण तभी बन सकता है जब व्यक्ति उसकी उपस्थिति में कोई अपराध करता है तो उसे निम्न कारणों के अनुसार पुलिस को सौंप सकता है, वे निम्नलिखित हैं —

1. ऐसा व्यक्ति धारा 41 के प्रावधान के तहत आता है (जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है)।
2. इस प्रकार का व्यक्ति जिसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह अपना नाम एवं पत्ते की जानकारी देने से इंकार करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है।

यह प्रावधान केवल तब ही लागू होता है जब पुलिस को यकीन हो कि वह व्यक्ति आपराधिक इरादे से ही काम कर रहा था। ऐसे में सी.आर.पी.सी. की धारा 43 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार ये गिरफ़्तारी की जा सकती है। जहाँ तक संभव हो, निजी सुरक्षा कर्मचारियों को भी पुलिस की गिरफ़्तारी में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। ऐसी किसी स्थिति में जहाँ सुरक्षा कर्मचारियों को स्वयं प्रमाण एकत्रित करने हों, तो यह बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रमाण सावधानीपूर्वक एकत्रित एवं संरक्षित किए गए हैं और पुलिस को सौंपे गए हैं।

नागरिक कानून की विशेषताएँ

भारत में, नागरिक कानून में वे सभी कानून शामिल हैं जो संघीय एवं राज्य स्तर पर गठित और पालन किए जाते हैं, इसके अलावा देश के न्यायालयों में भी समय-समय पर जो फ़ैसले किए जाते हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। नागरिक कानून का दायरा निम्नलिखित मामलों से संबंधित है—

- अचल संपत्ति कानून
- कारोबार और व्यवसाय कानून
- शिक्षा कानून
- उपभोक्ता कानून

© NCERT not to be republished

- कर कानून
- मनोरंजन कानून
- करार कानून
- प्रशासनिक कानून
- बंदरगाह कानून

आपराधिक कानून की मुख्य विशेषताएँ

आपराधिक कानून का उद्देश्य एक अपराधी को रोकना एवं उसको दण्डित करना है। इसके अंतर्गत आने वाले मामलों को राज्यों द्वारा लाया जाता है। इसके तहत मिलने वाली सज़ा में जुर्माना और कारावास शामिल है। आपराधिक कानून के अंतर्गत एक अभियुक्त को केवल तभी दोषी ठहराया जाता है जब अपराध संदेह के तर्कसंगत दायरे से परे सिद्ध हो। अपराध के प्रकारों में सामान्य हमला, शारीरिक नुकसान और हिंसा आदि शामिल हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़.आई.आर.)

यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़.आई.आर.) सूचना का लिखित दस्तावेज़ है जो सूचना सर्वप्रथम पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस एफ़.आई.आर. तब दर्ज करती है जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध का पीड़ित हो, जैसे ऐसे अपराध जिनमें पुलिस न्यायालय की पूर्व अनुमति (वारंट) के बिना कार्यवाही कर सकती है। सी.आर.पी.सी. की धारा 154, 1973 यह परिभाषित करती है कि प्राथमिक सूचना कैसी होनी चाहिए। किसी अप्रिय घटना, दुर्घटना या अपराध के बारे में किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन में एक निरीक्षक या स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (एस.एच.ओ.) द्वारा इसे दर्ज किया जाता है। कई शहरों में निरीक्षक एस.एच.ओ. होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इंस्पेक्टर एक पुलिस सर्कल (एक से अधिक पुलिस स्टेशन का समूह) का प्रभारी होता है, उस व्यक्ति को 'सर्कल इंस्पेक्टर' कहा जाता है। सभी प्रमुख घटनाओं, दुर्घटनाओं, चोरी और अपराधों को सामान्य रूप से सिविल पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। निजी सुरक्षाकर्मियों को सिविल पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले अपनी कंपनी या उस संगठन के प्रबंधन की अनुमति अवश्य लेनी चाहिए, जहाँ वो कार्यरत है।

एफ़.आई.आर. के उद्देश्य

एफ़.आई.आर. का मुख्य उद्देश्य पुलिस को शिकायत करना है ताकि आपराधिक कानून के तहत कार्यवाही की जा सके। दूसरा उद्देश्य जो उतना ही महत्वपूर्ण है, किसी आपराधिक गतिविधि की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है।

© NCERT not to be republished

एफ़.आई.आर. कौन दर्ज करवा सकता है?

एफ़.आई.आर. निम्नलिखित लोग दर्ज करा सकते हैं—

1. शिकायतकर्ता, जो कि पीड़ित व्यक्ति है।
2. पीड़ित व्यक्ति की तरफ़ से कोई भी व्यक्ति।
3. वह व्यक्ति जो अपराध के बारे में जानता है— एक चश्मदीद गवाह या एक व्यक्ति (जिस व्यक्ति ने अपराध के बारे में सुना है)।
4. अभियुक्त
5. एस.एच.ओ.
6. मजिस्ट्रेट
7. डॉक्टर

एफ़.आई.आर. कौन लिख सकता है?

एफ़.आई.आर. हमेशा थाने के प्रभारी द्वारा लिखी जानी चाहिए। एस.एच.ओ. ही थाने का प्रभारी अधिकारी होता है।

एफ़.आई.आर. के आवश्यक तत्व

एफ़.आई.आर. के अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है—

1. अपराध किसने किया?
2. किसके विरूद्ध कृत्य या अपराध को अंजाम दिया गया है?
3. अपराध किस समय हुआ, यानी अपराध का समय क्या था?
4. अपराध किस स्थान पर हुआ?
5. अपराध के पीछे का उद्देश्य क्या था?
6. क्या ले जाया गया?
7. अभियुक्त द्वारा क्या निशान छोड़े गए?

प्रमाण

प्रमाण, सबूत या साक्ष्य उन तथ्यों या सूचनाओं को संदर्भित करता है जिनका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि उक्त घटना से संबंधित क्या कोई विशेष विश्वास या दावा सच है। एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के सामने ऐसी कोई घटना घट जाती है तो उसकी यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह उस क्षेत्र को अपराध से तब तक सुरक्षित रखे जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती। जब तक घटनास्थल तक पुलिस नहीं आ जाती, तब तक उस स्थान तक किसी को ना पहुँचने दें। घटनास्थल से प्राप्त किसी भी प्रमाण को वह सुरक्षित रखे, क्योंकि ये प्रमाण अदालत में पेश किए जाएँगे, जो सच साबित करने में सहायक होंगे। ये प्रमाण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं—

© NCERT not to be republished

प्रत्यक्ष प्रमाण

यदि कोई व्यक्ति किसी चोरी को होते हुए देख लेता है तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए यदि गवाह, पुलिस या अदालत को बताता है कि उसने अभियुक्त को अलमारी से कुछ चुराते हुए देखा है तो यह गवाह द्वारा दिया जाने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। वह गवाही भी प्रत्यक्ष प्रमाण है जो गवाह अदालत में प्रत्यक्ष रूप से देता है।

परिस्थितिजन्य प्रमाण

परिस्थितिजन्य प्रमाण में दी गई जानकारी किसी मामले में घटना से संबंधित होती है। हालाँकि इससे अपराध के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, जिसे एक गवाह द्वारा अनुभव किया गया हो, उदाहरण के लिए यदि गवाह ने चोरी की घटना के समय अभियुक्त को देर रात या उसी दिन हाथ में कुछ लिए, उसी इमारत को छोड़कर भागते हुए देखा है, तो यह सबूत 'परिस्थितिजन्य' होगा। यदि तथ्यों से परिस्थितिजन्य प्रमाण का कोई संबंध स्थापित होता है, तो यह प्रमाणों की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अप्रत्यक्ष प्रमाण दोनों ही अपराधी के अपराध को प्रमाणित करने में सहायता करते हैं।

अफ़वाह या सुना-सुनाया प्रमाण

जब कोई व्यक्ति अदालत में गवाही देता है कि उसने किसी व्यक्ति से अपराध से संबंधित कुछ सुना है तो यह प्रमाण 'अफ़वाह या सुना-सुनाया प्रमाण' कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब एक महिला आपको बताए कि वह व्यक्ति जिसने कार चुराई, वह हरे रंग की टोपी पहने था और आप इस बात कि गवाही दें कि अभियुक्त, महिला द्वारा दिए गए चोर के विवरण से मेल खाता है, तो आपकी गवाही 'अफ़वाह या सुना-सुनाया प्रमाण' मानी जाएगी। यह 'सुना-सुनाया प्रमाण' अदालत में विश्वसनीय नहीं माना जाता।

दस्तावेज़ी प्रमाण

नोटबुक, फोटोग्राफ़, साउंड रिकॉर्डिंग, फ़िल्म, वीडियो टेप एवं कम्प्यूटर रिकॉर्ड दस्तावेज़ी प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ की गुणवत्ता एवं उसकी प्रामाणिकता की जाँच की जाती है। उदाहरण के लिए, एक अस्पष्ट तस्वीर या वीडियो को कम विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है।

भौतिक प्रमाण

घटना के समय मौजूद या इस्तेमाल हुई वस्तुएँ, जैसे कि चाकू या फटे कपड़े का टुकड़ा, जो न्यायालय में दिखाया जाए, वह भौतिक प्रमाण कहलाता है। गवाह के

© NCERT not to be republished

लिए कोर्ट में विस्तृत जानकारी देनी आवश्यक है कि यह वस्तु उसे कहाँ मिली, कैसे मिली और किस अवस्था में मिली। उदाहरण के लिए घटनास्थल से मोबाइल फ़ोन का प्राप्त होना जिसमें आरोपियों के नाम हो, घटनास्थल पर पाया जाए। गवाह को यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि वह कहाँ पाया गया, कैसे पाया गया और उसे कैसे सुरक्षित रखा गया है। परंतु भौतिक प्रमाण पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह केवल परिस्थितिजन्य प्रमाण है। उदाहरण के लिए घटनास्थल पर केवल अभियुक्त के पर्स का मिलना, यह साबित नहीं करता कि अभियुक्त ही अपराधी है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भौतिक प्रमाण का उपयोग किया जाता है जैसे कि गवाह का कहना है कि उसने अभियुक्त को पीड़ित पर मोबाइल फ़ोन फेंकते देखा है तो इससे प्रमाण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

चित्र 2.1 — प्रमाण के प्रकार

सुराग प्रमाण

कई बार एक सामान्य व्यक्ति को दिखाई देने के लिए भौतिक प्रमाण बहुत छोटा या बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसे प्रमाण को सुराग प्रमाण कहा जाता है। उदाहरण के लिए घटनास्थल पर पाए जाने वाले अँगुलियों के निशान, प्राप्त बालों का गुच्छा, कपड़े का छोटा टुकड़ा आदि भी सुराग प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। सुराग प्रमाण आमतौर पर फोरेंसिक विशषज्ञों द्वारा एकत्र किए जाते हैं या उनकी फ़ोटो ली जाती है। सुराग प्रमाणों की प्रमाणिकता तब बढ़ जाती है जब अपराधस्थल सुरक्षित हो और उस क्षेत्र में प्रवेश जल्द से जल्द प्रतिबंधित कर दिया गया हो।

घटनास्थल को सुरक्षित करना

जब कोई व्यक्ति जाँच की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से प्रमाणों को छिपा देता है, उनमें परिवर्तन कर देता है, नष्ट कर देता है, गलत प्रमाण प्लांट कर देता है,

© NCERT not to be republished

तो इस स्थिति को प्रमाणों से छेड़छाड़ कहा जाता है। यह अपराध को छिपाने और अपराधी को बचाने की मंशा से किया जाता है। प्रमाणों की प्रमाणिकता को बनाए रखने, उसे नष्ट होने से बचाने के लिए, घटनास्थल के प्रमाण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। जब एक सुरक्षा गार्ड पुलिस की प्रतीक्षा कर रहा हो, उस समय उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

- यह ध्यान रखे कि कोई भी घटनास्थल और घटनास्थल के प्रमाणों को बदलने या नष्ट करने का प्रयास न करे।
- घटनास्थल का मार्ग चारों ओर से टेप से अवरूद्ध करें या दरवाज़ा बंद कर दें।
- यदि किसी को वहाँ चिकित्सा की आवश्यकता हो, तो उसे सहायता प्रदान करें।
- संदिग्ध व्यक्ति के आने का समय नोट करें।
- वह दिखाई, सुनाई, महक या गंध की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी को नोट कर लें।
- घटनास्थल का चित्र बनाकर रखें।
- घटना से संबंधित चश्मदीद गवाह से सूचना एवं जानकारी प्राप्त करें।
- यह सुनिश्चित करें कि जब तक पुलिस ना पहुँचे, घटना के समय मौजूद लोग, चश्मदीद घटनास्थल को छोड़कर न जाएँ।
- किसी संदिग्ध व्यक्ति को आसपास देखें, तो उसकी भी जानकारी को नोट करें।
- सुराग प्रमाण जैसे कि अँगुलियों के निशान, खून की बूँदे आदि को सुरक्षित करें।
- यदि बारिश का मौसम हो तो घटनास्थल पर प्राप्त प्रमाण को प्लास्टिक शीट से ढँक दें।
- घटनास्थल में हुए बदलावों को भी नोट करें।

पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचे, तो नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना चाहिए—

1. पुलिस अधिकारी या प्रभारी का पता लगाकर उसको पूरी जानकारी देकर उसे घटनास्थल की ज़िम्मेदारी सौंप दें। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत को प्रमाण की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रमाणों की सुरक्षा की चेन नहीं टूटनी चाहिए। वो जैसे थे, वैसे ही पुलिस को सौंप दिए जाएँ।
2. उस पुलिस प्रभारी का नाम एवं समय नोट करें, जिसे उस घटना और घटनास्थल की ज़िम्मेदारी या प्रभार सौंपा गया है।
3. यदि पुलिस सहायता चाहती है, तो नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के रूप में आप जो भी संभव हो, सहायता प्रदान करें।

© NCERT not to be republished

अदालतों में गवाही देना

टिप्पणी

अदालत में गवाही देने का अर्थ न्यायालय को प्रमाण देना ही है। चूँकि, एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था, इसलिए उसे न्यायाधीश के समक्ष गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया जा सकता है। इस संदर्भ में सुरक्षा गार्ड को अदालत से एक आदेश प्राप्त होगा, जो उसे अदालत के समक्ष गवाही देने का निर्देश देगा। अदालत के आदेश में उस तारीख और समय का विवरण होगा, जब सुरक्षा गार्ड को गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित होना है। यदि वह अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत उसे अनुपस्थित होने के जुर्म में कारावास की सज़ा दे सकती है।

यदि आप अदालत के निर्देशानुसार उसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो इससे आपकी छवि एक पेशेवर सेवाकर्मी की बनती है साथ ही अदालत के समक्ष पेश किए गए प्रमाणों की विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। यहाँ कुछ विशेष बातें हैं जो एक सुरक्षा गार्ड को अदालत के समक्ष पेश होने से पहले ध्यान में रखनी आवश्यक हैं—

1. सभी बिंदुओं का अवलोकन करें। घटनास्थल के समय, तारीख, स्थान और अन्य जानकारियों के बारे में सुनिश्चित हो जाएँ।
2. घटनाओं के पूरे क्रम को दोहराएँ और सटीक विवरण तैयार करें।
3. उन विशेष प्रश्नों के उत्तर तैयार रखें, जो गवाही के दौरान वकील द्वारा पूछे जा सकते हैं।
4. अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी में ही अदालत के समक्ष उपस्थित हों।
5. यदि अभियोजक को कोई संदेह हो, तो अदालत के समय से पूर्व पहुँचें, जिससे अदालती कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व यदि कोई संदेह हो तो उसे दूर किया जा सके।

एक सुरक्षा गार्ड को अदालत के अंदर भी कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है—

1. कोर्ट में सीधे बैठें या सीधे खड़े हों।
2. जब वकील द्वारा प्रश्न किए जाएँ, तो उनकी तरफ़ देखें, पर जवाब देते समय न्यायाधीश की ओर देखना उचित है।
3. अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में ऊँची आवाज़ में कहें, जिससे वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जवाब सुन सके।
4. जो प्रश्न किया जाए, केवल उसी का उत्तर दें।
5. जब तक कि विशेष रूप से पूछा न जाए, तब तक अपनी राय देने से बचें। आपने जो कुछ देखा या सुना या जो जानकारी आपके पास हो वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, बजाय कि आपने क्या अनुभव किया।

© NCERT not to be republished

यदि अदालत आपकी राय जानना चाहती है, जैसे 'क्या अपराधी शराब के नशे में था?' अदालत से पूछें कि क्या अदालत उसकी राय जानना चाहती है। यदि आपको सकारात्मक जवाब मिलता है तभी इस पर अपनी राय दें।

6. यदि दोनों में से कोई भी वकील, दूसरे वकील द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आपत्ति व्यक्त करता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि अदालत उस आपत्ति पर फैसला नहीं दे देती, तब तक जवाब न दें।
7. यदि किसी सवाल के जवाब से आप अनजान हैं, तो चुप रहें, 'मुझे लगता है' या 'मेरे विचार से' जैसे शब्दों का प्रयोग न करें।
8. आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीश की अनुमति से नोट देखें। ऐसा केवल विशिष्ट विवरणों को याद करने के लिए ही करें, जैसे—घटनास्थल पर उपस्थित लोगों की संख्या आदि।
9. अभियोजक एवं बचाव पक्ष दोनों के वकीलों का सम्मान करें।
10. किसी भी सवाल को व्यक्तिगत रूप से ना लें। अपने चेहरे की अभिव्यक्ति के समय तटस्थ रहें। भले ही पूछे गए सवाल परेशान करने वाले हों, तब भी उस समय तटस्थ रहें।
11. जब तक न्यायाधीश की अनुमति ना हो अदालत को छोड़कर ना जाएँ।

निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम (पी.एस.ए.आर.ए.), 2005

भारत का संविधान देश के सभी कानूनों का मूल आधार है। केंद्र एवं राज्य सरकारें संविधान के अनुसार देश पर शासन करने के लिए बाध्य हैं। जिस तरह एक स्कूल के प्रभावी संचालन के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम हैं, उसी तरह देश को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सरकार कानून बनाती हैं। इन कानूनों को अक्सर 'अधिनियमों' के रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिनियम वे नियम, मानक, प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश होते हैं जिनको किसी विधायी निकाय जैसे कि संसद द्वारा स्वीकार किया जाता है। कानूनों को संविधान का विरोधाभासी नहीं होना चाहिए।

जैसा कि इस सत्र की शुरुआत में बताया गया है कि एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस अधिकारी की भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। अब हम निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम (पी.एस.ए.आर.ए.), 2005 के विभिन्न पहलूओं पर दृष्टि डालेंगे, जो भारत में सुरक्षा सेवा के व्यवसाय को नियंत्रित करती है।

सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में 'पी.एस.ए.आर.ए.' का अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम एक बड़ी

© NCERT not to be republished

रूपरेखा को तैयार करता है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियमों को तैयार एवं कार्यान्वित किया जाना आवश्यक होता है।

पी.एस.ए.आर.ए., 2005 'निजी सुरक्षा' को परिभाषित करता है, "किसी लोक सेवक के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष या संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रदान की गई सुरक्षा को निजी सुरक्षा कहा जाता है, जो धन-जन दोनों की सुरक्षा करती है इसमें 'बख्तरबंद कार सेवा' भी शामिल है।" इस अधिनियम में निजी सुरक्षा उद्योग द्वारा पालन किए जाने वाले आवश्यक नियम शामिल हैं, वे नियम कुछ इस प्रकार हैं—

लाइसेंस

अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के निजी सुरक्षा एजेंसी नहीं चलाएगा।

यूनिफॉर्म

एक निजी सुरक्षा गार्ड की यूनिफॉर्म विशिष्ट होनी चाहिए और उसे सेना, नौसेना या वायुसेना कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली यूनिफॉर्म जैसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म में निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए—

1. एजेंसी के नाम का हाथ पर लगाया जाने वाला बैज होना चाहिए।
2. सीने पर पद के नाम वाला बैज होना चाहिए।
3. कार्ड से जुड़ी सीटी, बाईं जेब में रखी जानी चाहिए।
4. फीते वाले जूते होने चाहिए।
5. सिर की टोपी पर उस एजेंसी का विशिष्ट चिह्न होना चाहिए।

ट्रेनिंग (प्रशिक्षण)

अधिनियम ट्रेनिंग के घंटे निर्धारित करता है। पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के अनुसार यह न्यूनतम 100 घंटे कक्षा निर्देश एवं 60 घंटे फील्ड प्रशिक्षण के लिए होना चाहिए। एजेंसी लेने वाले व्यक्ति को एजेंसी का पूरा विवरण राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर प्रदान करना आवश्यक है।

शारीरिक मापदंड

यह अधिनियम सुरक्षा गार्ड के शारीरिक फिटनेस के मानदंडों को निर्धारित करता है। एजेंसी में नियुक्त किए जाने वाले सभी सुरक्षाकर्मियों को बुनियादी न्यूनतम मानक को पूरा करना आवश्यक है। पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के अनुसार, एक निजी सुरक्षा गार्ड के शारीरिक मापदंड हैं—

© NCERT not to be republished

1. ऊँचाई — पुरुष सुरक्षाकर्मी के लिए 160 सेंटीमीटर एवं महिला सुरक्षाकर्मी के लिए 150 सेंटीमीटर।
2. वज़न — ऊँचाई के अनुसार वज़न होना चाहिए।
3. सीना — 4 सेंटीमीटर के विस्तार के साथ 80 सेंटीमीटर (महिला के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है)
4. दृष्टि —
   क. दूर की दृष्टि के लिए — 6/6
   ख. पास की दृष्टि के लिए — 0.6/0.6 सुधार के साथ या इसके बिना।
   ग. रंगान्धता (कलर ब्लाइंडनेस) न हो।
   घ. सुरक्षा उपकरणों की पहचान करने में सक्षम हो।
   ङ. सामने प्रदर्शित चीज़ों को पढ़ना।
5. चटकते घुटने एवं सपाट पैर नहीं होने चाहिए तथा 6 मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।
6. सुनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
7. शक्ति का प्रदर्शन करने, उपकरणों को संभालने में निपुण और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए बल प्रयोग में सक्षम होना चाहिए।
8. किसी भी प्रकार के संक्रमण या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

फ़ोटो पहचान पत्र

सुरक्षा कंपनियों को नियमानुसार अपने सुरक्षा कर्मचारियों को फ़ोटो पहचान पत्र प्रदान करना आवश्यक है।

पुलिस को सहायता देना

अधिनियम द्वारा सुरक्षा कंपनियों को यह ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वे जाँच में पुलिस की सहायता करेंगे, जिस परिसर में कार्यरत हों, वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को रोकने में पुलिस की सहायता करेंगे।

श्रम से जुड़े नियम-कानून

पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के अंतर्गत विभिन्न श्रम कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है जिनका पालन उन सुरक्षा कंपनियों या संगठनों को करना पड़ता है, जो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, ये यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके श्रम के अधिकारों की रक्षा होगी।

© NCERT not to be republished

दस्तावेज़ीकरण

पी.एस.ए.आर.ए., 2005 की धारा 15 (1) के अनुसार सुरक्षा एजेंसी को निम्नलिखित जानकारी वाले रजिस्टर को भी बनाना होगा —

1. निजी सुरक्षा एजेंसी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते रजिस्टर में सूचीबद्ध हों।
2. एजेंसी में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों का नाम, पता, वेतन की जानकारी उनकी तस्वीर सहित रजिस्टर में सूचीबद्ध हों।
3. ऐसे व्यक्ति या कंपनियाँ, जो सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करती हैं उनके नाम एवं पते भी रजिस्टर में सूचीबद्ध हों।

भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना के रैंक और बैजिज

एक निजी सुरक्षा गार्ड को विभिन्न सुरक्षा संगठनों के अधिकारियों के साथ सहयोग करना पड़ता है। आतंकवादी हमलों या आपदाओं के जुड़े मामलों में एक सुरक्षा गार्ड को सेना के साथ उसमें सहयोग करना पड़ सकता है। पुलिस एवं सेना में विभिन्न रैंकों का ज्ञान और अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाले बैजिज के माध्यम से उनके साथ सहयोग और संवाद करने में सहायता मिलती है।

तालिका 2.1 — सेना, नौसेना एवं वायुसेना की रैंक

क्र.सं.	सेना	नौसेना	वायुसेना
1.	फील्ड मार्शल	एडमिरल ऑफ़ द फीट	मार्शल ऑफ़ एयर फोर्स
2.	जनरल एडमिरल	एयर चीफ	मार्शल
3.	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
4.	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
5.	ब्रिगेडियर	कोमडोर	एयर कोमडोर
6.	कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
7.	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
8.	मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर
9.	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
10.	लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग ऑफिसर

चित्र 2.2 — फील्ड मार्शल का प्रतीक चिह्न

आइए, नवीनतम रैंकों और उनसे संबंधित बैजिज पर विस्तार से विचार करें—

© NCERT not to be republished

भारतीय सेना

बाहरी खतरों से बचने के लिए एक राष्ट्र में सशस्त्र सैनिक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के राष्ट्रपति, भारतीय सेना के प्रमुख सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) होते हैं। जबकि आर्मी स्टॉफ का प्रमुख, सेना का जनरल और पूरी भारतीय सेना का प्रमुख होता है। कोई भी व्यक्ति स्कूल या स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सेना में शामिल हो सकता है। व्यक्ति का करियर स्थायी कमीशन में सेना में सेवानिवृत्त होने तक होता है। शार्ट सर्विस कमीशन (एस.एस.सी.) 10 साल की अवधि के लिए एक कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवधि के अंत में उसके पास दो विकल्प होते हैं या तो स्थायी कमीशन का चयन कर लें या फिर सेवा से बाहर कोई दूसरा विकल्प चुन लें। फील्ड मार्शल का पद भारत में अक्सर मानद के रूप में ही होता है।

ग्रुप 'ए' या क्लास 1 (राजपत्रित) अधिकारियों के रैंक और बैजिज

अधिकारियों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया जाता है जो सेना प्रमुख के स्तर तक जा सकता है। वे रैंक और रैंक बैजिज इस प्रकार हैं—

तालिका 2.2 — भारतीय सेना में ग्रुप 'ए' या क्लास 1 (राजपत्रित) अधिकारियों के रैंक और प्रतीक रैंक चिह्न

चिह्न									
रैंक	जनरल	लेफ्टिनेंट जनरल	मेजर जनरल	ब्रिगेडियर	कर्नल	लेफ्टिनेंट कर्नल	मेजर	कैप्टन	लेफ्टिनेंट

तालिका 2.3 — भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी ग्रुप 'बी' या क्लास 2 (राजपत्रित) अधिकारियों की रैंक और प्रतीक रैंक चिह्न

रैंक	चिह्न
सूबेदार मेजर या रिसलदार मेजर	
सूबेदार या रिसलदार	

© NCERT not to be republished

नायब सूबेदार या नायब रिसलदार	
रेजिमेंटल हवलदार मेजर	
रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार	
कंपनी हवलदार मेजर या स्क्वार्डन दफ़ादार मेजर	
कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार या स्क्वार्डन क्वार्टर मास्टर दफ़ादार	
हवलदार या दफ़ादार	
नायक या लांस दफ़ादार	
लांस नायक या एक्टिंग लांस दफ़ादार	
सिपाही या सवार	

** आर्मर्ड कोर में रिसलदार, दफ़ादार और सवार एक समान पद होते हैं। नायब सूबेदार या रिसालदार तक की रैंक राजपत्रित (जूनियर कमीशन) है एवं अन्य गैर कमीशन रैंक है।*

भारतीय वायुसेना

भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ़.) भारतीय वायु क्षेत्र की रक्षा करके, सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ मिलकर सभी खतरों से भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर-इन-चीफ हैं। वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल (ए.सी.एम.) के पद पर एक फोर स्टार कमांडर है और वायुसेना की कमान संभालता है।

© NCERT not to be republished

पूर्व एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जो दुनिया के सबसे महान पायलटों में से एक हैं, इनको एयर फोर्स के 'फील्ड मार्शल' के पद से सम्मानित किया गया। वे भारत के पहले एयर चीफ मार्शल थे।

वायुसेना रैंक

वायुसेना अधिकारी रैंक के लिए चौड़ी एवं संकीर्ण पट्टी के संयोजन वाली फीत और सूचीबद्ध रैंक के अधिकारियों के लिए सारनाथ के शेर (राष्ट्रीय प्रतीक) तथा पंख के प्रतीक रैंक चिह्न का प्रयोग करता है।

अधिकारी रैंक

अधिकारियों को फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे एयर चीफ मार्शल के पद तक पहुँच सकते हैं, जो एक फोर स्टार जनरल है। एक ग्रुप कैप्टन एक कर्नल के समान रैंक का होता है और एयर कोमडोर, ब्रिगेडियर के बराबर होता है। इसी तरह एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल क्रमशः मेजर जनरल एवं लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर है।

तालिका 2.4 — भारतीय वायुसेना में रैंक के प्रतीक रैंक चिह्न

रैंक	प्रतीक रैंक चिह्न
एयर चीफ मार्शल	
एयर मार्शल	
एयर वाइस मार्शल	
एयर कोमडोर	

© NCERT not to be republished

ग्रुप कैप्टन	
विंग कमांडर	
स्क्वाड्रन लीडर	
फ्लाइट लेफ्टिनेंट	
फ्लाइंग ऑफिसर	

अधिकारी रैंक के नीचे के पदाधिकारी (पी.बी.ओ.आर.)

ऑफ़िसर रैंक के नीचे के पदाधिकारी (पी.बी.ओ.आर.) सामान्य रूप से, वायुसेना में एयरक्राफ्टमैन के रूप में शामिल होते हैं और मास्टर वारंट ऑफिसर के रैंक तक पहुँच पाते हैं, जो पी.बी.ओ.आर. में वरिष्ठतम है। हालाँकि बड़ी संख्या में सीधे जूनियर वारंट अधिकारियों के रूप में भी नियुक्ति की जाती है। जूनियर वारंट अधिकारी के ऊपर की रैंक पर जूनियर कमीशन अधिकारी होते हैं।

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना भारत की सशस्त्र सेना की नौसैनिक शाखा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के कमांडर-इन-चीफ हैं। एडमिरल के रैंक में चीफ ऑफ़ नेवल स्टाफ (सी.एन.एस.) नौसेना को कमांड करता है। भारतीय संघ के अन्य सशस्त्र बलों के साथ मिलकर नौसेना युद्ध और शांति के समय में भारतीय क्षेत्र, भारत के लोगों या भारत के समुद्री हितों के खिलाफ किसी भी खतरे या आक्रमण को रोकने

© NCERT not to be republished

या पराजित करने का कार्य करती है। नौसेना में निम्नलिखित तीन कमान हैं, प्रत्येक एक ध्वज के नियंत्रण में है—

1. नौसेना की पश्चिमी कमान (मुख्यालय, मुंबई)
2. नौसेना की पूर्वी कमान (मुख्यालय, विशाखापट्टनम)
3. नौसेना की दक्षिणी कमान (मुख्यालय, कोच्चि)

अधिकारी रैंक

अधिकारियों को सब-लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे एडमिरल के स्तर तक पहुँच सकते हैं, जो एक फोर स्टार जनरल है। नेवी कैप्टन का पद कर्नल के पद पर बराबर होता है। इसी तरह रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल क्रमशः मेजर जनरल एवं लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होता है। नौसेना में एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट का पद फील्ड मार्शल के बराबर होता है।

तालिका 2.5 — भारतीय नौसेना की रैंक एवं उनके प्रतीक रैंक चिह्न

रैंक	प्रतीक रैंक चिह्न
एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट	
एडमिरल	
वाइस एडमिरल	
रियर एडमिरल	

© NCERT not to be republished

कोमडोर	
कैप्टन	
कमांडर	
लेफ्टिनेंट कमांडर	
लेफ्टिनेंट	
सब-लेफ्टिनेंट	

© NCERT not to be republished

अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्ति या पद (पी.बी.ओ.आर.)

ऑफिसर रैंक से नीचे के व्यक्ति (पी.बी.ओ.आर.) सामान्य रूप से नौसेना में सीमैन 2 एवं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 के रैंक पर शामिल होते हैं जो पी.बी.ओ.आर. में वरिष्ठतम है। हालाँकि बड़ी संख्या में सीधे चीफ पेटी ऑफिसर्स के रूप में भी नियुक्ति की जाती है। चीफ पेटी ऑफिसर के ऊपर की रैंक पर जूनियर कमीशन अधिकारी होते हैं।

तालिका 2.6 — वायुसेना में पेटी ऑफिसर और उनके नीचे गैर कमीशन अधिकारी

रैंक	प्रतीक रैंक चिह्न
मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1	
मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2	
चीफ पेटी ऑफिसर	
पेटी ऑफिसर	
लीडिंग सीमैन	
सीमैन-1	प्रतीक रैंक चिह्न नहीं है।
सीमैन-2	प्रतीक रैंक चिह्न नहीं है।

© NCERT not to be republished

पुलिस की रैंक

राजपत्रित पुलिस अधिकारी की रैंक एवं प्रतीक रैंक चिह्न

राजपत्रित अधिकारियों में भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के सभी अधिकारी शामिल हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य पुलिस सेवाओं में सहायक पुलिस आयुक्त (ए.सी.पी.) या उप-पुलिस अधीक्षक (डी.एस.पी.) के पद पर या इससे ऊपर हैं।

तालिका 2.7 — पुलिस (राजपत्रित) के विभिन्न रैंक एवं रैंक प्रतीक चिह्न

रैंक	प्रतीक रैंक चिह्न
कमिश्नर (राज्य) या डायरेक्टर जनरल	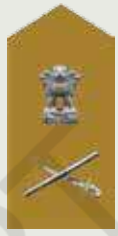
ज्वाइंट कमिश्नर या इंस्पेक्टर जनरल	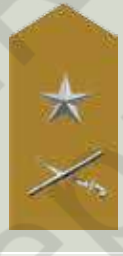
एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल	
डिप्टी कमिश्नर या सीनियर सुपरिंटेंडेंट	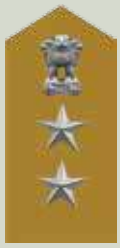

© NCERT not to be republished

डिप्टी कमिश्नर या सुपरिंटेंडेंट	
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल सुपरिंटेंडेंट	
असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट	
असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट (परिवीक्षाधीन रैंक— 2 वर्ष की सेवा)	
असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट (परिवीक्षाधीन रैंक— 1 वर्ष की सेवा)	

© NCERT not to be republished

तालिका 2.8 — पुलिस की विभिन्न रैंक एवं प्रतीक रैंक चिह्न (गैर-राजपत्रित)

रैंक		प्रतीक रैंक चिह्न
इंस्पेक्टर	थ्री-स्टार, लाल एवं नीला रिबन	
सब-इंस्पेक्टर	टू स्टार, लाल एवं नीला रिबन	
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर	वन स्टार, नीला तथा लाल रिबन	
हेड कांस्टेबल	थ्री-रेड स्ट्रिप्स	
सीनियर कांस्टेबल	टू-रेड स्ट्रिप्स	
पुलिस कांस्टेबल	_____	

© NCERT not to be republished

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

कल्पना कीजिए कि आप आवासीय परिसर में एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। आपने जैसे ही अपनी शिफ्ट ज्वाइन की, सुबह 7 बजे आपके पास मनोज के पड़ोसी धीरज का फ़ोन आया, उसने अपार्टमेंट में मनोज की हत्या की जानकारी दी। फ़ोन पर यह जानकारी प्राप्त होने के बाद अब आप एक सुरक्षा गार्ड के रूप में क्या कदम उठाएँगे, अपने कदमों को क्रमबद्धता के साथ बताएँ।

गतिविधि 2

अपने शिक्षक के नेतृत्व में एक समूह में स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा करें। यात्रा से पहले, उन प्रश्नों की एक सूची बनाएँ, जो पुलिस की भूमिका पर आपकी समझ में सुधार लाएँगे, जैसे कि कानून के अनुसार अपराध की जाँच (एफ़.आई.आर. दर्ज करने की प्रक्रिया सहित) और कानून की व्यवस्था को बनाए रखना। अपराध को रोकने और उसकी जाँच में एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड से पुलिस को किस तरह के सहयोग की उम्मीद है, यह जानने की कोशिश करें।

अपनी प्रगति जाँचे

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. निजी ..... एजेंसी ..... अधिनियम, 2005 भारत में सुरक्षा सेवा के व्यवसाय को विनियमित करता है।
2. जब आप अदालत में गवाही देते हो कि आपने किसी व्यक्ति से अपराध से संबंधित जो कुछ भी सुना है, उसको ..... प्रमाण कहा जाता है।
3. एक निजी सुरक्षा एजेंसी का नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड ..... लोगों और संपत्ति की जबकि पुलिस अधिकारी ..... लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करते है तथा कानून-व्यवस्था को लागू करते हैं।

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. दिनेश पर एक शॉपिंग मॉल से सोने की चेन चुराने का आरोप लगा है। सुरक्षा गार्ड ने पाया कि मॉल की खिड़की से अलार्म बजने के तुरंत बाद उसने कुछ फेंका था, तो इस प्रकार का प्रमाण ..... है।
   - क. परिस्थितिजन्य प्रमाण
   - ख. सुना-सुनाया प्रमाण
   - ग. प्रत्यक्ष प्रमाण
   - घ. भौतिक प्रमाण

© NCERT not to be republished

2. सुप्रिया, ए.टी.एम. के बाहर खड़ी होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी उसने देखा कि दीपक ए.टी.एम. को खराब करने की नीयत से उसमें कोई धातु की वस्तु डालने की कोशिश कर रहा था। यह ..... है।
   क. परिस्थितिजन्य प्रमाण
   ख. सुना-सुनाया प्रमाण
   ग. प्रत्यक्ष प्रमाण
   घ. भौतिक प्रमाण
3. अदालत में गवाही देते हुए ..... ।
   क. आप अपने विचार दे सकते हैं।
   ख. आप कभी भी अपने विचार नहीं दे सकते, केवल तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
   ग. आप न्यायधीश से अनुमति लेकर अपने विचार रख सकते हैं।
   घ. उपरोक्त में से कोई नहीं।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण कौन-कौन से हैं? दूसरों की तुलना में कौन-सा प्रमाण कम विश्वसनीय माना जाता है? क्या इसका अर्थ यह है कि कम विश्वसनीय प्रमाण इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों?
2. क्या आपको लगता है कि पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों के बीच सहयोग आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों?
3. यदि एक पुलिस अधिकारी के पास न केवल घटनाओं का निरीक्षण करने, पता लगाने और उनकी सूचना देने की शक्ति है, अपितु कानून के नियमों के अनुरूप अपराधी को हिरासत में ले सकता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड रखने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो क्यों?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र के अध्ययन के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- एक पुलिसकर्मी और एक निजी सुरक्षा गार्ड के बीच अंतर करना।
- पुलिस की जाँच में एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका की पहचान करना।
- विभिन्न प्रकार के प्रमाणों के विषय में वर्णन करना।
- न्यायालय के समक्ष गवाही देना।
- निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के बुनियादी कानूनी प्रावधानों को सूचीबद्ध करना।
- सैन्य और पुलिस में रैंक और उससे संबंधित बैजिज को पहचानना।

© NCERT not to be republished

इकाई 3

हथियारों का परिचय एवं तात्कालिक विस्फोटक उपकरण

सत्र 1 — हथियारों की पहचान

सुरक्षा गार्ड नि:शस्त्र और सशस्त्र दोनों तरह के होते हैं, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड के पास पुलिस अधिकारी की तरह बंदूक का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड केवल हथियार का उपयोग तभी कर सकता है, जब स्थिति की वैसी मांग हो। उदाहरण के लिए, एक सुरक्षा गार्ड हथियार का प्रयोग तभी कर सकता है जब बंदूक से हमला हो और उसका स्वयं का जीवन खतरे में हो। हालाँकि, उसे तुरंत सहायता के लिए इस खतरे की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और पुलिस के आने का इंतजार करते हुए सशस्त्र हमलावर से खुद को और अन्य लोगों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

इसलिए सुरक्षा गार्ड को आत्मरक्षा के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति की ज़िम्मेदारी के प्रति सतर्क रहना चाहिए। गार्ड को हथियारों की पहचान भी होनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह पुलिस को उसकी जानकारी दे सके। मुख्य रूप से दो प्रकार के हथियार होते हैं, जिनका उपयोग एक व्यक्ति या पुलिस द्वारा अधिकतर किया जाता है— रिवॉल्वर एवं राइफल। रिवॉल्वर के चैंबर में गोलियों को लोड करने का एक सिलेंडर होता है सिलेंडर में एक बार में अधिकतम 7 गोलियाँ डाली जा सकती हैं। हालाँकि 0.22 कैलिबर रिवॉल्वर में 10 गोलियाँ हो सकती हैं। सामान्यतया 0.22 कैलिबर राइफल की रेंज लगभग 100 गज़ की होती है। रिवाल्वर को सिंगल या डबल एक्शन के माध्यम से चलाया जा सकता है। सिंगल एक्शन में अगले कार्टिज को घुमाकर रिवॉल्वर को कॉक किया जाता है। डबल एक्शन से तात्पर्य है कि जब आप ट्रिगर खींचते हैं तो

© NCERT not to be republished

रिवॉल्वर अपने आप कॉक हो जाती है। डबल एक्शन से फायरिंग रेट बढ़ जाता है। रिवॉल्वर को नियंत्रित करना सरल होता है, इसलिए यह ज़्यादातर पुलिस कर्मियों या सशस्त्र सुरक्षा गार्ड द्वारा उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी

हथियार

हथियार से तात्पर्य ऐसे किसी भी उपकरण से है जिससे किसी भी सजीव या निर्जीव को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक बंदूक रख सकता है, बशर्ते कि उसे इसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो। बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करना शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत आता है। बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी केवल गैर निषिद्ध बोर (एन.पी.बी.) बंदूकें ही नागरिकों को अपने पास रखने का आदेश है। इसलिए नागरिक सभी निर्मित बंदूकों को रखने या खरीदने का अधिकारी नहीं होता है। यह अधिनियम नागरिकों को बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति भी तभी देता है जब उनके जीवन में कोई खतरा हो। यदि लाइसेंस धारक शस्त्रों के प्रयोग में प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सरकार द्वारा उसके लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्रकार की राइफल्स और बंदूकें इस प्रकार हैं—

1. एन.बी.पी. राइफल — यदि आप .315, 30–06 राइफल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फार्म में यह श्रेणी को भरने की आवश्यकता होती है।
2. एन.पी.बी.-डी.बी.बी.एल. (डबल बैरेल ब्रीच लोडिंग) बंदूक — डबल बैरेल स्मूथ बोर बंदूक (शॉटगन) जिसकी लंबाई कम-से-कम 20 इंच होती है (12 बोर, 16 बोर आदि डबल बैरेल शॉटगन)।
3. एन.पी.बी.-एस.बी.बी.एल. (सिंगल बैरल ब्रीच लोडिंग) बंदूक— सिंगल बैरेल स्मूथ बोर बंदूक (शॉटगन) जिसकी लंबाई कम-से-कम 20 इंच होती है और पंप एक्शन शॉटगन भी इसी श्रेणी में आती है (12 बोर, 16 बोर आदि सिंगल बैरेल शॉटगन)।
4. एन.पी.बी.-डी.बी.एम.एल. (डबल बैरल मजल लोडिंग) बंदूक।
5. एन.पी.बी.-एस.बी.एम.एल. (सिंगल बैरेल मजल लोडिंग) बंदूक।
6. एन.पी.बी. पिस्टल या रिवॉल्वर— यदि आप .32 या .30 बोर की पिस्टल या रिवॉल्वर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवश्यकतानुसार इस श्रेणी को फार्म में भरना होगा।

© NCERT not to be republished

बंदूक के भाग इस प्रकार हैं—

1. *ट्रिगर*— यह बंदूक का वह भाग है जिसे व्यक्ति अपनी अँगुली से दबाकर चलाता है। इसे बंदूक चलाने वाला तब प्रयोग करता है जब उसे बंदूक से गोली चलानी हो।
2. *मजल*— यह वह भाग है जहाँ से गोली निकलती है, इसे बंदूक का मुख भी कह सकते हैं।
3. *मैगजीन*— यह बंदूक का वह भाग होता है, जहाँ गोली भरी जाती है।
4. *बैरेल*— गोली मजल से निकलने से पहले बैरल से होकर गुजरती है।
5. *हैमर*— यह वह भाग है, जो ट्रिगर दबने के साथ गोली को तेज़ी से बाहर फेंकने के लिए धकेलता है।
6. *काटरिज*— कारतूस एक फायरआर्म के रूप में चैंबर से चलाए जाते हैं। गोलियाँ कारतूस का एक अंग होती हैं।
7. *सप्रेशर (साइलेंसर)*— यह उपकरण बंदूक से अटैच रहता है, जब बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है तब यह उसकी तेज़ आवाज को काफ़ी हद तक कम करता है।

अपनी प्रगति जाँचें

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. ..... वह भाग है जिससे बंदूक की गोली निकलती है।
2. ……..... यह बंदूक से जुड़ा होता है। बंदूक चलाने के लिए ट्रिगर दबाया जाता है, तब यह उसकी तेज़ ध्वनि को काफ़ी हद तक कम करता है।
3. केवल ..... निषिद्ध ..... बंदूकें भारत में नागरिकों को रखने के लिए लाइसेंस दिया जाता है।

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. बंदूक का वह भाग जहाँ गोली भरी जाती है, वह ..... कहलाता है
   - क. बैरेल
   - ख. ट्रिगर
   - ग. मैगजीन
   - घ. हैमर
2. सप्रेशर …… होता है
   - क. एक प्रकार की बंदूक
   - ख. एक प्रकार का विस्फोटक
   - ग. बंदूक का चैंबर जिसमें गोलियाँ भरी जाती हैं
   - घ. उपरोक्त में से कोई नहीं

© NCERT not to be republished

3. भारत में हथियार के लाइसेंस के साथ नागरिक .....
   क. सभी प्रकार की बंदूकें रख सकते हैं
   ख. कुछ प्रकार की बंदूकें रख सकते हैं
   ग. बंदूकें नहीं रख सकते
   घ. उपरोक्त में से कोई नहीं

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बंदूक के विभिन्न भागों का वर्णन करें?
2. बंदूक और राइफल के सामान्य प्रकारों की सूची बनाएँ?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र के अध्ययन के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- पुलिस एवं सशस्त्र बल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की पहचान करना।

सत्र 2 — तात्कालिक विस्फोटक उपकरण

इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) यानी तात्कालिक विस्फोटक उपकरण एक विस्फोटक उपकरण है जिसमें आपराधिक नीयत से आई.ई.डी. को असेंबल करने के लिए अपरंपरागत तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। आई.ई.डी. विस्फोट का प्रभाव अप्रत्याशित होता है। इसका प्रभाव कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित हैं—

- तत्व
- विस्फोटक की गुणवत्ता
- केसिंग
- स्पिंलटर्स की मात्रा (ये स्प्रिंलटर्स शीशे या धातु के नुकीले टुकड़े होते हैं)।

चित्र 3.1 — तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आई.ई.डी.)

आई.ई.डी. के भाग

आई.ई.डी. घर में बनाए जाने वाले विस्फोटकों के पाँच मुख्य भाग होते हैं—

1. बिजली की आपूर्ति।
2. एक ट्रिगर, जो डेटोनेटर को एक विद्युतीय संकेत भेजता है, जिससे डेटोनेटर चार्ज हो जाता है। रिमोट ट्रिगर के सामान्य रूपों में से मोबाइल फ़ोन पर कॉल रिसीव करना है। अक्सर पैकेज को खोलना डिवाइस के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य करता है।
3. एक डेटोनेटर एक विस्फोटक चार्ज है, जो मुख्य रूप से विस्फोट का कारण बनता है।

© NCERT not to be republished

4. मुख्य विस्फोटक।
5. केस एक कंटेनर है, जो सारी सामग्री को एकसाथ रखता है। केस को इस तरह से भी डिज़ाइन किया जा सकता है जिससे किसी विशेष दिशा में विस्फोट किया जा सके। यह कंटेनर एक छोटा पैकेट हो सकता है, जैसे— लेटर, पाइप, पार्सल, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, प्रेशर कूकर, आदि। यहाँ तक कि सामान लाने वाले ट्रक एक तरह से केसिंग का कार्य कर सकता है।

असामाजिक तत्व आई.ई.डी. धमाकों करने के लिए तीन तरीकों का उपयोग करते हैं। वे अक्सर डिवाइस को एक पैकेज में छिपाते हैं, जो सामने से दिखाई ना दे, छिपा हुआ रहे। जानवरों या मनुष्यों का मृत शरीर भी इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे किसी वाहन में भी रखा जा सकता है। जिसका प्रयोग बड़े धमाके और अधिकतम नुकसान (वाहन से उत्पन्न आई.ई.डी. या वी.बी.आई.ई.डी.) पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। व्यक्ति एक काफिले के मार्ग पर आई.ई.डी. से भरी कार पार्क कर सकता है और वी.बी.आई.ई.डी. को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सुरक्षित दूरी से विस्फोट किया जा सकता है। इसकी एक अन्य विधि आत्मघाती बम धमाका हो सकती है। इसमें हमलावर अपने शरीर के ऊपर विस्फोटक बाँध लेता है और भीड़ वाली या पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर विस्फोटक में धमाका कर देता है।

आई.ई.डी. के प्रकार

1. पैकेज से आई.ई.डी. विस्फोट— पाइप बम, टिफिन बम आदि।
2. आत्मघाती आई.ई.डी. विस्फोट— आत्मघाती हमलावर द्वारा शरीर के ऊपर विस्फोटक बाँधकर या पहनकर विस्फोट किया जाता है।
3. वाहन से आई.ई.डी. विस्फोट— यह बहुत अधिक शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा विस्फोटक का प्रयोग किया जा सकता है।

आई.ई.डी. का पता लगने पर की जाने वाली कार्यवाही

रिपोर्ट करना

अपने संगठन के वरिष्ठ या संबंधित अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें।

क्षेत्र तुरंत खाली कराएँ

सुनिश्चित करें की आई.ई.डी. वाले क्षेत्र को तुरंत खाली कराया जाए और सभी लोग क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

© NCERT not to be republished

टिप्पणी

आई.ई.डी. पैकेज को पहचानना

1. पैकेज पर 'व्यक्तिगत' या 'निजी' लिखा हो सकता है। जिस व्यक्ति को पैकेज दिया जाता है, यदि वह सामान्यतया कार्यस्थल पर व्यक्तिगत पैकेज प्राप्त नहीं करता है, तो यह संकेत महत्वपूर्ण हो सकता है।
2. पैकेज पर लिखा गया पता या नाम गलत हो सकता है या वह एक काल्पनिक पता भी हो सकता है।
3. संदिग्ध पैकेज में तार, एल्यूमिनियम फॉइल, तेल के दाग हो सकते हैं और किसी गंध का उत्सर्जन भी हो सकता है।
4. पैकेज से आने वाली किसी प्रकार की आवाज़ या ध्वनि भी चिंता का कारण हो सकती है।
5. यदि पैकेज ऐसा है कि उसे खोलने के लिए किसी प्रकार दबाव डालने की आवश्यकता पड़े, तो वह संदिग्ध हो सकता है।
6. यदि पैकेज ढीला बँधा है एवं पैकिंग संतुलित नहीं है, तो इसे भी संदिग्ध माना जा सकता है।
7. यदि पैकेज का वज़न उसके आकार से बहुत अधिक है, तो वह एक आई.ई.डी. हो सकती है।
8. पैकेज को महसूस करने से पता चलेगा कि इसमें वास्तव में एक फोल्डर पेपर है या धातु और तार हैं।
9. पैकेज को रोशनी के नीचे ले जाकर संदिग्ध पत्र की रूपरेखा का अनुमान लगाया जा सकता है।

अपनी प्रगति जाँचे

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. .... एक विस्फोटक चार्ज है, जो मुख्य विस्फोटक में विस्फोट करता है।
2. आई.ई.डी. के .... को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है जिससे विस्फोट को किसी विशेष दिशा में किया जा सके।
3. .... से आई.ई.डी. विस्फोट शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रख सकते हैं।

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. .... काँच या धातु के तेज़ टुकड़े हैं, जो आई.ई.डी. विस्फोट की स्थिति में घातक परिणाम देते हैं।

   क. डेटोनेटर   ख. केसिंग

   ग. स्पिंलटर्स   घ. उपरोक्त में से कोई नहीं

© NCERT not to be republished

2. एक आई.ई.डी. के जरिए किया गया विस्फोट ..... होता है।
   क. हमेशा छोटे पैमाने पर होता है
   ख. हमेशा बड़े स्तर पर होता है
   ग. इस बात पर निर्भर करता है कि आई.ई.डी. को कैसे असेंबल किया गया है
   घ. उपरोक्त में से कोई नहीं

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आई.ई.डी. के घटकों का वर्णन करें। आई.ई.डी. पारंपरिक विस्फोटक सामग्री से कैसे भिन्न होता है?
2. नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड एक संदिग्ध पैकेज की पहचान कैसे कर सकता है?
3. संदिग्ध पैकेज की पहचान के बाद उपयुक्त प्रतिक्रिया तंत्र क्या है?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र के अध्ययन के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- सभी प्रकार के आई.ई.डी. को सूचीबद्ध करना।
- संदिग्ध पैकेज की पहचान के बाद उपयुक्त प्रतिक्रिया तंत्र का वर्णन करना।

सत्र 3 — नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए सुरक्षा उपकरण

प्रत्येक नौकरी में किसी न किसी तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है, जो नौकरी की ज़िम्मेदारियों को सहज और प्रभावी तरीके से पूरा करने में सहायक होते हैं। एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को प्रभावी ढंग से ड्यूटी करने के लिए कुछ उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड का मुख्य कार्य निरीक्षण करना, पता लगाना ओर रिपोर्ट करना है। निम्नलिखित उपकरण सुरक्षा गार्ड को अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।

चित्र 3.2 — नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड द्वारा पहनी जाने वाली जैकेट

यूनिफार्म एवं उपकरण

यूनिफार्म

एक सुरक्षा गार्ड को प्रतिदिन यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। उच्च दृश्यता वाली विलक्षण यूनिफार्म सुरक्षा गार्ड को दूर से ही पहचानने में मददगार होती है। यह उसे सुरक्षित एवं सावधान रहने में मदद करती है। एक सुरक्षा गार्ड के जूते भी विशेष होने चाहिए क्योंकि उसे अधिक समय तक खड़े रहना या चलते रहना पड़ता है।

© NCERT not to be republished

टॉर्च

एक सुरक्षा गार्ड के पास टॉर्च होना अति आवश्यक है। इसका उपयोग वह रात में रास्ता देखने, लोकेशन जानने, किसी चीज़ का पता लगाने और वह दिन के दौरान अंधेरे में भी कर सकता है।

चित्र 3.3 — टू-वे रेडियो

डिजिटल कैमरा

यदि निगरानी करने वाला कैमरा या सी.सी.टी.वी. मौजूद न हो तो गश्त के दौरान एक डिजिटल कैमरा या स्मार्टफ़ोन में लगा कैमरा भी उपयोगी हो सकता है। डिजिटल कैमरे का उपयोग घटनाओं, लोगों, लेख आदि की तस्वीरे लेने और उसकी रिकॉडिंग करने में किया जा सकता है। ये कैमरे अपराध का पता लगाने में सहायक होते हैं, क्योंकि सभी संदिग्ध गतिविधियाँ, आवागमन और पैकेज इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं।

नोट पैड एवं पेन

सुरक्षाकर्मी जब गश्त लगा रहा हो, तो उसके पास नोट पैड एवं पेन होना चाहिए। उन्हें एक स्थल पर आने-जाने वालों और प्रवेश द्वार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के रिकॉर्ड को बनाए रखना आवश्यक होता है। एक सुरक्षाकर्मी को एक स्थल पर प्रवेश द्वार से आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, संपर्क नंबर, आने-जाने के समय की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। यह जानकारी उनके जाने के बाद, किसी भी अप्रिय घटना या आपात समय में उस व्यक्ति को ढूँढने में सहायक हो सकती है। यह लिखित जानकारी भविष्य में अदालत में एक प्रमाण के रूप सहायक हो सकती है।

टू-वे रेडियो (दो-तरफा रेडियो)

वाहन एस्कोर्ट्स और सुरक्षा गार्ड के पास यह टू-वे रेडियो हमेशा रहता है, जिससे नियंत्रण कक्ष में बैठे दूसरे सुरक्षा गार्डों के साथ संवाद हो सके।

मोबाइल फ़ोन या टेलीफ़ोन

सेलफ़ोन या मोबाइल फ़ोन और टेलीफ़ोन से किसी भी समय बात करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कोई आगंतुक आता है और संस्था में प्रवेश चाहता है तो सुरक्षा गार्ड तत्काल संबंधित व्यक्ति को मोबाइल से फ़ोन करके और आदेश लेकर उसे अंदर भेज सकता है।

सुरक्षा गार्ड का डंडा

डंडे का उपयोग सुरक्षा गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। एक सुरक्षा गार्ड की बेल्ट से लटकता हुआ डंडा चारों तरफ़ शांति सुनिश्चित करता है।

© NCERT not to be republished

चित्र 3.4 — मेगाफ़ोन
(स्रोत — httpspixabay.comen megaphone-speaker-man-sound-alert-297467)

परिवहन नियंत्रण करने का डंडा

परिवहन नियंत्रित करने वाले डंडे में लाल एवं हरे रंग की रोशनी होती है जो यातायात नियंत्रण के समय वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित करने के काम आती है।

मेगाफ़ोन (मोबाइल पब्लिक एड्रेस सिस्टम)

सार्वजनिक संबोधन (पी.ए.) प्रणाली एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग बड़ी सभाओं को संबोधित करने के लिए, खासकर किसी आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। आवश्यक घोषणा करने के लिए या अतिथियों को आग लगने की सूचना देने के लिए किया सकता है। इस सम्पूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण एक सहायक सुरक्षा अधिकारी (एस.एस.ओ.) द्वारा चौबीस घंटे किया जाता है।

चित्र 3.6 — विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली

चित्र 3.5 — इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली के तत्व

विद्युतीय सुरक्षा प्रणालियाँ (इलेक्ट्रानिक सिक्योरिटी सिस्टम्स)

अब हम विद्युतीय सुरक्षा प्रणालियों की प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। ये श्रेणियाँ इस प्रकार हैं—

1. अतिक्रमी चेतावनी प्रणाली (इंट्रूडर अलार्म सिस्टम)
2. क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) सिस्टम
3. प्रवेश नियंत्रण प्रणाली (एक्सेस कंट्रोल सिस्टम)
4. सुरक्षा प्रकाश प्रणाली (सिक्योरिटी लाइटिंग सिस्टम)
5. अग्नि खोज प्रणाली (फायर डिटेक्शन सिस्टम)
6. सुरक्षा और आपात प्रणाली (सेफ्टी एंड इमरजेंसी सिस्टम)

© NCERT not to be republished

अतिक्रमी चेतावनी प्रणाली (इंट्रूडर अलार्म सिस्टम)

अतिक्रमी चेतावनी प्रणाली (इंट्रूडर अलार्म सिस्टम) किसी जगह पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले लोगों की उपस्थिति का पता लगाती है, एक अतिक्रमी चेतावनी प्रणाली के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं—

1. नियंत्रण इकाई (पैनल, रिमोट, की-पैड)
2. संवेदक उपकरण (गर्मी, शोर एवं गति संवेदक, परिधिय संवेदक)
3. ऑन-साइट साउंडर्स (बेल, साइरन)
4. संकेतक उपकरण (डिजिटल, रेडियो, संचारक)

इस प्रणाली को नियंत्रक इकाई से चालू या बंद किया जा सकता है जो एक डिजिटल कीपैड के उपयोग से संचालित होती है। इसका संचालन मुख्य निंयत्रक इकाई या कीपैड दोनों से संभव है।

क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) सिस्टम

सी.सी.टी.वी. प्रणाली में कैमरा, वीडियो, रिकार्डर और मॉनिटर्स का उपयोग करके एक विशेष स्थान की निगरानी की जाती है। यह सी.सी.टी.वी. प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। ये एनलॉग या डिजिटल तथा तारयुक्त और बेतार किसी भी तरह की हो सकती है। सी.सी.टी.वी. प्रणाली के मुख्य उपकरण इस प्रकार हैं—

1. कैमरा एवं लेंस
2. मॉनिटर
3. वीडियो रिकार्डर
4. केबल

सी.सी.टी.वी. प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं—

1. यह बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती है, जैसे शॉपिंग मॉल आदि और जहाँ कम कर्मचारी हैं वहाँ भी इसका प्रयोग लाभप्रद है।
2. यह किसी भी क्षेत्र या दूरस्थ क्षेत्र को भी मॉनिटर करने में मदद करती है।
3. सुरक्षा कर्मचारी द्वारा इसके प्रयोग से किसी भी दुर्घटना का पता लगाया जा सकता है और त्वरित कार्यवाही की जा सकती है।

चित्र 3.7 — सी.सी.टी.वी. कैमरा
(स्रोत— *httpspixabay.comencam era-security-crime-screws-gla ss-2412643)*

प्रवेश नियंत्रण प्रणाली

इस सत्र में प्रवेश नियंत्रण प्रणाली से संबंधित उपकरण, जैसे— हाथ में पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर, एक्सरे स्कैनर के विषय में जानकारी दी गई है। प्रोक्सीमिटी कार्ड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली है। प्रोक्सिमिटी कार्ड रीडर लगातार रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर.एफ़.) सिग्नल छोड़ता है जो अधिकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक पहचान पत्र को सक्रिय कर देता है। जैसे ही कार्ड को रीडर से एक निश्चित दूरी पर

चित्र 3.8 — प्रोक्सिमिटी कार्ड रीडर

© NCERT not to be republished

लाया जाता है, कार्ड रीडर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिटेक्ट करता है और रीडर तथा पूरी प्रणाली को एक यूनिक आइडेंटिफिकेश कोड संप्रेषित हो जाता है। कार्ड रीडर इस यूनिक कोड की जाँच करता है और बंद द्वार अपने आप खुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में मात्र एक सेकेंड का समय लगता है।

सुरक्षा के लिए प्रकाश प्रणाली

चित्र 3.9 — सी.सी.टी.वी. कैमरे के साथ सुरक्षा के लिए प्रकाश प्रणाली

सुरक्षा के लिए प्रकाश प्रणाली के प्रमुख उपकरण हैं—

1. बिजली का स्रोत— बिजली का स्रोत सीधे मुख्य बिजली से जुड़ा होता है। आपातकाल की स्थिति में इन्वर्टर एवं जनरेटर बैकअप के रूप में कार्य करते हैं और बिजली आपूर्ति बनी रहती है।
2. तार लगाना— यह अनुमानित बिजली के लोड के अनुरूप होना चाहिए।
3. स्थापन— इसे किसी इमारत, खंभे या मस्तूल (मस्ट) लगाया जा सकता है।
4. स्विच— इसके उदाहरण हैं, जैसे— दीवारों पर लगे स्विच, टाइमर, लाइट सेंसर या मोशन डिटेक्टर।
5. लेंस— इसका प्रयोग प्रकाश के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
6. केसिंग— केसिंग का उपयोग किसी प्रदीपक, जोड़, दर्पण को क्षति से बचाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

सुरक्षा के लिए प्रकाश प्रणाली के लाभ

सुरक्षा के लिए प्रकाश प्रणाली स्थापित करने के लाभ इस प्रकार हैं—

1. यह घुसपैठियों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से रास्तों पर जहाँ राहगीरों का ध्यान परिसर पर खींचा जा सकता है।
2. यह घुसपैठियों की निगरानी को बढ़ाकर उनका पता लगाने में मदद करता है।
3. यह गश्त के दौरान सुरक्षा गार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अग्नि खोज प्रणाली

अग्नि खोज प्रणाली एक इमारत में आग का पता लगाने में सहायता करती है जिससे संबंधित अधिकारियों को इसके फैलने से पहले स्थिति को नियंत्रित करने साथ ही जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान से बचाने में मदद मिलती है।

अग्नि खोज प्रणाली के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं—

1. नियंत्रण इकाई।
2. धुएँ, गर्मी आदि के लिए चेतावनी उपकरण (धुआँ संसूचक)।
3. चेतावनी की घंटी या सायरन।

© NCERT not to be republished

4. ऐसा उपकरण, जो निगरानी केंद्र को सतर्क करने के लिए संकेत भेजता है।
5. पर्यावरण और जोखिमों के अनुकूल केबल (तार) लगाना।

चित्र 3.10 — अग्नि चेतावनी प्रणाली की इकाई

सुरक्षा और आपात प्रणाली (सेफ्टी एंड इमरजेंसी सिस्टम)

नागरिक सुरक्षा संगठनों में कानून प्रवर्तन, अग्नि एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ शामिल होती हैं। नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस, अग्नि सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड, आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसी एवं आपात स्थिति में चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं जैसी कई सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियाँ कार्यरत हैं। कुछ स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का प्रयोग भी जन-धन की सुरक्षा के लिए किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं—

हेल्पलाइन

कई कॉल सेंटर आपातकालीन सहायता सेवा, जैसे— पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि में 24 घंटे सेवा एवं सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यरत रहते हैं।

मोबाइल एप्लीकेशन

कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन हैं, जो आपात स्थिति में पुलिस को भी चेतावनी देने का कार्य करती हैं। यह आपात स्थिति के दौरान एक प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भू-स्थानिक सूचना का उपयोग भी करती हैं। इसका उदाहरण 'हिम्मत' एप है, जिसे दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2015 में लॉन्च किया था, यह पूर्ण रूप से निशुल्क है और राजधानी में महिलाओं के लिए अत्यधिक अनुशंसित भी है। उपयोगकर्त्ता को इसे डाउनलोड कर इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिससे उसे एक रजिस्ट्रेशन की (ओ.टी.पी.) मिलेगा, एप्लीकेशन कांफिगरेशन को पूरा करने के लिए इसे दर्ज करना आवश्यक है। जैसे ही उपयोगकर्ता 'हिम्मत एप' का इस्तेमाल करता है तुरंत एस.ओ.एस. अलर्ट जारी हो जाता है और लोकेशन की जानकारी, ऑडियो-वीडियो सहित दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है एवं दिल्ली पुलिस तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन से उस व्यक्ति तक मदद भेज देती है।

वीडियो से निगरानी रखना

नागरिकों की सुरक्षा के लिए वीडियो निगरानी कैमरे का प्रयोग किया जाता है। यह कभी-कभी स्वचालित रूप से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चेतावनी देता है। निगरानी कैमरे एक क्षेत्र की निगरानी के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वीडियो कैमरे हैं। ये वीडियो कैमरे अक्सर एक रिकॉर्डिंग उपकरण से जुड़े होते हैं और सुरक्षा गार्ड या कानून प्रवर्तन अधिकारी इनकी रिकार्डिंग को देख सकते हैं।

© NCERT not to be republished

स्वचालित अग्नि चेतावनी प्रणालियाँ

स्वचालित अग्नि चेतावनी प्रणालियों को आग लगने की घटना का पता लगाने और चेतावनी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति या आग लगने पर इमारत के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा सके।

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

किसी शॉपिंग मॉल या ए.टी.एम. बूथ या किसी अन्य प्रतिष्ठान पर जाएँ, वहाँ आप एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को देख सकते हैं। आप दूर से ही उस गार्ड का अवलोकन करें कि गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान किन उपकरणों का उपयोग करते हैं और इसे नोट करें। इस सत्र में बताए गए उपकरणों में से कौन-से उपकरण सुरक्षा गार्ड ने उपयोग किए और किन कार्यों के लिए उपयोग किए, इसकी एक सूची बनाएँ। ऐसे उपकरणों की भी सूची बनाएँ, जो गार्ड के पास नहीं थे। इस बात का विश्लेषण करें कि क्या ऐसे उपकरण, जो गार्ड के पास नहीं थे, लेकिन उनसे उसे प्रभावी रूप से अपने कर्तव्य को निभाने में मदद मिलती। यदि हाँ, तो वह कैसे मदद मिलती? यदि नहीं, तो मदद क्यों नहीं मिलती?

गतिविधि 2

अपने स्कूल की इमारत या अन्य किसी इमारत में घूमकर निम्नलिखित दृष्टि से निरीक्षण करें—

क. ज्वलनशील एवं जोखिम वाली सामग्री स्रोत (क्या वे अलग-थलग हैं, क्या वे हटा दिए गए हैं या क्या वे सुरक्षित हैं)।

ख. आपातकालीन संग्रहण क्षेत्र।

ग. इमारत में निकास मार्ग या निकासी क्षेत्र हैं (क्या वे आग या अन्य आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी की सुविधा के लिए तैयार है)।

घ. एलार्म व्यवस्था का पता लगाना (क्या वे सक्रिय हैं?)।

ङ. अग्निशमन यंत्र कार्य कर रहा है? क्या उनको रिफील्ड किया गया है और उनका रखरखाव निरंतर होता है।

च. मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिविल अवसंरचनाएँ (क्या उनका रखरखाव ठीक है और वे संचालन की अवस्था में है)।

छ. आपातकालीन संपर्क की जानकारी (क्या वे निर्धारित स्थान पर उपलब्ध है)।

अपनी प्रगति जाँचे

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. लाल एवं हरे रंग की रोशनी वाला ..... ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग की जाती है।
2. उच्च ..... यूनिफार्म सुरक्षा गार्ड की दृश्यता को बढ़ाता है।

© NCERT not to be republished

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सी.सी.टी.वी. प्रणाली का प्रयोग ..... के लिए हो सकता है।
   क. भीड़ प्रबंधन करने
   ख. परिसर में अपराध की आशंका का पता लगाने
   ग. जोखिम को रोकने एवं आपातकालीन सुरक्षा
   घ. उपरोक्त में से कोई नहीं
2. एक निजी सुरक्षा गार्ड के लिए डंडे को साथ रखने का उद्देश्य है —
   क. अपराध को रोकना
   ख. यदि भीड़ हिंसक हो जाए, तो लाठी चार्ज के रूप में जवाबी कार्यवाही के लिए प्रयोग करना
   ग. क एवं ख दोनों
   घ. उपरोक्त में से कोई नहीं।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. ड्यूटी करने के लिए एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड द्वारा ड्यूटी के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची बनाएँ। इसको उनके द्वारा की जाने वाली उनके विभिन्न कर्तव्य के आधार पर वर्गीकृत करें (जैसे— अवलोकन करना, रोकना और रिपोर्टिंग)।
2. क्या आप समझते हैं कि किसी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में प्रकाश प्रणाली का क्या महत्व है?
3. रात्रि में यात्रा करते समय आप ट्रैफिक पुलिस के जवानों को लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली जैकेट पहने हुए देखते हैं, ऐसी जैकेट का क्या उद्देश्य होता है? कौन से सुरक्षा गार्ड इस तरह की वर्दी में होने चाहिए?
4. नीचे दी गई तालिका में एक सुरक्षा प्रणाली के प्रमुख तत्वों को लिखें—

सुरक्षा प्रणाली के मुख्य उपकरण				
सुरक्षा के लिए प्रकाश प्रणाली	सी.सी.टी.वी.	प्रवेश नियंत्रण प्रणाली	आंतरिक अलार्म व्यवस्था	अग्निखोज प्रणाली

आपने क्या सीखा?

इस सत्र के अध्ययन के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की पहचान करना।
- विभिन्न सुरक्षा उपकरणों के उद्देश्यों और लाभ का वर्णन करना।

© NCERT not to be republished

इकाई 4

प्रवेश नियंत्रण

आपने रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वारों पर पुलिस अधिकारियों को व्यक्तियों और उनके सामान की जाँच करते हुए देखा होगा। जैसा कि आप जानते होंगे प्लेटफार्म पर और ट्रेनों में उपद्रवियों एवं असामाजिक तत्वों से लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने वाली पुलिस या सुरक्षा गार्ड ही होते हैं। इनके द्वारा असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रेलवे स्टेशनों पर नियंत्रित करने से ही सब सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार, आप समझ सकते हैं कि एक सुरक्षा गार्ड का प्रवेश पर नियंत्रण भी अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (जैसे— पंक्तियाँ बनाना)। यह अराजकता को रोकने में भी अत्यंत उपयोगी है।

लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करना एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। यह लोगों, सामग्री तथा सूचना की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करता है। जान-माल एवं संपत्ति (लोग, सामग्री और सूचना) पर खतरे को देखते हुए प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया सरल और जटिल दोनों तरह की हो सकती है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया एक शॉपिंग मॉल की तुलना में भिन्न होगी। परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया परिष्कृत और कर्मचारियों के लिए असुविधा कारण बन सकती है, परंतु उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए यह नियंत्रण आवश्यक है। इस प्रकार का प्रवेश नियंत्रण शॉपिंग मॉल में लागू करने पर जनता को असुविधा भी होगी और यह महंगा भी साबित होगा, क्योंकि सामान्यतया इस प्रकार के स्थानों पर खतरे की आशंका कम ही होती है। इसलिए सुरक्षा की साधारण प्रक्रिया ही यहाँ के लिए पर्याप्त है।

इस इकाई में आप, गश्त के विषय में जानेंगे। एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कर्तव्यों, जैसे— अवलोकन या निरीक्षण करना, पता लगाना या रोकना (किसी

© NCERT not to be republished

अवांछनीय घटना से बचाव) एवं रिपोर्ट करने पर पहले ही चर्चा कर चुकी है। पेट्रोलिंग (गश्त लगाना), अवलोकन और रोकने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से करने में मदद करती है। यह एक नियमित अंतराल पर वाहन के द्वारा या पैदल चलते हुए आसपास के क्षेत्र पर नज़र रखने की प्रभावी प्रक्रिया है। इस इकाई में गश्त लगाने और इसके योजना के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस इकाई के सत्रों में उन तरीकों पर भी चर्चा की गई है, जिनमें लोगों, उनके सामान और वाहनों की उपकरणों की मदद से या इनके बिना भी तलाशी ली जाती है। आधुनिक युग में, सुरक्षा गार्ड को लोगों के शरीर की जाँच के लिए हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाले मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरण से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। यदि कोई खतरनाक या अवैध पदार्थ जाँच के दौरान प्राप्त होता है, तो उस व्यक्ति को निर्धारित मानदंडों के अनुसार अस्थायी रूप से हिरासत में रखा जाना चाहिए और इस मामले की सूचना संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसी को दें।

सत्र 1 — तलाशी एवं ज़ब्ती

'तलाशी' एवं 'ज़ब्ती' कानूनी कार्यवाही का ही एक हिस्से के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी को किसी अपराध के संबंध में यदि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति पर संदेह होता है तो उसकी जाँच की जाती है। 'तलाशी' एवं 'ज़ब्ती' के अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ़्तार करना भी शामिल है। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने या उसकी संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए तलाशी या गिरफ़्तारी का वारंट होना चाहिए। हालाँकि इस नियम के अपवाद भी हैं कि जाँच से पहले ही वारंट प्राप्त किया जाना चाहिए।

गश्त लगाना

जैसा कि पहले ही एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के मुख्य कर्तव्यों पर चर्चा की जा चुकी है कि उसका कार्य निरीक्षण करना, रोकना और सूचना देना है। गश्त लगाने की प्रक्रिया में कुछ कर्मियों के समूह को किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक निगरानी करने एवं सुरक्षा खामियों के संकेतों की जाँच करनी होती है। एक गश्त कर्मी के कर्तव्यों में कॉल का जवाब देना, विवादों का समाधान करना, घटना की रिपोर्ट लेना, सुरक्षा प्रवर्तन दिशानिर्देशों को लागू करना और अपराध की रोकधाम के उपायों को अपनाने की प्रक्रिया शामिल होती है। गश्त प्रभारी अक्सर उल्लंघन के विरुद्ध निर्णय लेते हैं, सुरक्षा का उल्लंघन होने पर उस जगह पर सबसे पहले गश्त प्रभारी ही पहुँचता है। गश्त का प्रभारी वह व्यक्ति होता है, जो किसी संपत्ति की बाहरी परिधि की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होता है और नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में अक्सर उसके करीब होता है। गश्त से एक बेहतर निरीक्षण में सहायता

© NCERT not to be republished

मिलती है और यह अपराध का पता लगाने और रोकने का कार्य भी करती है। गश्त करने से तात्पर्य यह है कि एक नियमित अंतराल पर पैदल या वाहन के जरिए घूमते हुए किसी विशेष क्षेत्र या स्थान की निगरानी रखना।

गश्त करने के उद्देश्य

1. किसी विशेष स्थान पर मरम्मत या रखरखाव संबंधी खतरे की पहचान करना, उदाहरण के लिए कचरा के ढेर, पानी के पाइप या टैंक के रिसाव का पता लगाना।
2. सुरक्षा के लिए खतरे की पहचान करना, जैसे — बिजली के तारों का आपस में टकराना आदि।
3. आग लगने से संबंधित आपात स्थिति का पता लगाना।
4. क्षेत्र को सुरक्षित रखकर, चोट लगने की जानकारी देकर, प्राथमिक उपचार में सहायता प्रदान करके, कर्मचारियों की मदद करना।
5. अपराधों में संलिप्त लोगों, जैसे— बदमाशी, उल्लंघन, चोरी करने वालों इत्यादि की जाँच करना।
6. संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की जाँच करना।
7. केवल अधिकृत लोगों को ही जाँच करके नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना। एक परिसर को सुरक्षित रखने के लिए प्रवेश नियंत्रण को सुनिश्चित करना।
8. जनसंपर्क में सुधार करना।
9. गश्त लगाने के दौरान लोगों की सहायता करना।

गश्त लगाने की तैयारी

एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को गश्त लगाने की अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। जब गश्त की तैयारी चल रही हो तो एक सुरक्षा गार्ड को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

तैनाती के आदेशों का अध्ययन करें

तैनाती के आदेशों में एक सुरक्षा गार्ड से क्या उम्मीद की जाती है, इसके लिए स्पष्ट आदेश होते हैं। उसमें गश्त का उद्देश्य, गश्त का मार्ग, समय, मार्ग के प्रमुख नाके-चौकियाँ, आपातकालीन स्थिति में क्या करें, सूचना देने की प्रक्रिया, जोखिम वाले क्षेत्र और बरती जाने वाली सावधानियाँ जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होती हैं।

© NCERT not to be republished

सहकर्मियों से विचार-विमर्श

पिछली पाली में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा गार्ड से जानकारी लेने के लिए समय से थोड़ा जल्दी पहुँचे। पिछली पाली द्वारा दी गई जानकारियों, सामान्य घटनाओं और उसकी रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ें।

स्थान का ज्ञान

एक क्षेत्र में इमारत की रूपरेखा पर विचार करें। दिन के समय में ही साइट पर जाने की कोशिश करें, ताकि यह पता चल सके कि रात में कौन-से क्षेत्र जोखिमभरे हो सकते हैं। गश्त के मार्ग में निम्नलिखित स्थानों की जानकारियाँ हासिल करें—

1. उस क्षेत्र में रेडियो नेटवर्क या फ़ोन नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्र।
2. वह स्थान जहाँ अग्निशमक उपकरण और आपूर्ति पाइप रखी जाती है।
3. आग से बचने एवं फायर अलार्म बॉक्स रखने का स्थान, विशेष अग्निशमन प्रणाली और उन प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले रसायनों को जानना चाहिए।
4. अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, जैसे कि तिजोरियाँ (अल्मारियाँ) और कम्प्यूटर कक्ष, कीमती सामान या महंगे उपकरण को स्टोर करने का स्थान।
5. इमारत के बाहरी दरवाज़े और परिसर के सभी द्वार।
6. नियंत्रण कक्षों के लिए आवश्यक आपूर्ति (बिजली, पानी, गैस आदि)।
7. डीजल जनरेटर का स्थान या पावर बैकअप इकाई।
8. बिजली के स्विच।
9. गैस और भाप आदि ले जाने वाली पाइप।
10. ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री का भंडारण क्षेत्र।
11. खतरनाक उपकरण, यदि कोई हो तो।
12. प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा।
13. ऐसा क्षेत्र जहाँ फ़ोन एवं रेडियो का उपयोग निषेध हो।

वाहन की जाँच करना

गश्त पर जाने से पहले गश्ती वाहन का निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करें कि उसमें पर्याप्त ईंधन है, संचार के सब उपकरण कार्यरत हैं। एक सुरक्षा गार्ड को जिस क्षेत्र में वाहन के जरिए गश्त करनी है उससे उसे भली-भाँति परिचित होना चाहिए। एक सुरक्षा पहरेदार को गश्ती क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सुगम और त्वरित प्रवेश तथा बाहर निकलने के सभी आपातकालीन मार्गों एवं गश्त क्षेत्र की सभी सड़कों की जानकारी होनी चाहिए।

© NCERT not to be republished

अपने उपकरणों की जाँच करना

गश्त के दौरान निम्नलिखित उपकरणों को साथ में रखना आवश्यक है—

1. बारिश एवं ठंड के अनुसार कपड़े एवं वर्दी।
2. पहचान पत्र।
3. पेन एवं नोट बुक।
4. रेडियो एवं मोबाइल (जिसमें पर्याप्त बैलेन्स हो), जो पूर्णतः चार्ज हो।
5. स्पेयर बैटरी के साथ टार्च।
6. उन क्षेत्रों या स्टेशनों की चेकलिस्ट, जहाँ गश्त करनी है।
7. घड़ी।
8. आपातकालीन नंबर, जैसे— पास के अस्पताल, फायर ब्रिगेड एवं पुलिस थाना आदि।
9. काला चश्मा, टोपी, सुरक्षा दस्ताने आदि।
10. चाबियाँ एवं एक्सेस कार्ड।
11. पानी की बोतल।

योजना का निर्माण

प्रत्येक गश्त के दौरान जिन गतिविधियों को करने की आवश्यकता है, उन्हें सूचीबद्ध करें। जिस मार्ग से गश्त लगनी है उसके मार्ग की योजना बनाएँ, जिसमें प्रमुख चैक पॉइन्ट शामिल हों। मार्ग की योजना और समय को हर बार बदलते रहें ताकि यह अपराधियों या असामाजिक तत्वों के लिए अनुमानित न हो। गश्त के दौरान जल्दबाजी न करें क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दी में छूट सकती है।

गश्त के दौरान संचार एवं समन्वय

परिसर में गश्त के दौरान गश्ती दलों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। इससे सुरक्षा व्यवस्था के उल्लंघन एवं उपद्रव फैलाने वाले लोगों के स्थान की त्वरित पहचान होगी। इससे तत्काल बैकअप लेने और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। प्रभावी संचार, सुरक्षा उल्लंघन के लिए समन्वित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मॉक ड्रिल के दौरान इसका अभ्यास जरूर करें।

सुरक्षा तलाशी — लोग और सामान

निम्नलिखित स्थितियों में लोगों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है—

परिसर में प्रवेश के दौरान

उदाहरण के लिए एक क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में आने वाले लोगों को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से पहले तलाशी लेनी होगी। यदि वे तलाशी देने से इंकार करते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें अंदर जाने से मना कर सकते हैं।

© NCERT not to be republished

परिसर से बाहर निकलने के दौरान

उदाहरण के लिए कंपनी को कंपनी परिसर से बाहर जाते समय कर्मचारियों की तलाशी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है कि कहीं वे जाने-अनजाने कंपनी की कोई वस्तु घर तो नहीं ले जा रहे। यदि नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को लगता है कि कोई व्यक्ति हथियार या संदिग्ध चीज़ ले जा रहा है, तो उसको हथियार या संदिग्ध चीज़ को हटाने या व्यक्ति को रोकने का अधिकार है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह परिसर में हमला करने का मौका देता है। तलाशी के दौरान कभी भी व्यक्ति की जेब या बैग में हाथ नहीं डालें, क्योंकि इससे सुरक्षा गार्ड पर किसी भी चीज़ के चुराने या गायब करने का आरोप लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई किसी नुकीली चीज़ को छूता है तो उससे चोटिल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तलाशी के दौरान हाथ में दस्ताने पहनना बेहतर होता है। साथी सहकर्मी भी तलाशी के कार्य में सहायक होता है।

टटोलकर तलाशी लेना

टटोलकर तलाशी के अंतर्गत एक व्यक्ति के बाहरी कपड़ों को टटोलना होता है। एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड अपने हाथों से व्यक्ति के बाहरी कपड़ों को टटोलता है। जिससे यदि कोई हथियार हो तो उसको छिपाकर अंदर ले जाने से रोका जा सके। इस व्यक्तिगत तलाशी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सावधानीपूर्वक और पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और प्रबंधन को अपने कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा करने के लिए किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों में प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है। कुछ प्रतिष्ठानों, जैसे— टकसाल फैक्ट्री, स्वर्ण आभूषण निर्माता, हीरा पॉलिश करने वाले, आयुद्ध सामग्री निर्माता और सिक्योरिटी प्रेसिज के कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकासी स्थलों पर सख्त निगरानी तथा तलाशी की जाती है। आजकल अधिकांश संस्थानों में ऐसी प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें प्रवेश और निकासी के स्थानों पर, तलाशी के दौरान हैंडहेल्ड या डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है।

चित्र 4.1 — टटोलकर तलाशी के लिए रुकें

तलाशी एवं ज़ब्ती के दौरान निर्धारित मानदंड

एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एक पुलिस अधिकारी नहीं है और उसके अधिकार सीमित हैं। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे अदालत ले जाया जा सकता है। उसे राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी भी ठहराया जा सकता है। तलाशी के दौरान एक सुरक्षा गार्ड को अधिकार है

© NCERT not to be republished

कि वह तलाशी के दौरान बरामद अवैध सामग्री, जैसे— चोरी का सामान, हथियार, नशीले पदार्थ आदि को रोक या जब्त कर सकता है। एक सुरक्षा गार्ड को जब्त करने के अधिकार सीमित हैं, सुरक्षा गार्ड को जब्त किया हुआ सामान तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए। व्यक्तिगत तलाशी लेने के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

1. तलाशी एवं ज़ब्ती के दौरान व्यक्ति के निजता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
2. तलाशी में बहुत ज़्यादा दखलअंदाजी वाला तेवर नहीं अपनाना चाहिए और यह इस तरह की होनी चाहिए कि वह प्रमाण का पता लगाने के लिए हो।
3. तलाशी लेने वाला और जिसकी तलाशी ली जा रही है, वे दोनों एक ही लिंग के होने चाहिए, जैसे पुरुष की तलाशी पुरुष एवं महिला की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ही ली जानी चाहिए।
4. महिला की तलाशी लेने का स्थान निजी होना चाहिए।
5. तलाशी लेने वाले सुरक्षा गार्ड का अधिकार व्यक्ति के बैग, जेब, कार्यालय, फर्नीचर को खाली करने और कोट जैसे बाहरी कपड़ों को हटाने के आदेश तक सीमित है। एक निजी सुरक्षा गार्ड कपड़े उतारकर तलाशी लेने के लिए अधिकृत नहीं होता है।

तलाशी के दौरान प्रयोग किए जाने वाले विद्युतीय उपकरण

हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर

चित्र 4.2 — मेटल डिटेक्टर

एक हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर का प्रयोग हथियारों एवं धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति के बैग में चाकू आदि। तलाशी के दौरान व्यक्ति और डिटेक्टर के बीच की दूरी 3 इंच से कम होनी चाहिए। हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि यह व्यक्ति के शरीर और कपड़ों को ना छूए। यदि किसी व्यक्ति ने जैकेट पहन रखी है, तो हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर को शरीर से 3 इंच दूर रखा जा सकता है।

आमतौर पर हाथ से उपयोग किए जाने वाले मेटल डिटेक्टरों को उच्चतम संवेदनशीलता के स्तर पर सेट किया जाता है यदि किसी भी प्रकार की धातु सामग्री का हस्तक्षेप होता है, तो अलार्म बज उठता है। व्यक्ति के शरीर के स्कैन की विधि हर बार एक जैसी होनी चाहिए ताकि ऑपरेटर शरीर के उन हिस्सों को जान सके, जिन्हें स्कैन करने की ज़रूरत है।

© NCERT not to be republished

प्रक्रिया

1. तलाशी देने जाने वाले व्यक्ति से स्कैन करने के लिए जेब में, जैकेट में रखी सभी वस्तुओं को टेबल पर रखने के लिए कहें।
2. तलाशी देने वाले व्यक्ति को मेज़ से कम से कम 2 फीट की दूरी पर एवं दोनों पैरों के बीच लगभग 18 इंच का अंतराल रखकर खड़ा होना चाहिए। फर्श पर पैरों के बीच निर्धारित दूरी उस व्यक्ति को वांछित स्थिति में खड़े होने एवं स्कैन करने में सहायक होती है।
3. स्कैन किए जाने वाले व्यक्ति को फर्श के समानांतर उसके दोनों हाथों को खोलने के लिए कहें।
4. स्कैन करने वाली मेटल डिटेक्टर मशीन को पहले जाँच लें, इसके लिए इसे स्वयं की बेल्ट और उसके बकल पर घुमाएँ। यदि वह कार्य कर रही है तो डिटेक्टर की ध्वनि प्रकट होगी। ऐसे ही डिटेक्टर मशीन की जाँच करें।
5. हाथ के ऊपर डिटेक्टर मशीन को घुमाएँ। आप कंधे के ऊपर से शुरू कर हाथ की कलाई तक इसे ले जा सकते हैं। इसके बाद डिटेक्टर को बाँह के अंदर से बगल तक घुमाते हुए टखने तक घुमाएँ, इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ और पैर की ओर से भी दोहराएँ। फिर उसे दोनों पैर के अंदर से घुमाते हुए स्कैन करें। इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति के पैरों के बीच स्कैन करते हुए उसके शरीर का कोई भी अंग हैंडहेल्ड स्कैनर मशीन से स्पर्श ना हो।
6. मेटल डिटेक्टर से व्यक्ति के शरीर को आगे और पीछे दोनों ओर से स्कैन करें। व्यक्ति को पीछे स्कैन करने के लिए उसे उसी अनुक्रम में दुहराया जाना चाहिए, जैसे सामने किया गया है।

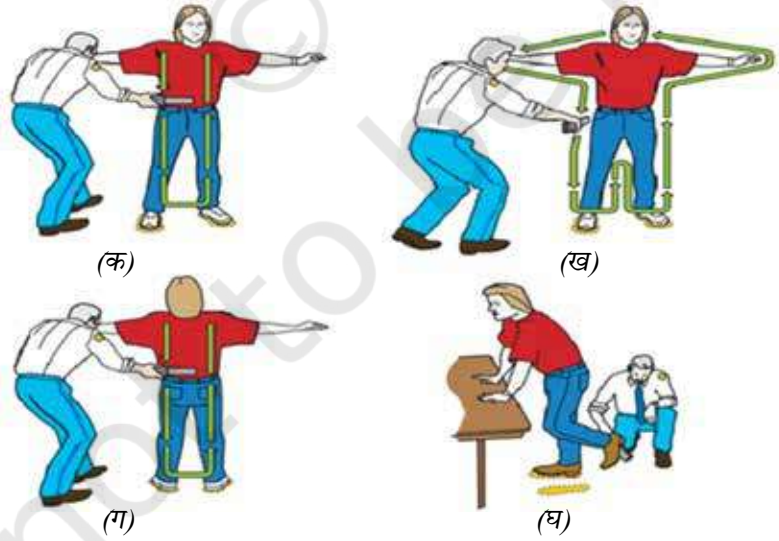

(क) *(ख)* *(ग)* *(घ)*

चित्र 4.3 (क–घ) — मेटल डिटेक्टर का उपयोग करते हुए शरीर की तलाशी लेना

© NCERT not to be republished

7. जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है उस व्यक्ति से सामने रखी मेज़ के किनारे को मदद के लिए पकड़ने को कहें। जूते के निचले हिस्से को स्कैन करने के लिए व्यक्ति को पैर उठाने के लिए कहें। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर के लिए भी अपनाएँ। यदि जूते में कुछ धातु के हिस्से हैं, तो गार्ड को डिटेक्टर मशीन से बीच की ध्वनि सुनने का प्रयास करना चाहिए। दोनों पैर के जूते को स्कैन करते हुए धातु के संपर्क में आने पर एक जैसी बीप की ध्वनि आनी चाहिए।
8. अंत में सिर के हिस्से को स्कैन करने के लिए माथे के ऊपर से शुरू करें और सिर के ऊपर से चारों ओर मशीन को घुमाते हुए पीछे गर्दन तक ले जाएँ।

विभिन्न प्रकार के धातुओं के संपर्क में आने पर डिटेक्टर मशीन से अलग-अलग ध्वनि प्रकट होती है। एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड को डिटेक्टर मशीन से तलाशी लेते समय आने वाली इन विभिन्न ध्वनियों की पहचान होनी चाहिए। सॉफ्ट बीप एवं लाउड अलार्म के बीच अंतर समझने से गार्ड को यह पता करने में आसानी होगी कि जो धातु सामग्री डिटेक्टर के संपर्क में आई है वह बकल आदि जैसी कोई चीज़ है या धातु की कोई बड़ी हानिकारक सामग्री।

यदि वह संदिग्ध वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं दिखाई दे रही है, तो व्यक्ति को उसे दिखाने के लिए कहें कि शरीर के इस हिस्से पर क्या है। उदाहरण के लिए यदि मेटल डिटेक्टर हाथों की जाँच करते समय अलार्म सिग्नल मिले, तो उस व्यक्ति को शर्ट की आस्तीन को ऊपर खींचने के लिए कहें और मेटल डिटेक्टर मशीन को उस वस्तु के ऊपर घुमाएँ, जिससे पता चले कि वह वस्तु संदिग्ध तो नहीं है।

स्कैन किए जा रहे व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड को प्रभावित करने से बचना चाहिए, उस समय जब डिटेक्टर मशीन उसके ऊपर घुमाए जाने पर मशीन अलार्म का संकेत दे रही हो। उदाहरण के लिए अगर डिटेक्टर मशीन पैंट की जेब में किसी संदिग्ध वस्तु के होने का संकेत दे रही है, तो उसके कारण की पूर्णतः जाँच करें। भले ही वह व्यक्ति दावा करे कि वह चाबियों जैसे हानिरहित धातु की वस्तुओं के कारण हो रहा है। एक सुरक्षा गार्ड को जब तक संदिग्ध संकेत मिल रहे हैं, तब तक उसे रुकना नहीं चाहिए, अपितु उसकी अच्छी तरह जाँच करनी चाहिए।

पेट के निचले हिस्से को स्कैन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से निजी होता है, परंतु हानिरहित धातु के सामान आमतौर पर इसी हिस्से पर पाए जाते हैं, जैसे— बेल्ट, बकल एवं जिपर्स आदि। जिस व्यक्ति को स्कैन किया जा रहा है, यदि उसके इस हिस्से पर अलार्म संकेत मिलते हैं, तो व्यक्ति से बेल्ट को हटाने के लिए कहें। जिपर क्षेत्र में मशीन को घुमाते हुए यदि अलार्म के संकेत मिल रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि वह संकेत इसी कारण आ रहे हैं या कोई अन्य संदिग्ध वस्तु के कारण आ रहे हैं। यदि शंका है, तो यह आगे की जाँच का कारण हो सकता है।

© NCERT not to be republished

एक्स-रे बैगेज स्कैनर

चित्र 4.4 — एक्स-रे बैगेज स्कैनर

सामान का एक्स-रे स्कैन करने के लिए एक्स-रे स्कैनर मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन अक्सर हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर रहती है। टी.वी. मॉनीटर वस्तुओं को सेटिंग के आधार पर हल्के या गहरे रंग के रूप में दिखाते हैं। बैग को कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह रखा जाना चाहिए जिससे बैग की व्यापक छवि को स्कैन किया जा सके। बैग को इस तरह से नीचे रखा जाता है कि उसका चौड़ा भाग एक्स-रे के संपर्क में आ जाए, जिससे एक्स-रे की किरणें कम से कम सामग्री से गुजरें। बैग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जाँच में उसका कोई हिस्सा छूट सकता है। सुरक्षा गार्ड को मॉनीटर पर ध्यान देना चाहिए। यदि एक्स-रे के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु टी.वी. मॉनीटर पर दिखाई देती है, तो उसे वरिष्ठ अधिकारी को आगे की जाँच के लिए तुरंत सूचित करना चाहिए।

व्यक्ति के सामान की टटोलकर तलाशी लेना

चित्र 4.5 — सामान में आपत्तिजनक सामग्री दिखाता एक्स-रे स्कैनर

वस्तुओं को छूकर पहचानने का कौशल विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई एक बैग में एकसमान आकार की अलग-अलग बनावट की कई वस्तुओं को छिपा सकता है। एक सुरक्षा गार्ड एक हाथ से बैग उठाकर दूसरे हाथ से टटोलकर उस सामग्री का अंदाजा लगा सकता है। एक गार्ड बिना देखे केवल हाथों से टटोलकर उस सामग्री का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। उसे विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। हाथों से टटोलकर तलाशी के दौरान जाँचकर्ता न केवल आँखों का, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। हाथों से टटोलकर जाँच करते समय दस्ताने पहने जाते हैं। यदि संभव हो, तो हाथों से टटोलकर की जाने वाली जाँच दूसरे सहयोगी गार्डों के सहयोग से या उनके सामने की जानी चाहिए।

तलाशी के दौरान जोखिमों और खतरों की सूचना देना

तलाशी के दौरान यदि कोई जोखिमभरी या खतरनाक सामग्री मिलती है, तो उसकी जानकारी दर्ज करके उसकी सूचना देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गश्त के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामान की तलाशी पर भी लागू होता है। इस तरह की जानकारी को दर्ज करने और उसकी सूचना देने में निरंतरता संदिग्ध असामाजिक

© NCERT not to be republished

तत्वों को पहचानने में मदद करती है तथा संभावित व्यक्ति की भागीदारी, घटना के लक्षित क्षेत्रों और अपराधियों को दर्शाती है। रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग प्रशासन को भी चौकस और सतर्क रखती है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सुरक्षा रजिस्टर में आगंतुकों, कर्मचारियों और वाहनों के आवागमन से संबंधित जानकारी दर्ज होती है।

तालिका 4.1 — आगंतुकों की जानकारी दर्ज करने का प्रारूप

क्रम सं.	जानकारी दर्ज करने का प्रारूप
1.	आगंतुक संख्या
2.	आगंतुक का नाम
3.	आगंतुक के संस्थान का नाम और पता
4.	किससे मिलना है
5.	आने का प्रयोजन
6.	संपर्क नंबर
7.	प्रवेश का समय
8.	हस्ताक्षर
9.	निकास का समय
10.	सुरक्षा गार्ड के हस्ताक्षर
11.	टिप्पणी, यदि कोई हो तो

सूचना देने वाली घटनाएँ

1. व्यक्ति का हथियार, रसायन, पदार्थ या सामग्री के साथ प्रवेश निषेध होता है।
2. हथियार एवं रसायन वाले सामान का प्रवेश निषेध होता है।
3. संदिग्ध पैकेज
4. संदिग्ध व्यक्ति
5. उपद्रव
6. जबरन प्रवेश
7. आग संबंधी जोखिम
8. विद्युत संबंधी जोखिम

© NCERT not to be republished

9. टूटे ताले जैसी सुरक्षा का उल्लंघन
10. ज़्यादातर सामान्य शारीरिक चोटें फिसलने, ठोकर लगने और गिरने आदि के कारण होती हैं।

घटनाओं की सूचना देना

कार्य की प्रक्रिया के दौरान लोगों या उपकरणों के साथ होने वाली घटनाओं एवं त्रुटियों का विवरण देना ही रिपोर्टिंग या सूचना देना कहलाता है, जो उस प्रक्रिया में घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। आमतौर पर स्वीकृत परिपाटी के रूप में पहले मौखिक रूप से या अनौपचारिक संदेश देना होता है, उसके तुरंत बाद घटना के 24 घंटे के भीतर एक औपचारिक विस्तृत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट समस्या को रोकने के लिए की गई कार्यवाही या ऐसी अन्य घटनाओं को रोकथाम के लिए की गई उपचारात्मक कार्यवाहियों का विवरण प्रदान करती है।

घटना से प्रभावित ग्राहक, कर्मचारियों एवं उपकरणों के बारे में जानकारी रिपोर्ट में होनी चाहिए। साधारणतया यह विभाग के अधिकृत व्यक्ति या विभाग के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होता है। ऐसी कुछ रिपोर्ट की प्रकृति गोपनीय होती है और ऐसी वर्गीकृत जानकारी से संबंधित रिपोर्ट पर संगठन की नीति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

सत्र में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हाथ में मेटल डिटेक्टर या इसकी प्रतिकृति की सहायता से किसी व्यक्ति की जाँच की प्रक्रिया का अभ्यास करें।

गतिविधि 2

अपने दोस्त के साथ जोड़ा बनाएँ। एक बैग ले लें और उसमें एक समान आकार वाली, लेकिन अलग-अलग बनावट वाली वस्तुओं को डालें। अपने हाथों को बैग में डालें और वस्तुओं की टटोलकर जाँच करें। वास्तव में उन वस्तुओं को देखे बिना उन्हें पहचानने की कोशिश करें। उन जाँची हुई वस्तुओं को अलग से सूचीबद्ध करने का अभ्यास करें। उसके बाद, बैग से सारी वस्तुएँ हटा दें और इस बात की जाँच करें कि आपने कितनी वस्तुओं की पहचान कर ली है।

गतिविधि 3

कुछ घरेलू सामान (जैसे— कंघी, लिपिस्टिक, चूड़ियाँ, चम्मच, कांटा, पट्टी एवं दवा आदि) को एक बड़ी ट्रे में रखें और उनके नाम याद रखें। अब उन वस्तुओं को कपड़ों से ढकें और बिना वस्तुओं को देखें उन वस्तुओं के नामों को सूचीबद्ध करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप कितनी वस्तुओं को याद कर सकते हैं। इस अभ्यास को तब तक दोहराते रहें जब तक आप ट्रे में रखी सभी वस्तुओं को सूचीबद्ध नहीं कर पाते।

© NCERT not to be republished

अपनी प्रगति जाँचे

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. सामान की स्कैनिंग के लिए ..... स्कैनिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
2. एक ..... हेल्ड ..... डिटेक्टर का उपयोग किसी व्यक्ति के पास या बैग में चाकू और धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किसी व्यक्ति के कपड़ों या शरीर में संदेहास्पद वस्तुओं की तलाशी के लिए कपड़े उतारकर तलाशी .....।
   - क. हमेशा निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा की जा सकती है।
   - ख. केवल निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है।
   - ग. निजी सुरक्षा गार्डो के द्वारा कभी नहीं की जा सकती है।
   - घ. उपरोक्त में से कोई नहीं।
2. मेटल डिटेक्टर से तेज़ बीप ध्वनि आने की स्थिति में सुरक्षाकर्मी यह पता लगा सकेंगे कि क्या .....?
   - क. यह एक बेल्ट की बकल है।
   - ख. यह एक हानिकारक धातु है।
   - ग. क एवं ख दोनों।
   - घ. उपरोक्त में से कोई नहीं।

3. अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर की मदद से जाँच करने की प्रक्रिया को समझाइए। विभिन्न व्यक्तियों की तलाशी लेते समय एक ही पैटर्न को अपनाने की क्या प्रासंगिकता है?
2. संदिग्ध सामग्री या हथियार ले जाने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र के अध्ययन के पश्चात आप सीख सकेंगे —

- गश्त की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करना एवं किस प्रकार प्रत्येक कारक को गश्त की तैयारी करते समय ध्यान रखना।
- तलाशी एवं ज़ब्ती के बाद सामान्य नियमों की सूची बनाना।
- उपकरणों के साथ या उपकरणों के बिना, व्यक्ति या सामान की तलाशी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करना।

© NCERT not to be republished

सत्र 2 — प्रवेश नियंत्रण की संरचनाएँ एवं तकनीक

आप जानते हैं कि एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड का प्रमुख कर्तव्य प्रवेश पर नियंत्रण करना है। आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर प्रवेश नियंत्रण के स्तर अलग-अलग होते हैं। आप अपने विद्यालय में आसानी से एक कक्षा तक पहुँच सकते हैं, लेकिन स्टाफ कक्ष की अलमारी तक नहीं, जहाँ आगामी परीक्षा के प्रश्न-पत्र रखे जाते हैं। प्रवेश नियंत्रण करने की तकनीक भी भिन्न-भिन्न हो सकती है। कुछ स्थानों पर प्रवेश नियंत्रण के लिए पहचान पत्र सत्यापन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर फ्रिंगर प्रिंट, स्कैनिंग आदि का उपयोग किया जाता है।

प्रवेश नियंत्रण के संस्थागत नियम

किसी भी संस्था में तैनात नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड का प्रमुख कर्तव्य प्रवेश नियंत्रण होता है। गार्ड को लोगों, सामग्री (संपत्ति) एवं डाटा की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रवेश नियंत्रण से सुनिश्चित होता है कि केवल सत्यापित अधिकारी या कर्मचारी ही संपत्ति (व्यक्ति, सामग्री या डाटा) तक पहुँच सकता है। एक सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों में प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग तकनीक से प्रवेश नियंत्रण शामिल है, लेकिन प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है। एक रासायनिक प्रयोगशाला की प्रवेश नियंत्रण तकनीक, एक प्रशासनिक भवन के प्रवेश नियंत्रण की तकनीक से भिन्न होगी। एक सुरक्षा गार्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति कार्य के घंटों के दौरान या बाद में, बिना अनुमति कार्यालय या इमारत में प्रवेश न करें। संस्थागत नियम से स्पष्ट होता है कि प्रवेश नियंत्रण के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत प्रवेश करने वाले व्यक्ति और उनकी स्थितियाँ निर्धारित की जाएँगी। इनमें उन स्थितियों का भी वर्णन होगा कि कब किसी व्यक्ति को प्रवेश द्वार पर रोककर प्रश्न पूछा जाए और कब उसके बैग की तलाशी ली जाए। एक सुरक्षा गार्ड को मालिक के बनाए नियमों का पालन प्रवेश नियंत्रण के दौरान सुनिश्चत करना चाहिए। इसके लिए प्रवेश नियंत्रण से संबंधित संस्थागत नियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना आवश्यक है। विभिन्न संस्थाओं के प्रवेश नियंत्रण के अलग-अलग प्रकार के नियम एवं स्तर होते हैं।

चित्र 4.6 — कांटेदार तार एवं बिजली की बाड़

प्रवेश नियंत्रण के स्तर

कम खतरे की आशंका में अत्यधिक परिष्कृत प्रवेश नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कई बार बेवजह सार्वजनिक असुविधा का कारण बन जाता है, साथ अत्यधिक परिष्कृत प्रवेश नियंत्रण पर अधिक धन और समय भी लगता है।

© NCERT not to be republished

कल्पना कीजिए कि एक मॉल में प्रवेश नियंत्रण की जो प्रक्रिया लागू होती है क्या वह एयरपोर्ट पर भी लागू होगी। प्रत्येक स्थान पर आवश्यक प्रवेश नियंत्रण का स्तर न्यूनतम से अधिकतम तक भिन्न-भिन्न होता है, यह स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि सुरक्षा के लिए उस विशेष क्षेत्र की आवश्यकता क्या है।

न्यूनतम प्रवेश नियंत्रण

ऐसे स्थानों पर जहाँ सामान्य प्रवेश की अनुमति हो, जैसे कि सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल, प्रवेश नियंत्रण प्रक्रिया को न्यूनतम रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश करने का कानूनन अधिकार होता है। ऐसे स्थलों पर प्रवेश की अनुमति तभी नहीं दी जाती, जब किसी कानून या नियम का उल्लंघन हो रहा हो।

मध्यम प्रवेश नियंत्रण

इस तरह का प्रवेश नियंत्रण आमतौर पर कार्यालय में या आवासीय क्षेत्रों में देखा जाता है। एक मॉल की तुलना में एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात आवासीय परिसर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश पाना मुश्किल होता है।

अधिकतम प्रवेश नियंत्रण

यह उच्च स्तर की प्रवेश नियंत्रण प्रक्रिया अक्सर उच्च सुरक्षा क्षेत्रों, जैसे— रक्षा उत्पादन इकाई, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सैन्य ठिकानों आदि में लागू होती है। इस प्रक्रिया में संपत्ति के सभी हिस्सों में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों और अलार्म व्यवस्था के संयोजन का उपयोग किया जाता है।

संस्थान एक क्षेत्र में कई प्रकार के प्रवेश नियंत्रण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे-जैसे हम किसी संपत्ति की परिधि में, इमारत के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया जटिल होती जाती है। कई बार एक स्थल पर कई प्रवेश नियंत्रण प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए परिसर की परिधि के प्रवेश नियंत्रण को कांटेदार या बिजली की बाड़ और पहरे की मीनार पर एक सुरक्षा गार्ड द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

संपत्ति की परिधि में प्रवेश नियंत्रण

किसी संपत्ति वाले विशेष क्षेत्र में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए दीवारों, दरवाज़ों, बूम बैरियर्स, पहरे के लिए मीनार और बूथ जैसे अवरोधों का उपयोग किया जाता है। एक सुरक्षा गार्ड प्रवेश द्वार पर एक बूथ से या वीडियो कैमरा का उपयोग करके या रिमोट द्वारा संचालित गेट से किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है। परिसर के गेट पर वाहन के साथ प्रवेश करने और बाहर निकलने पर उपकरण एवं

© NCERT not to be republished

सामग्री चोरी को रोकने के उद्देश्य से भी जाँच करनी पड़ सकती है। ग्राहक को अपने अधिकृत वाहनों का अप-टू-डेट रिकॉर्ड सुरक्षा गार्ड को देना पड़ता है, ताकि प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जा सके। एक सुरक्षा गार्ड को गेट पर होने वाले आवागमन का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए।

सी.सी.टी.वी. प्रणाली से आप संपत्ति की परिधि के साथ ही इमारतों के अंदर की निगरानी कर सकते हैं। हालाँकि, यह गश्त का विकल्प नहीं है। सी.सी.टी.वी. कैमरा को मॉनीटर करने वाले व्यक्ति में अच्छे अवलोकन कौशल का होना अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें अक्सर एक मॉनीटर पर कई कैमरों से रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखना होता है।

चित्र 4.7 — एक बैरियर

किसी संपत्ति क्षेत्र में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश प्रणाली का होना आवश्यक है। जिससे संपत्ति क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम हो सके। प्रकाश की उचित व्यवस्था एक सुरक्षा गार्ड को बेहतर ढंग से देखने और गश्त के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है। नियंत्रण कक्ष में लाइट के स्विच को उपयोग करने के लिए स्विच सुविधाएँ ऐसे स्थल पर होनी चाहिए, जहाँ अनाधिकृत व्यक्ति के लिए पहुँचना मुश्किल हो।

परिधि एवं प्रवेश द्वार का निर्माण

संपत्ति की इमारतों तथा कक्षों में सभी लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक अलार्म प्रणाली को अक्सर भवन के दरवाज़ों और खिड़कियों से जोड़ा जाता है।

© NCERT not to be republished

आजकल कर्मचारियों के पास इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र होते हैं जो उन्हें केवल उसी इमारत या कमरों तक प्रवेश देते हैं, जहाँ वो कार्यरत होते हैं। इलेक्ट्रानिक कार्ड रीडर मशीन कर्मचारियों के कार्ड की पहचान करके उन्हीं कर्मचारियों को अंदर जाने और बाहर निकलने की अनुमति देती है, जिसके पास वैध कार्ड होते हैं। साधारणतः दो प्रकार की प्रवेश नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई जाती है—

1. सुरक्षा गार्ड द्वारा मैनुअल प्रवेश नियंत्रण की जाँच की प्रक्रिया।
2. इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया।

चित्र 4.8 — इलेक्ट्रानिक पहचान पत्र

उपकरणों की अनुपस्थिति में प्रवेश नियंत्रण

एक सुरक्षा गार्ड को किसी मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठने या खड़े होने के लिए कहा जा सकता है। गार्ड का मुख्य कार्य किसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान की जाँच कर यह निर्णय लेना होता है कि क्या वे अंदर प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं या नहीं।

कर्मचारियों की पहचान

सुरक्षा गार्ड केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है, जिन्हें पहचानने में वह सक्षम है। संगठन के कर्मचारी कार्यरत सुरक्षा गार्ड को पहले ही सूचित कर देते हैं यदि कोई बाहरी व्यक्ति उनसे मुलाकात करने या किसी कार्य हेतु आ सकता है। यह प्रक्रिया न केवल पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि वहनीय एवं सहज भी है।

पहचान पत्र प्रणाली

सभी कर्मचारी परिसर में प्रवेश करने से पहले पहचान पत्र (आई.डी. कार्ड) दिखाते हैं। सुरक्षा गार्ड प्रत्येक पहचान पत्र की जाँच करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं—

1. फ़ोटो आई.डी. कार्ड का उपयोग करके सामने खड़े व्यक्ति एवं पहचान पत्र के फ़ोटो से मिलान करना।
2. व्यक्ति का पूरा नाम और हस्ताक्षर की जाँच करना।
3. कंपनी का नाम एवं पहचान पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर।
4. पहचान पत्र की समाप्ति की तारीख।

विशेष पास

परमाणु प्रयोगशाला जैसे अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्रों में आप केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, जिनके पास विशेष पास है। ऐसे पास अक्सर संबंधित विभाग से लिखित आदेशों पर दिए जाते हैं और व्यक्ति से उसकी पहचान प्रमाणित

© NCERT not to be republished

करने के लिए सरकारी दस्तावेज़ की मांग की जाती है। एक लॉगबुक में नाम दर्ज किया जाता है। व्यक्ति को उसका सरकारी पहचान पत्र तब वापस किया जाता है जब व्यक्ति वापस लौटते समय पास वापस कर देता है। अन्य क्षेत्रों या स्थलों पर आगंतुक और अतिथि अपने पास अस्थायी आई.डी. कार्ड की फ़ोटो लेकर रख सकते हैं, जिसे उन्हें हर समय पहने रहना जरूरी होता है।

जब तक सभी लोगों द्वारा एकसमान नियमों का पालन नहीं होगा तब तक प्रवेश नियंत्रण की प्रक्रिया कारागर नहीं होगी। कुछ कर्मचारियों को प्रतिदिन पहचान पत्र दिखाने से झल्लाहट होती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जब किसी व्यक्ति के कार्ड की तिथि समाप्त हो जाती है या वह संगठन का कर्मचारी नहीं रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा गार्ड आई.डी. कार्ड की जाँच करे, भले ही वह कर्मचारी से भली-भाँति परिचित है, तब भी ऐसे मामले में यदि कोई व्यक्ति अपना पहचान पत्र दिखाने पर झल्लाता है, तो शांत होकर उसे इस जाँच का कारण बताएँ। लॉग बुक में जानकारी दर्ज करें एवं प्रवेश नियंत्रण के नियमों का पालन करें।

इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली

प्रवेश नियंत्रण का स्थान एक प्रवेश द्वार, दरवाज़ा या लिफ़्ट हो सकता है। प्रवेश नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं—

1. सुरक्षा टोकन (इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र या बायोमैट्रिक पहचान जैसे फ्रिंगर प्रिंट)।
2. इनपुट (फ्रिंगर प्रिंट स्कैनर या कार्ड रीडर)।
3. निर्णय लेने वाले उपकरण (प्रोसेसर या कंप्यूटर)।
4. आउटपुट (किसी संदिग्ध व्यक्ति के अनाधिकृत प्रवेश पर अलार्म के लिए सिग्नल का उपयोग दरवाज़ों को बंद करने के लिए, कैमरों के सिग्नल का उपयोग प्रवेश द्वार या बैरियर पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए तथा अन्य उपकरण।

चित्र 4.9 — आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

सुरक्षा टोकेन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के रूप में होता है। जिसके पीछे क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह एक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता कार्ड रीडर डिवाइस पर कार्ड को स्वाइप करता है। यह कार्ड रीडर मशीन अक्सर दीवार या दरवाज़े पर लगी होती है। कार्ड पर लिखे कोड को प्रोसेसर मशीन द्वारा सत्यापित किया जाता है। यदि कार्ड का कोड प्रोसेसर द्वारा सत्यापित हो जाता है, तो शीघ्र ही दरवाज़े अपने आप खुल जाते हैं।

इसी तरह बॉयोमैट्रिक पहचान का उपयोग भी प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की जैविक जानकारी एक डेटा बैंक में संग्रहित हो जाती है। अँगुलियों के निशान, आँखों की पुतली, रेटिना का पैटर्न

© NCERT not to be republished

बायोमैट्रिक जानकारी का हिस्सा होता है। यदि किसी कर्मचारी को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना है, जहाँ बायोमैट्रिक मशीन लगी है तो उसे अपने हाथ, आँखें या चेहरे को इलेक्ट्रॉनिक रीडर के सामने लाकर सत्यापित करना होगा। यदि बायोमैट्रिक मशीन द्वारा उसकी जानकारी सत्यापित हो जाती है, तो उसके लिए प्रवेश द्वार शीघ्र खुल जाता है। बायोमैट्रिक मशीन विलक्षण उपकरण है, इससे धोखाधड़ी कर प्रवेश की आशंका नहीं रहती। इसके अतिरिक्त बायोमैट्रिक में रिकॉर्ड जानकारी को किसी व्यक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है।

आधार नंबर भारत सरकार द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को उनके बायोमैट्रिक एवं जनसांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर जारी 12 अंकों की प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार पर आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बी.ए.एस.) का उपयोग आधार कार्ड नंबर और आधार सर्वर में संग्रहित फिंगर प्रिंट के माध्यम से कर्मचारियों या छात्रों की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली के लाभ

इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली के कुछ लाभ इस प्रकार हैं—

1. यह प्रवेश द्वार पर लगी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होती है, इस कारण यह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को ये प्रवेश की अनुमति नहीं देती है।
2. यह उन सभी विवरणों को संग्रहित करती है, जिससे प्रवेश अधिकृत किया गया है।
3. इसे प्रवेश नियंत्रण के लिए और प्रभावी बनाने के लिए सी.सी.टी.वी. प्रणाली के साथ जोड़ सकते हैं।
4. इसे अलार्म प्रणाली से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे यदि किसी सुरक्षा भंग होने का खतरा हो, तो यह संकेत देकर सावधान कर सकती है।

अलार्म प्रणाली

धुएँ एवं आग की पहचान करने के लिए अलार्म का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रवेश करने वालों की पहचान करने के लिए भी किया जाता है जिससे प्रवेश नियंत्रण में सहायता मिल सके। अलार्म प्रणाली से पहचान की प्रक्रिया आसान हो जाती है, जैसे—

1. सेंसर शरीर की इंद्रियों की तरह होते हैं।
2. ट्रांसमीटर शरीर के तंत्रिका तंत्र में नसों की तरह होता है, जो इंद्रियों से सूचनाएँ लेकर मस्तिष्क तक पहुँचाता है।

© NCERT not to be republished

3. नियंत्रण पैनल मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, जो सूचनाओं को एकत्र करता है और समुचित प्रतिक्रिया देने के लिए सूचनाओं को वापस भेजता है।

संदिग्ध प्रवेश से संबंधित अलार्म बजने पर प्रतिक्रिया करते समय याद रखने योग्य कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं—

1. बैकअप के लिए तुरंत फ़ोन करें।
2. बैकअप आने तक दूर से ही उस स्थान का निरीक्षण करते रहें।
3. जबरन प्रवेश के संकेत प्राप्त करने के लिए परिधि का निरीक्षण करें।
4. अवैध प्रवेश के संकेत प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दें।
5. बैकअप के साथ इमारत में प्रवेश करने पर यदि संदिग्ध प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिलता है तो भी अलार्म के स्रोत की जाँच करें।
6. अलार्म को फिर से सेट करें।
7. अलार्म के खराब पाए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी विस्तृत रिपोर्ट दें।

अलार्म में खराबी

अक्सर अलार्म की खराबी के कारण भी अलार्म बज जाता है, पर एक सुरक्षा गार्ड को उसको हर बार गंभीरता से लेना चाहिए। अलार्म यदि किसी भी कारण से सक्रिया हुआ, तो उसके लिए संस्थान स्तर पर बनाई हुई प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। गलत अलार्म बजने के दो मुख्य कारण हैं—

1. यांत्रिक खराबी के कारण।
2. मानव द्वारा सक्रिय करना (गलती से या एक शरारत के रूप में)।
3. सुरक्षा गार्ड को अलार्म में किसी भी खराबी की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, ताकि रखरखाव टीम उसकी मरम्मत कर सके।

वाहन की तलाशी एवं प्रवेश नियंत्रण

वाहन तलाशी के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. स्टोर से चोरी रोकता है।
2. यह सुनिश्चित करता है कि निषेध सामग्री, जैसे— हथियार या आई.ई.डी. का परिसर में प्रवेश न हो।

जैसा कि पिछले सत्र में तलाशी लेने एवं ज़ब्त करने दोनों का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि परिसर में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले वाहनों की तलाशी पर कैसे ध्यान देना है।

© NCERT not to be republished

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में परमाणु प्रतिष्ठानों या सैन्य शिविरों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश एवं निकास के समय वाहनों की तलाशी की परिष्कृत और व्यापक प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। सामान्य जन सुविधाओं में तलाशी की परिष्कृत प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है।

हालाँकि, इन सभी स्थानों पर भी वाहनों की तलाशी होती है। सामान्यतया वाहनों की तलाशी मुख्य इमारत या क्षेत्र से थोड़ी दूर कम भीड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर की जाती है। यह वाहन से किए जाने वाले आई.ई.डी. विस्फोट से लोगों तथा भवन को होने वाले नुकसान को बचाता है।

वाहनों की त्वरित खोज या तलाशी में निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं —

1. वाहन के दरवाज़े खोलकर उसके भीतर हानिकारक पदार्थों और सामग्री की जाँच करें।
2. बोनट खोलें और वाहन में सामान रखने के लिए बने लगैज स्पेस (डिग्गी) की जाँच करें।
3. डैशबोर्ड के नीचे की जगह की तलाशी लें।
4. वाहन चालक की सीट के नीचे और सीट के कवरों की जाँच करें।
5. स्पेयर व्हील की जाँच करें।
6. विस्फोटक आदि सामग्री की जाँच के लिए अंडर कैरिज मिरर का उपयोग करें। हो सकता है कि वाहन के नीचे कुछ सामग्री छिपाकर लाई गई हो।

कुछ मामलों में जब वाहन की कड़ी तलाशी लेने की आवश्यकता होती है। इसमें निम्न को शामिल किया जाना चाहिए—

1. बोनट खोलें और इंजन कार्बोरेटर, एयर क्लीनर, रेडिएटर आदि की जाँच करें।
2. हब व्हील कवर को निकालकर जाँचे।
3. पेट्रोल टैंक के कैप को हटा दें। छोटी सामग्री एक तार या डॉट अंदर से जुड़ी हो सकती है।
4. वाहन के इंटीरियर और चालक के केबिन की ध्यान से तलाशी लें।
5. जाँच करें कि क्या कोई पैनल ढीला है और संदेह के मामले में पैनल के पीछे के हिस्से और दरवाज़े को खोलें और जाँच करें, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा स्थान होता है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में सामग्री छिपाई जा सकती हैं।

यह देखा जाता है कि दुनियाभर में जितनी भी माल की हानि होती है उसका एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट माल की हानि का होता है। कार्गो से सामग्री और सामानों की चोरी तथा अन्य प्रकार की चोरियाँ अंदर के व्यक्ति का कार्य हो सकती है। इस तरह के नुकसान को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उस स्थान की निगरानी के माध्यम से

© NCERT not to be republished

स्टोर में आने-जाने के लिए समुचित चालान और आउट पास बनाकर तथा वाहनों की सख्त जाँच प्रक्रिया अपनाकर आसानी से रोका जा सकता है।

मॉल, होटल, अस्पताल में सामान लेकर लाने और ले जाने वाले वाहनों का मार्ग सार्वजनिक उपयोग के मार्ग से अलग होता है। कारखानों एवं निर्माण इकाई में भी अपने उत्पादों एवं संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों की जाँच के लिए व्यापक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस जाँच प्रक्रिया की चर्चा आगे की गई है—

परिसर में प्रवेश करते समय

वाहनों को मुख्य गेट पर ही जाँच के लिए रोक दिया जाता है, जो मुख्य भवन से कुछ दूरी पर होता है और यहाँ जाँच की जाती है कि क्या वे वास्तविक ड्यूटी के लिए ही अंदर जा रहे हैं। वाहनों की तलाशी ली जाती है और रजिस्टर में जानकारी दर्ज की जाती है। अंदर जाने वाले वाहनों की वस्तुओं का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि गाड़ी में पुरानी वस्तुओं को अंदर नहीं ले जाया जाए और नये सामानों को बाहर न ले जाया जाए। किसी विशेष वाहन से सामान की खेप आने पर स्टोर या संबंधित विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।

परिसर से बाहर निकलते समय

वाहन के परिसर के बाहर जाने पर भी वाहनों की तलाशी ली जाती है और गेट पास की एक प्रति के साथ बाहर ले जाने वाली वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। कारखाने से बाहर जाते समय वाहन की अच्छी तरह जाँच होती है, जो प्रवेश करने की जाँच से ज्यादा होती है। परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ प्रवेश करने वाले लोगों, वाहनों और कार्गो की स्क्रीनिंग एवं तलाशी की जाती है। तलाशी एक संवेदनशील मुद्दा होता है, जिसके सही तरीके से ना होने पर यह असुविधा का कारण बन सकता है। जाँच करते समय यह ध्यान रखें कि जाँच से व्यक्ति को कम से कम असुविधा हो। जाँच को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

पंक्तियाँ एवं प्रवेश नियंत्रण

भीड़ का कोई लीडर नहीं होता और लोगों में बहुत कम समानताएँ होती हैं। भीड़ में हर व्यक्ति अपनी बारी की प्रतीक्षा के दौरान निराश हो सकता है। कई बार व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। ऐसे में पंक्ति प्रबंधन प्रणाली इस स्थिति से निपटने में कारगर हो सकती है। पंक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पंक्ति प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की पंक्तियों का उल्लेख किया गया है—

प्रवेश नियंत्रण

© NCERT not to be republished

संरचनागत पंक्तियाँ

इस प्रकार की प्रणाली में लोग अनुमान के आधार पर एक तय स्थान पर खड़े होकर पंक्ति बना सकते हैं, जैसा सुपर बाज़ार से चेकआउट के समय होता है।

गैर संरचनागत पंक्तियाँ

इस प्रकार की पंक्तियाँ अप्रत्याशित होती हैं और भिन्न-भिन्न स्थानों पर बनती है। उदाहरण के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए बनाई गई पंक्ति एक गैर संरचनागत के अंतर्गत आती है।

पंक्ति प्रबंधन करने की कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं—

भौतिक बैरियर्स या रेलिंग

इसका लक्ष्य पंक्ति का स्वरूप और व्यवस्था सक्षम और कुशल ढंग से करना होता है।

निर्देशन और संकेत प्रणाली

ऐसी प्रणाली में एल.ई.डी. स्क्रीन का उपयोग ग्राहकों को पंक्ति में अपनी जगह खड़े रहने का संकेत देकर व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।

जाँच और तलाशी गतिविधियों के दौरान परिस्थितियों का निपटारा

यदि जाँच के दौरान चेक पाइंट पर रखे सामान पर संदेह है कि किसी व्यक्ति के पास चोरी की सामग्री या दस्तावेज़ हैं, जैसे— संवेदनशील डाटा या दस्तावेज़, हथियार, ड्रग्स, शराब आदि। ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जा सकता है और एक सुरक्षा गार्ड को संस्थागत प्रक्रिया एवं सार्वजनिक कानून प्रक्रिया के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस को उस घटना की सूचना देनी होगी।

चित्र 4.10 — बैरिकेट द्वारा पंक्तियों का प्रवेश नियंत्रण

© NCERT not to be republished

वाहन के प्रवेश एवं निकासी की निगरानी करते समय आने या जाने वाली सामग्री के लिए भी गेट पास की आवश्यकता होती है। सभी आने और जाने वाली सामग्री के आवश्यक दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड गेट पर रखा जाता है। कुछ विनिर्माण इकाइयों में गेट एरिया में 'वेटब्रिज' भी होता है। इस मामले में यदि संस्थागत नियम प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर वाहन एवं उसके चालक को हिरासत में लेने की आवश्यकता होती है और वाहन तथा चालक के विवरण को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है।

जाँच उपकरण के न होने पर शारीरिक तलाशी की प्रक्रिया

शारीरिक तलाशी लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए—

1. उस व्यक्ति को सूचित करें, जिसकी तलाशी होनी है।
2. तलाशी के लिए सूचित किए जाने वाले व्यक्ति की आक्रामकता एवं चिंता के संकेतों को ध्यान से देखें।
3. व्यक्ति को जेब खाली कर सभी सामग्री सामने रखने के लिए कहें। साथ ही बंद कालर एवं आस्तीन को खोलने के लिए कहें, यदि उसने आस्तीन मोड़ी हुई है।
4. यदि व्यक्ति ने अतिरिक्त कपड़े पहन रखे हैं, जैसे जैकेट आदि तो उसे निकालने के लिए कहें तथा उसकी अलग से जाँच करें।
5. व्यक्ति को तलाशी के लिए हाथ एवं पैर को फैलाने के लिए कहें।
6. व्यक्ति को पीछे घूमने एवं हाथ-पैर फैलाने के लिए कहें (व्यक्ति के पैरों के बीच में लगभग तीन फीट की दूरी होनी चाहिए)।
7. तलाशी के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें—
   - व्यक्ति की जाँच व्यवस्थित रूप से करें (एक के बाद एक शरीर के अंगों की जाँच करें, जिससे कोई भी भाग छूट न जाए)।
   - शरीर के ऊपरी हिस्से कंधे, सीने से पेट तक, सामने और पीछे कमर की तलाशी लें।
   - शरीर के निचले भाग, पैर एवं पंजों की तलाशी लें।
   - अतिरिक्त कपड़ों एवं व्यक्तिगत सामग्री की भी जाँच करें।
   - तलाशी लेने के बाद व्यक्ति के सभी सामान उसे लौटा दें।
8. तलाशी के दौरान यदि कोई संदिग्ध वस्तु व्यक्ति के पास प्राप्त होती है, तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें। शारीरिक जाँच की उपर्युक्त प्रक्रिया वहाँ के प्रवेश नियंत्रण के नियमों के स्तर पर निर्भर करती है।

© NCERT not to be republished

विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए नियम

जाँच के दौरान प्रमाणीकरण एवं प्राधिकरण की प्रक्रिया के बीच अंतर को अक्सर गलत रूप में समझा जाता है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान वही है, जिसका वह प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। प्राधिकरण की प्रक्रिया से तय होता है कि उस व्यक्ति (जिसकी तलाशी ली जा रही है) को अंदर प्रवेश की अनुमति है।

एक सुरक्षा गार्ड के लिए आवश्यक नहीं है कि वो वहाँ आने-जाने वाले हर व्यक्ति से परिचित ही हो। गार्ड को कर्मचारियों एवं आगंतुक के बीच अंतर करना आना चाहिए। यदि गार्ड ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो वह नहीं जान पाएगा कि परिसर में कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? यदि उस कंपनी में बैच या पहचान पत्र की नीति है, तो सुरक्षा गार्ड को उनके परिसर में प्रवेश देने के पूर्व पहचान पत्र की जाँच करनी होगी।

तालिका 4.2 — कार्यस्थल पर किसी अजनबी के पाए जाने की स्थिति में

बैज नीति	आप किसी अजनबी को बैच पहने देखते हैं	आप किसी अजनबी को बिना बैच के देखते हैं
कर्मचारी और आगुंतक दोनों बैज पहनते हैं	अजनबी ऐसा कर्मचारी हो सकता है, जिसकी सुरक्षा गार्ड को पहचान नहीं है या फिर वो अधिकृत आगंतुक हो सकता है	अजनबी अनाधिकृत आगंतुक हो सकता है या कोई अन्य
कर्मचारी बैज पहनते हैं, लेकिन आगंतुक बैज नहीं पहनते	संभावना है कि अजनबी कर्मचारी हो, जिसे सुरक्षा गार्ड पहचानता नहीं है, हालाँकि यह भी संभव है कि आगंतुक ने चुराया हुआ बैज पहना हो	अजनबी के कर्मचारी होने की भी संभावना है, जो सुरक्षा गार्ड को पहचानता न हो और बैज भी पहने हुए नहीं है। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वह एक आंगतुक है (सुरक्षा गार्ड यह नहीं बता सकता कि व्यक्ति अधिकृत है या नहीं)
आगंतुक बैज पहनते हैं, लेकिन कर्मचारी बैज नहीं पहनते	अजनबी संभवत एक अधिकृत आगंतुक है	अजनबी एक ऐसा कर्मचारी हो सकता है जिसे सुरक्षा गार्ड पहचानता न हो या फिर एक अनाधिकृत आगंतुक हो सकता है।

© NCERT not to be republished

इस प्रकार यदि कोई संस्था अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र नहीं देती है तो परिसर में अजनबियों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। कुछ खराब परिस्थितियों में आगंतुकों की पहचान न हो पाना, लोगों एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

बैच के प्रकार

1. अधिकांशतः बैच सार्वभौमिक होते हैं (जैसे स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध), साथ ही कुछ बैज वांछित आकार लिखित सामग्री वाले होते हैं। बैच पर इसे धारण करने वाले व्यक्ति की फ़ोटो भी लगी हो सकती है।
2. बैच को लौटाया या हटाया जा सकता है। यदि किसी स्थान पर बैच छूट जाता है, तो उससे सुरक्षा भंग होने की आशंका बढ़ जाती है।
3. बैच का पुनः उपयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी।

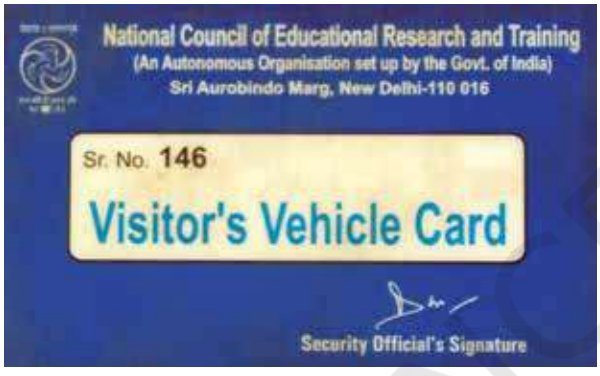

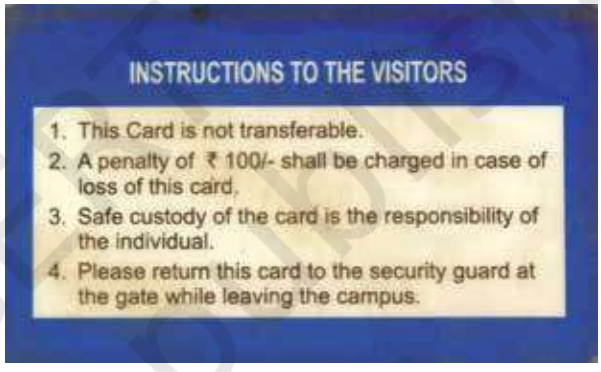

चित्र 4.11 — आगंतुकों के वाहन कार्ड

नज़र रखना

एक परिसर में आगंतुकों की चार अलग-अलग श्रेणियाँ होती हैं—

1. कर्मचारी
2. ठेकेदार
3. विक्रेता
4. आगंतुक

तकनीकी की मदद से आज हर समय यह जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति इमारत में इस समय कहाँ पर है। इससे आपातकाल की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के विषय में तुरंत जानकारी मिल सकती है।

आगंतुकों की पृष्ठभूमि

किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक है कि उसकी पहचान की जाँच करें, जिस पहचान का वह दावा कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति की पहचान को

© NCERT not to be republished

प्रमाणित करने के लिए उसे भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस आदि को प्रस्तुत करना होता है, जिससे उसकी पहचान की जा सके।

रिकार्ड रखना एवं रिपोर्ट करना

सुरक्षा रजिस्टर यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति परिसर में मौजूद है या नहीं। रजिस्टर से सुरक्षा गार्ड को पता चलना चाहिए कि वह व्यक्ति परिसर में कब से है और वह कितनी बार परिसर में आ चुका है। यह आगंतुक की पृष्ठभूमि को जानने में सहायक होता है और अतीत के साथ-साथ वर्तमान में भी उसके अवैध कृत्यों को प्रमाणित करता है।

आगंतुकों के लिए निर्देश

एक बार जब पहचान प्रमाणित हो जाती है और प्रवेश अधिकृत हो जाता है, तो आगंतुक किसी भी विशेष कार्यालय या विभाग से निर्देश माँग सकता है। ऐसे में आगंतुक को संबंधित क्षेत्रों में निर्देशित करें तथा संबंधित कर्मचारियों एवं विभाग को भी उस व्यक्ति के विषय में सूचित करें। परिसर में उपयुक्त स्थानों पर लगे दिशानिर्देशों के संकेत से आगंतुक व्यक्ति को पार्किंग क्षेत्र एवं विभागों को ढूँढ़ने में आसानी होती है। इन संकेतों के अभाव में परिसर में प्रमुख स्थलों पर दिशानिर्देश प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक सुरक्षित परिसर में आगंतुक के साथ एक गार्ड को भेजा जाता है, जो उस आगंतुक को संबंधित विभाग या स्थान पर पहुँचने में मदद करता है। यह अन्य विभागों और क्षेत्रों में अनाधिकृत पहुँच को रोकने के लिए किया जाता है।

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

आपके विद्यालय में प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था कैसी है? अपने स्कूल का भ्रमण करें एवं प्रवेश नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं संरचनाओं की एक विस्तृत सूची तैयार करें।

गतिविधि 2

कल्पना करें कि आपके स्कूल को एक बैंक के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है और आपको उस क्षेत्र में भेद्यता (सुरक्षा में अंतराल) खोजने का कार्य दिया गया है। उस क्षेत्र की सुरक्षा में अंतराल का पता लगाएँ और लोगों एवं सामग्री के आधार पर आवश्यकताओं की विस्तृत सूची तैयार करें, जिसका उपयोग आपको प्रवेश नियंत्रण के दौरान करना है। इसका उदाहरण नीचे दिया गया है—

© NCERT not to be republished

क्रम संख्या	भेद्यता	आवश्यकता
1.	गेट नहीं है।	धातु का गेट लगाना पड़ेगा।
2.	स्कूल के पीछे प्रकाश व्यवस्था का अभाव है।	ज़्यादा वॉट के बल्ब और तीन लैंपपोस्ट।

अपनी प्रगति जाँचे

1. रिक्त स्थान की पूर्ति करें

1. लोग अनुमान के आधार पर एक तय स्थान पर खड़े होकर पंक्ति बना सकते हैं, जैसे— सुपर बाज़ार से चेकआउट के समय होता है। यह ..... पंक्ति कहलाती है।
2. तकनीकी खराबी के अलावा ..... भी गलत अलार्म बजने का कारण हो सकता है।
3. ..... एक संपत्ति में घुसपैठ करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकता है। यह गश्त के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान करता है।
4. यदि किसी कंपनी या संस्था की ..... नीति है, तो किसी भी संदिग्ध घुसपैठिए को वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी या आगंतुक से अलग पहचानना आसान होगा।

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रवेश नियंत्रण ..... सुनिश्चित करता है।
   क. भीड़ को रोकना
   ख. अराजकता को रोकना
   ग. सुरक्षा को बढ़ाना
   घ. उपरोक्त सभी
2. मान लीजिए कि आप एक बिक्री प्रतिनिधि हैं और आप कुछ उत्पादों को दिखाने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, जहाँ आपको बिक्री करनी है। उस क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड आपका नाम पूछता है और आपसे अपना आधार कार्ड दिखाने के लिए कहता है, ताकि जो नाम आपने बताया है उसको सत्यापित कर सके तो यह ..... प्रक्रिया होगी।
   क. प्राधिकरण
   ख. प्रमाणीकरण
   ग. क एवं ख दोनों
   घ. उपरोक्त से कोई नहीं

© NCERT not to be republished

3. गेट पर आपके आधार कार्ड की जाँच करने के बाद, सुरक्षा गार्ड संबंधित अधिकारियों से यह पूछने के लिए कॉल करता है कि क्या आपको प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए तो उस प्रक्रिया को ..... कहा जाता है?
   क. प्राधिकरण
   ख. प्रमाणीकरण
   ग. क एवं ख दोनों
   घ. इनमें से कोई नहीं

3. अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. क्या अलार्म प्रणाली हमेशा विश्वसनीय है? गलत अलार्म बजने के दो कारण बताइए?
2. एक सघन जाँच के दौरान वाहन में तलाशी के क्षेत्रों की सूची बनाएँ।
3. इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत और तत्व क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की अनुपस्थिति में मैनुअल प्रवेश नियंत्रण प्रणाली कैसे कार्य करती है?
4. आई.डी. कार्ड की जाँच करते समय एक सुरक्षा गार्ड को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
5. एक संस्था में ऐसी बैच नीति की क्या प्रासंगिकता है जिसमें कर्मचारी एवं आगंतुक दोनों को बैच पहनना पड़े? क्या आपको लगता है कि इसका परिसर के अंदर सुरक्षा पर असर पड़ता है? उदाहरण सहित विस्तार से बताइए?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात आप सीख सकेंगे—

- प्रवेश नियंत्रण के विभिन्न स्तरों का वर्णन करना।
- इमारतों एवं उसकी परिधि में प्रवेश नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं संरचनाओं को सूचीबद्ध करना।
- उपकरणों के अभाव में प्रवेश नियंत्रण तकनीकों को सूचीबद्ध करना।
- इलेक्ट्रानिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली के घटकों एवं उद्देश्यों का वर्णन करना।

© NCERT not to be republished

उत्तर कुंजी

इकाई 1 — सुरक्षा सेवाओं का परिचय

सत्र 1 — सुरक्षाकर्मियों की भूमिका एवं ज़िम्मेदारियाँ

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. क 2. घ 3. ख

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. गोपनीयता 2. अवलोकन करना, रिपोर्ट करना 3. संचालन

सत्र 2 — जोखिम, खतरा एवं आपात स्थिति — रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. दौड़ना, बताना 2. खतरा 3. उच्च

इकाई 2 — निजी सुरक्षा विनियम एवं उपकरण

सत्र 1 — पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. सुरक्षा, (विनियम) 2. अफ़वाह या सुना-सुनाया 3. विशिष्ट, सभी

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. क 2. ग 3. ग

इकाई 3 — हथियारों का परिचय एवं तात्कालिक विस्फोटक उपकरण

सत्र 1 — हथियारों की पहचान

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. मजल 2. सप्रेशर यंत्र 3. गैर, बोर

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ग 2. घ 3. ख

सत्र 2 — तात्कालिक विस्फोटक उपकरण

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. डेटोनेटर 2. केस 3. वाहन

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ग 2. ग

© NCERT not to be republished

सत्र 3 — नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए सुरक्षा उपकरण

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. परिवहन नियंत्रित करने वाला डंडा 2. दृश्यता

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ग 2. ग

इकाई 4 — प्रवेश नियंत्रण

सत्र 1 — तलाशी एवं ज़ब्ती

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. एक्स-रे 2. हैंड, मेटल

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ग 2. ख

सत्र 2 — प्रवेश नियंत्रण की संरचनाएँ एवं तकनीक

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. संरचनात्मक 2. एक शरारत
3. प्रकाश 4. बैज

2. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. घ 2. ख 3. क

© NCERT not to be republished

शब्दकोश

अधिनियम — *संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून है।*

आगंतुक — *वह व्यक्ति जो दोस्ती, व्यापार, कर्तव्य पालन, घूमने या अन्य किसी भी उद्देश्य से संगठन में आता है।*

आगंतुक पास — *यह उस व्यक्ति को प्राधिकरण या अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति का पत्र या टिकट देना या उसे अधिकृत करना है कि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मिल सकता है या स्थान की यात्रा कर सकता है।*

आदेश — *किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किसी कार्य हेतु या अन्यथा कही गई कोई बात।*

उत्तरदायित्व — *किसी कार्य को संतोषजनक ढंग से करने या पूरा करने के लिए कर्तव्य एवं दायित्व (किसी के द्वारा सौंपी गई या अपनी वचनबद्धता या परिस्थितियों के प्रति)।*

उल्लंघन — *कानून के अनुसार जैसा होना चाहिए, वैसा न होना।*

कानून — *किसी अपराध या समझौते आदि से संबंधित नियम।*

कार्यपुस्तिका — *आगंतुकों की प्रविष्टियों के रिकार्ड के लिए रिकॉर्ड बुक।*

गश्त — *किसी क्षेत्र या भवन के चारों तरफ़ नियमित समय पर जाँच करना कि वह स्थान सुरक्षित है और वहाँ कोई समस्या नहीं है।*

गोपनीयता — *एक ऐसी स्थिति जिसमें आप किसी से जानकारी को गुप्त रखने की अपेक्षा रखते हैं।*

घुसपैठ — *किसी की संपत्ति को ज़ब्त करने या कब्जा करने के लिए घुसपैठ करने के इरादे से प्रवेश की प्रक्रिया।*

चोरी — *किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को चुराना या गलत नीयत से ले जाने का प्रयास करना।*

जन संबोधन प्रणाली — *एक इलेक्ट्रानिक प्रणाली जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर संचार प्रणाली के रूप में किया जाता है।*

जाँच — *नियमानुसार किसी चीज़ का पता लगाने करने की व्यवस्थित पड़ताल। यह विशेष रूप से अवांछित पदार्थ या सामग्री को रोकने के लिए की जाती है।*

जाँच — *किसी भी परिस्थिति या अपराध आदि के विषय में तथ्यों की आधिकारिक जाँच करना।*

जोखिम — *किसी भी प्रकार की क्षति, चोट, देयता, हानि या किसी अन्य अप्रिय घटना की आशंका या खतरा है, जो बाहरी एवं आंतरिक भेद्यता के कारण होती है और यदि इसके विरुद्ध सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाए, तो जोखिम से बचा जा सकता है।*

टटोलकर तलाशी लेना — *किसी व्यक्ति के कपड़े और जेब टटोलकर तलाशी लेने की प्रक्रिया, जो किसी खतरनाक सामग्री या हथियार को अपने कपड़ों या जेब में छिपाकर ले जाने की कोशिश करता है।*

तलाशी — *किसी चीज़ का पता लगाने के लिए पूरी तरह से और ध्यानपूर्वक संदिग्ध परिस्थितियों की जाँच करना या छिपाए जाने के संभावित स्थानों का निरीक्षण करना।*

© NCERT not to be republished

दस्तावेज़ — *एक लिखित या मुद्रित कागज़, जो मूल रूप से कार्यालय का या अधिकारिक हो, जिसका उपयोग जानकारी प्रस्तुत करने के लिए या निर्णायक प्रमाण के लिए किया जाता है।*

दस्तावेज़ीकरण — *किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए या प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़।*

दुर्घटना — *परिस्थितियों के आधार पर घटने वाली एक अप्रत्याशित अप्रिय घटना, जो एक आपदा या बहुत बड़े नुकसान का रूप ले सकती है।*

निकासी — *लोगों को खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया।*

निगरानी — *किसी अपराध के संदिग्ध व्यक्ति या स्थान को ध्यान से देखना या निगरानी करना, जहाँ किसी अपराध की आशंका हो।*

निगरानी — *कुछ समय के लिए किसी प्रक्रिया का अवलोकन या जाँच करना या किसी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करना या प्रक्रिया के अनुरूप उसका विश्लेषण अथवा समीक्षा करना।*

नियम — *एक ऐसा कथन या विवरण, जो आपको किसी विशेष परिस्थिति में कार्य करने की सलाह देता है।*

निर्देश — *किसी सामग्री का उपयोग कैसे करना है या कोई कार्य किस प्रकार करना है, इसकी विस्तृत जानकारी।*

परिधि — *एक ऐसी रेखा, जो किसी बंद ज्यामितिय आकृति की एक सीमा को निर्मित करती है।*

प्रक्रिया — *कुछ करने का सामान्य और सही ढंग।*

प्रवेश नियंत्रण — *यह प्रवेश को नियंत्रित करने की एक व्यवस्था है, जो एक भौतिक या आभासी संसाधन हो सकता है।*

प्रशामक उपचार — *यह स्वास्थ्य देखरेख की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें न केवल रोग का, बल्कि व्यक्ति की संपूर्ण उपचार और देखरेख की जाती है।*

बचाव — *किसी भी प्रकार के खतरे या नुकसान से सुरक्षित रहने की स्थिति।*

भीड़ — *किसी सार्वजनिक स्थान पर बड़ी संख्या में एकत्रित लोग, उदाहरण के लिए खेल के दौरान सड़क पर जमा हुए लोग।*

रक्षण — *किसी की रक्षा करने के लिए किया गया कार्य या प्रक्रिया, इस दशा को रक्षण कहा जाता है।*

रक्षा — *यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति अथवा सामग्री को क्षति, चोट या नुकसान न पहुँचे।*

रिकॉर्ड — *सूचनाओं का लिखित रूप से दर्ज होना, जिसमें सूचनाओं की विस्तृत जानकारी रखी जाती है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।*

रिकॉर्डिंग — *आधिकारिक उद्देश्य से सूचनाओं को लिखित रूप से दर्ज करने या संग्रहित करने की प्रक्रिया।*

रिपोर्ट — *एक विस्तृत नोट, ग्राफिक, तालिका के रूप में एकत्रित सूचनाओं का एक दस्तावेज़, जो एक तदर्थ, आवधिक या नियमित आधार पर आवश्यकतानुसार तैयार किया जाता है। रिपोर्ट किसी विशिष्ट अवधि, घटना या विषय के बारे में मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है।*

लघुचोरी — *छोटी मात्रा में या छोटी सामग्री को चोरी करना।*

© NCERT not to be republished

विस्फोटक उपकरण — *एक उपकरण जो आंतरिक ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ होते ही अचानक फट जाता है।*

सत्यापन — *यह जाँचना कि सब कुछ सही और दुरूस्त है।*

सी.सी.टी.वी. (क्लोज सर्किट टेलीविजन) — *यह एक टी.वी. प्रणाली है जिसके सिग्नल्स को सार्वजनिक रूप से वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल किया जाता है।*

सुरक्षा — *किसी हमले अथवा खतरे से किसी व्यक्ति, इमारत या देश की रक्षा में शामिल गतिविधियाँ।*

स्वामित्व की सूचना — *वह सूचना जिसकी जानकारी केवल उसके मालिक को हो, इसके अंतर्गत वह सूचना नहीं आती, जो किसी भी समय आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए।*

© NCERT not to be republished

सुझाई गई सामग्री

केन पेट्रिक. 1999. *प्रेक्टिकल सिक्योरिटी ट्रेनिंग*. एलसिवियर साइंस.

गुप्ता एल.सी. और अभिताभ गुप्ता. 2007. *मैनुअल ऑफ़ फर्स्ट एड*. प्रथम संस्करण, जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स.

नीमेथ, चार्ल्स पी. 2017. *प्राइवेट सिक्योरिटी — ऐन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स एवं प्रैक्टिस*. सी.आर.सी. प्रेस.

मोहन, कृष्ण और मीरा बनर्जी. 1990. *डेवलपिंग कम्यूनिकेशन स्किल्स*. मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प., *सोशल साइंस* (कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक), इकाई 4 — डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

सी.बी.एस.ई. 2006. *नैचुरल हैज़र्ड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट* — कक्षा 11 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली

वेबसाइट्स

https://psara.gov.in/

http://www.gov.mb.ca/justice/safe/private/pdf/securityguard_manual.pdf

http://www.differencebetween.com/difference-betweenemergency-and-vs-disaster

http://www.ndma.gov.in/ndma/index.htm(National Disaster Management Authority, Government of India)

http://indianarmy.nic.in

http:// itbp.gov.in/

http://bsf.nic.in/

http://indiannavy.nic.in/

http://indianairforce.nic.in/

http://ssb.nic.in

© NCERT not to be republished